राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४६वां दिवस [संख्या ३०

गुरुवार, ११ दिसम्बर, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटड़ा एवं जालौर रैन्ज के वनों का निलाम

१७७४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Forest be pleased to state:-

(1) Is it correct that 13 coupes of forests belonging to Kotra and Jalore Range of Udaipur forests division were auctioned in the 1st week of August, 1958 ?

(2) Is it correct that after the close of the auction sale applications were entertained by the D. F. O. from certain parties who offered to pay a higher price for the forest and the coupes were re-auctioned on 14th October, 1958, as notified in Rajasthan Rajpatra, dated 9th October, 1958 and these 13 coupes have been now sold in favour of M/s. Jamalludin, Tayeb Hussan Bohra, Kamruddin and Kurban Hussain etc. at a price of Rs. 1,39,325.

(3) Is it correct that on the 15th October, 1958, contractors and dealers from Udaipur, Ahmedabad, Himmatnagar, Edar, Vadali and other places submitted applications offering higher prices for the same coupes and also offered cash earnest money in favour of their offers and requested the D. F. O. to re-auction the coupes under clause 14 of the Auctions Sale Rules ?

(4) Is it correct that D. F. O. Udaipur, has field the applications of these Merchants on being instructed by the Government ?

(5) Is it correct that all these 53 merchants, have appealed to the Government to re-auction these coupes under clause 14 of the Auction Sales Rules, as they are prepared to pay higher price for the same ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) No, these 13 lots were auctioned

Page No.2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

in the first week of September, 1958.

(2) No, applications were received or entertained by the Divisional Forest Officer, from certain parties. The Chief Conservator issued orders for the re auction of the coupes because a ring was formed by the intending purchasers. The re auction was held on 14th October, 58. These lots have not yet been sold. A list of highest bidders in the re-auction has been placed on the table of the House.

(3) Yes. 5. applications were received offering higher prices out of which 4 were withdrawn. No cash earnest money was offered or deposited. Until such deposit was made the question of re-auction did ont arise.

(4) No.

(5) Yes.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the D. F. O. in his letter No. 15036 Contract/ dated 19. 10. 58 addressed to the Conservator of Forests in its para 10 stated that the party has applied......

कुछ लोगों ने नीलाम के दूसरे दिन १५–१०–५८ को अधिक बोली के लिये प्रार्थना पत्र दिये, उनमें खान मोहम्मद वल्द हाथी मोहम्मद का प्रार्थना पत्र है । इस बारे में परामर्श किया गया, वन मंत्री महोदय से ट्रंक काल से बातचीत की । इसके अनुसार इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, फाइल किया जाय ।

आपने कहा, एप्लाई किसी ने नहीं किया और गवर्नमेंट ने कोई इन्स्ट्रक्शन्स नहीं दिये । लेकिन जो लैटर मैंने बताया उसके अनुसार गवर्नमेंट के इन्स्ट्रक्शन्स थे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : डी० एफ० ओ० का लैटर कौन से नम्बर का और कौन सी तारीख का है ।

श्री पी० के० चौधरी : नं० १५०३ डेटेड १९–१०–५८ आपने जो लिस्ट दी है । I have got the whole copy of the D. F. O.'s letter.

श्री अध्यक्ष : what do you want to show by it ?

श्री पी० के० चौधरी : My intention is clear Sir. The fourth question was that is it correct that the D. F. O. Udaipur, has filed the applications of these merchants on being instructed by the Govt ?. So I wanted to know whether the Govt. instructed not to accept the applications for highest bids ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसे मैंने आपको जानकारी दी है उसके अनुसार अर्जियां जिन लोगों ने दी हैं उनसे जितना अर्नेस्ट मनी जमा कराना चाहिये था, नहीं कराया ; इसके अलावा हमारा बार बार नीलाम करने का भी इरादा नहीं था । पहली दफा तो रिंग बना ली और सस्ता लेना चाहते थे । दुबारा बोलियां ठीक आ गई जो पहले सस्ते में लेना चाहते थे उनको वह मिल नहीं सका । बार बार उनके कहने से नीलाम करते जायें यह तो हो नहीं सकता इस तरह से तीसरी दफा ऑक्शन करने का समय नहीं था । जो

Page No.3

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आपने लैटर पढ़ा उसमें जो इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये वे वाजिब थे, इसलिये दिये गये ।

श्री पी० के० चौधरी : रूल्स नं० १४ में ऐसा लिखा है कि ऑक्शन का लास्ट बिड खारिज होने के बाद जो कोई पार्टी हाइयेस्ट बिड की एप्लीकेशन देती है उसको स्वीकार किया जाता है । लेकिन जिस लैटर का मैंने जिक्र किया उसके अनुसार एक हाइयेस्ट बिड देने को तैयार था किन्तु आपके इन्स्ट्रक्शन्स के कारण वह एक्सेप्ट नहीं हुआ ।

They are prepared to deposit the money but you are not accepting it.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात नहीं है जिन्होंने अर्जियां दी उनमें से एक व्यक्ति पैसा जमा कराने को तैयार था । हम उनके कहने से पैसा जमा करें, यह तो कोई बात नहीं । ये वे आदमी हैं जो रिंग बनाकर सस्ते में जंगल लेना चाहते थे । दुबारा तो वह बिड नहीं कर सके जब वाजिब कीमत आ गई तो वह बिड खत्म कर दिया गया ।

श्री श्रीभानसिंह : जिन लोगों ने रिंग बनायी, क्या उनमें से किसी को कॉन्ट्रेक्ट नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दुबारा बिड में आये ही नहीं ।

श्री श्रीभानसिंह : जिन आदमियों ने रिंग बनायी क्या किसी को ऑक्शन नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दुबारा जो बोली लगा रहे थे उनकी बोली नीचे रह गई, वे हार गये, इसलिये दूसरे की बोली फाइनल हो गयी। फिर उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिये पांच अर्जियां आयीं, चार तो विद्ड्रा कर ली गईं, एक ने विद्ड्रा नहीं की लेकिन उसने अरनेस्ट मनी जमा नहीं कराया।

श्री पी० के० चौधरी : पांच जनों की अर्जियां आईं, यह तो आप मन्जूर करते हैं और आपने हिम्मत नगर वाले की एप्लीकेशन को मन्जूर किया है वैसी हालत में उनकी एप्लीकेशन स्टेन्ड करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक रिप्रेजेन्टेशन की तौर पर उनकी अर्जी गवर्नमेंट के पास आयी उसको मन्जूर किया है । लेकिन जहां तक ऑक्शन करने का सवाल है वह तो हो चुका, उसके लिए न तो समय है और हम तो उस कान्ट्रेक्टर को उसका पजेशन भी दे चुके हैं ।

श्री श्रीभानसिंह How did the Government came to this conclusive information that the contractor has formed a ring ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सारी चीजें हमको पता लग जाती हैं । ऑक्शन जो करते हैं वे बहुत जिम्मेवार अफसर होते हैं, उनको पता लग जाता है, वातावरण को देखकर पता लगा लेते हैं । बाहर से आये हुए लोग चाहते यह थे कि मुफ्त में माल मिल जाय ।

श्री श्रीभानसिंह : गवर्नमेंट को यह कैसे मालूम हुआ कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने रिंग बना ली है ?

श्री अध्यक्ष : He has said that on the report of his officers.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जिम्मेदार ऑफिसर थे उन सबको पूछा था उन्होंने देखकर ऐसा बताया और ऐसा वातावरण से पता लगता है।

श्री श्रीमानसिंह : फिर आपका मतलब यह है कि जो कन्ट्रैक्टर्स राजस्थान के फॉरेस्ट के लिए कम बिड करते हैं वह हमेशा रिंग बनाकर आते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने ऐसा नहीं कहा कि आम तौर से रिंग बनाकर आते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७५

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह।

भरतपुर शहर में मकानों का गिर जाना

११७६. **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:-

(1) How many houses collapsed in Bharatpur City in this year and why ?

(2) How many of these houses collapsed or were damaged due to the faulty and unauthorised layout of the water pipe lines by the contractor, and the improper insufficient and careless covering by sand of the trenches duy out to lay the pipelines ?

(3) Wha thelp or compensation does the Government or the Municipality intend to give to the victims ?

4. What penalty does the Government intend to impose upon the contractor for such negligence ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (1) 201 pacca houses and 395 kachha houses collapsed in Bharatpur City during heavy rains in 1958.

(2) None.

(3) Question doas not arise. However the Government is considering to give some help to the owners whose houses collapsed due to heavy rains.

(4) Question does not arise.

प्रश्न संख्या ११७७

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

विधान सभा सदस्य की दूदू में हैड कॉन्सटेबिल तथा मोटर ड्राइवर द्वारा मारपीट

११७८ **श्री भैरोंसिंह** : (श्री दयाकृष्ण-विजय की अनुपस्थिति में) क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री लादूराम गुलानिया दिनांक २८-५-५८ को दूदू के निकट मोटर नम्बर आर० जे० एल० ५४१ में यात्रा करते समय हैड कॉन्सटेबिल शांतिलाल

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

पारीख, ड्राइवर व खल्लासी के द्वारा बुरी तरह से पीटे गये ?

(ख) क्या इस घटना की रिपोर्ट वहां के थाना दूदू में अन्य सवारियों के द्वारा रजिस्टर करवाई गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जाँच से प्रतीत हुआ है कि श्री लादूराम सुलानिया, एम० एल० ए०, को कथित घटना से मामूली दो चोटें आई हैं।

(२) इस घटना की रिपोर्ट श्री लादूराम ने मय तीन अन्य यात्रियों के थाना दूदू में जबानी दर्ज कराई। डॉक्टरी जांच पर यह दोष नॉन-कॉगनिजिबल होने के कारण श्री लादूराम को अदालती कार्यवाही करने के लिए कह दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : बाद का सुनाई नहीं दिया जरा......

श्री रामकिशोर व्यास : इस घटना की रिपोर्ट श्री लादूराम ने मय तीन अन्य यात्रियों के थाना दूदू में जबानी दर्ज कराई। डॉक्टरी जांच पर यह दोष नॉन-कागनिजिबल होने के कारण श्री लादूराम को अदालती कार्यवाही करने के लिये कह दिया गया था। कॉन्सटेबिल शांतिलाल के खिलाफ विभागीय जांच जारी है व ड्राइवर व कन्डक्टर के विरुद्ध मोटर विहिकल्स एक्ट के तहत चालान कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जिस कॉन्सटेबिल के खिलाफ जांच जारी है उसकी इन्क्वायरी कौन ऑफिसर कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए एस० पी० टौंक को लिखा गया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि श्री लादूराम एम० एल० ए० ७ दिन तक अस्पताल में इन्डोर पेशेन्ट रहे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो उनको पुलिस ने भी अस्पताल भेजा था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री लादूराम जी ने जो रिपोर्ट लिखवाई वह सब-इन्स्पेक्टर ने नहीं लिखी और सब-इन्स्पेक्टर ने अपनी मर्जी से लिखी और उस पर श्री लादूराम जी के मजबूरी में दस्तखत करा लिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो जो रिपोर्ट लिखवाई वही लिखी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि श्री लादूराम ने जिस ऑफिसर को रिपोर्ट लिखवाई वह उसने न लिखकर उनके मजबूरी की हालत में दस्तखत करवा लिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिकली इस प्रश्न पर तो जांच नहीं की। यह तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की रिपोर्ट में आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : जो रिपोर्ट लिखवाई है उसमें उन्होंने ऐसी शिकायत की है कि उनको पीटा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने इस बात की तो शिकायत की थी कि उनको पीटा गया है लेकिन जो उन्होंने लिखवाया वह न लिखा हो, इसका पता नहीं।

Page No.6

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि श्री लादूराम ने पुलिस हैड कॉन्सटेबिल को बस के ओवर क्राउडिंग की शिकायत की थी ? फिर ओवर क्राउडिंग पर आपने क्या एक्शन लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो चालान कर दिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या हैड-कॉन्सटेबिल शांतिलाल को सस्पेंड कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जिस समय शिकायत की गई थी, उस समय बस के अन्दर कितनी सवारियां थीं और जब कि ज्यादा सवारियों की शिकायत की गई तो फिर कॉन्सटेबिल ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : वह तो चालान कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जब कि श्री शांतिलाल हैड कॉन्सटेबिल की मौजूदगी में मोटर ओवर क्राउडेड चल रही थी और उसकी शिकायत भी श्री लादूराम जी एम. एल. ए द्वारा उसको की गई मगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया और जब थाने पर शिकायत की तो चालान उसी की वजह से किया गया तो कम से कम हैड कॉन्सटेबिल ने जो ऑफेन्स किया कि उसकी मौजूदगी में ओवर क्राउडिंग थी तो उसकी जिम्मेदारी थी चालान करने की, और उसने कन्विक्ट नहीं किया तो उसके लिए कॉन्सटेबिल को सस्पेन्ड कर देना चाहिए था ?

श्री अध्यक्ष : वह तो इन्क्वायरी चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो लादूराम एम. एल. ए. ने शिकायत की कि बस ओवरक्राउडिंग चल रही है और इसको रोका जाये, उस स्थिति में शांतिलाल हैड कॉन्सटेबिल को सस्पेंड किया जाना चाहिये था ?

श्री रामकिशोर व्यास : सस्पेन्ड करने के लायक मेटीरियल ही नहीं था।

श्री पी० के० चौधरी : श्री लादूराम एम एल. ए. ने जो स्टेटमेन्ट दिया कि उन्हें शांतिलाल हैड कॉन्सटेबिल ने पीटा है और उसकी गवाही भी उन्होंने दी है तो एक कॉन्सटेबिल ने जिसने एक ऑनरेबल मेम्बर को पीटा है इस पर आप उसको सस्पेंड तक नहीं करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पीटने की बात तो साबित नहीं हुई है।

श्री पी० के० चौधरी : कैसे साबित नहीं हुई है। जब, जो उसके को-पैसेंजर थे उन्होंने इसके बारे में बताया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह कॉन्सटेबिल तो ड्राइवर और कन्डक्टर के पीटने पर बीच-बिचाव कर रहा था।

श्री श्रीभानसिंह : वह तो ठीक है। But is it not a sufficient ground that an Honble Memder was beaten by the driver in the presence of the sub-inspector on an inspector on a complaint that the bus is over crowded ?

श्री रामकिशोर व्यास : ठीक है तो इसमें क्या हुआ।

Page No.7

श्री श्रीभानसिंह : Does it not make a primafacie case ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी कॉन्सटेबिल के सामने पीटा हो, तो इसमें उसका क्या है ?

श्री श्रीभानसिंह : No. But the Constable was cognived because he complained against the Bus being over loabed,

श्री रामकिशोर व्यास : There is no question of congnisance. We have already ordered an enuqiry into it.

श्री श्रीभानसिंह : Is it not an offence ?

श्री रामकिशोर व्यास : This is an offence under the Motor Vehicles Act for which he has been challaned.

श्री श्रीभानसिंह : Why the Constable did not take cognisance of it. ?

श्री रामकिशोर व्यास : We are enuiring.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो इन्क्वायरी की गई उसमें कोई जानकारी श्री लादूराम जी एम. एल. ए. से नहीं ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनसे जानकारी ली गई है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इन्क्वायरी की गई है और यह उसकी लैटर की कापी है जो दिया गया है-Copy of letter No. CB/PR/JPR/25/58/G/5978-79 dated 16 th July 1958 from the Dy. I. G. of Police, C. I. D. Rajasthan, Jaipur.-

"Enquiries made by a C.I.D. Officer reveal that Shri Ladu Ram M.L A was travelling in a bus from Jaipur to Dudu. He got down at Dudu and refused to pay his bus fare when asked by the conductor and also beat him. At this the driver came to the rescue of his conductor and beat the M L.A. According to the Medical report all the injuries received by him were simple. The allegations against the Police constable regarding beating of the M.L.A. are false. The constable actually pafified them.

The alleged loss of Rs. 135/-by the M.L.A. is not correct. It does not find place in the report lodged by him at P.S. Dudu on 25-5-58."

माननीय अध्यक्ष, मेरे पूछने का मतलब यह है कि जो इन्क्वायरी, ऑफिसर ने की और जिसके बिना पर डी॰आई॰जी॰ ने यह लैटर लिखा है तो आप तो कहते हैं उनसे पूछा गया लेकिन वे कहते हैं कि उनसे कुछ नहीं पूछा गया। फिर आपने कैसे कह दिया कि उनसे जानकारी ली गई है। सी.आई.डी. की रिपोर्ट भी आ जाती है और आप उनसे पूछते भी नहीं है, फिर यह कह देते हैं कि उन्होंने बस ड्राईवर को पीटा और कन्डक्टर को पीटा जब पुलिस कॉन्सटेबिल ने तो बीच बचाव किया था। यह सब बातें गलत हैं। उसने कोई बीच बचाव नहीं किया। माननीय सदस्य यहां सदन में मौजूद हैं, उनसे पूछ लिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जहां तक

(श्री रामकिशोर व्यास)

जानकारी है उसके अनुसार तो श्री लादूरामजी से जानकारी ली है, मगर आप कहते हैं कि जानकारी नहीं ली। फिर भी मेरे पास ऐसी जानकारी है। लेकिन क्योंकि आपने फर्माया है तो उनसे फर्दर वेरीफाई कर लेंगे। मगर केस तो वैसे कोर्ट में बनता, क्योंकि ऑफेन्स नॉन-कॉगनिजिबल है इसमें पुलिस क्या करे।

श्री श्रीभानसिंह : With your kind permission, Mr. Speaker Sir, I would put a direct question to the Hon'ble Member of the House since he is present that, was he enquired when this report was given to the Hon'ble Minister ?

श्री अध्यक्ष : I don't think we should complicate it in that sense माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है उसके बारे में जानकारी करने के लिए। सी.आई.डी. की रिपोर्ट में हालांकि नहीं पूछा है पर उनके पास जो इन्क्वायरी है डिटेल्ड डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी उसमें माननीय सदस्य से पूछेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के ऑनरेबल मेम्बर से साथ में ऐसा बर्ताव हुआ है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेन्ट ने जो हाल अभी बतलाये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें जितना एम्फेसिस देना चाहिए उतना एम्फेसिस अभी तक नहीं दिया है। मैं आपके जरिये गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहता हूं कि एक ऑनरेबल मेम्बर के साथ में यह घटना हुई है। हम यह फील करते है कि हमारे एक सहयोगी के साथ में ऐसी घटना हुई तो व गवर्नमेंट को स्वयं को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और पूरी इन्क्वायरी करनी चाहिए और जो मिस्क्रियेन्ट्स हैं उनको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अगर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है, तो उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए जब तक कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चले।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है मैं खुद अपने आपको उसमें शामिल करता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट ने बेजा कार्यवाही की है किसी माननीय सदस्य के साथ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। यह जब मेरे नोटिस में मामला आया तो मैंने खुद ने ऑर्डर दिया इन्क्वायरी का इस मामले में और मैंने सी.आई.डी. को कहा तहकीकात करे। लेकिन कोई सबूत आता है तो उसमें मैं दखलन्दाजी नहीं कर सकता हूं। क्या सबूत आया है और क्या नहीं आया है या जो कुछ इन्क्वायरी की गई है वह मेरे सामने आई है। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी को ऑर्डर किया गया। यह बात नहीं है कि गफलत की गई हो। मेरे नोटिस में जब यह आया तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के ऑर्डर किये हैं। उसका जो कुछ भी नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी। मैं कह सकता हूं कि किसी को शील्ड करने की बात नहीं आती है। जबर्दस्ती किसी को फांसने की बात नहीं आती है। जो कुछ भी एवीडेन्स से साबित होगा उस पर जरूर कार्यवाही की जायगी। जबर्दस्ती किसी को कर दें, जितना है उतना नहीं करें यह कोई भी सदस्य नहीं चाहेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार श्री लादूराम के स्टेटमेन्ट को या बयान को कि एक हैड

Page No.9

(श्री भैरोंसिंह)

कॉन्स्टेबल ने उनको पीटा है उसको एक हैड कॉन्स्टेबल को मुअत्तिल करने के लिए प्रेलीमिनेरी एवीडेन्स नहीं मानती है कि जिसके आधार पर उसको सस्पेन्ड किया जा सके।

श्री रामकिशोर व्यास : इस बात का एवीडेन्स कहीं नहीं पाया जाता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या माननीय सदस्य का जो बयान है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या एक हैड कॉन्स्टेबल के मुकाबले में एक एम.एल.ए. का स्टेटमेंट कि उनके साथ में एक हैड कॉन्स्टेबल ने ज्यादती की है इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : सस्पेन्शन में पहले डेफिनेट चार्ज देना पड़ता है। डेफिनेट एवीडेन्स देनी पड़ती है। वह एवीडेन्स काफी मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नोट नेसेसरिली। कोई चार्ज की जरूरत नहीं है सस्पेन्शन के लिए। बाद में चार्ज दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट क्यों नहीं एक एम० एल० ए० के बयान को सफिशियेन्ट प्रेलिमिनेरी एवीडेन्स मानकर उसको सस्पेन्ड कर देती है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह सर्कम्स्टान्सेज़ ऑफ एवीडेन्स पर डिपेन्ड करता है। डेफिनिट कोई एवीडेन्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बयान ही नहीं लिये गये तो क्या इन्क्वायरी हुई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने नहीं कहा कि बयान नहीं लिये गये।

श्री भैरोंसिंह : क्यों बयान नहीं लिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह निवेदन किया है कि जहां तक जानकारी है और रिपोर्ट है और उनका नाम है श्री लादूरामजी का तो मैंने कहा कि मैं वेरीफाई कर लूंगा कि आपके बयान हुए कि नहीं हुए।

श्री लादूराम (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मेरे से कोई बयान नहीं लिये गये। बार-बार मैंने सरकार को प्रार्थना पत्र लिखे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच करवाई जाय और मेरे रूबरू कार्यवाही की जाय, लेकिन ६ महीने हो गये और अभी तक जांच नहीं की गई। मेरे साथ बड़ा भारी अन्याय किया गया है। इसमें शक नहीं है कि एवीडेन्सेज़ को बिगाड़ने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। काफी लोगों को इसकी जानकारी है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मेरे पास एक कापी है श्री लादूराम के बयानों की...

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ कि सरकार का एम० एल० ए० के साथ इस प्रकार से इन्जस्टिस होता है कि एक इन्क्वायरी में जो कि ५ दिन में हो जानी चाहिए थी उसमें ६ महीने लग गये, और उस अर्से में भी सरकार एक माननीय सदस्य से कोई इन्क्वायरी नहीं करें, मैं समझता हूं कि इस नीति से गरीबों का प्रोटेक्शन कहीं नहीं है और इस स्थिति में, माननीय अध्यक्ष, मैं आपका प्रोटेक्शन

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

चाहूंगा कि यदि मेम्बर्स के साथ में इस प्रकार से ज्यादती होती रहे तो इस डेमोक्रेसी को यह सरकार इस प्रकार से खत्म कर देगी, जिस प्रकार की घटनाएं दूसरे देशों में भी नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : I have myself addressed the Government on the subject more than once. जैसा कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे खुद तत्परता से इसकी इन्क्वायरी करेंगे इस बात के बाद कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री भैरोंसिंह : आज जब विधान सभा में प्रश्न आया है तो माननीय गृह मंत्रीजी तैयार हो गये, लेकिन कम से कम माननीय मंत्री जी इतना तो विचार करते कि इस सदन के एक माननीय सदस्य होने के नाते वे भी एक प्रकार के कुलीग है और इस डेमोक्रेसी के सूत्रधारों में से एक हैं जिसके साथ मैं इस प्रकार का इन्जस्टिस हो और सरकार कोई इन्क्वायरी नहीं करे और यहां पर उल्टा गोल माल का उत्तर दे। जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, और एक हैड कॉन्स्टेबल के स्टेटमेंट को एक माननीय सदस्य के स्टेटमेन्ट से ज्यादा तरजीह दी जाती है। जिस स्टेटमेन्ट का हाउस रेस्पेक्ट करता है उसका गवर्नमेंट अपने बिजनेस में इस प्रकार से डिस्रेस्पेक्ट करे कि एक हेड कॉन्स्टेबल की तुलना में एक एम.एल.ए, का स्टेटमेंट कुछ नहीं है। एक हैड कॉन्स्टेबल ने इत्तला दी, एक इन्स्पेक्टर ने इत्तला दी या किसी सी०आई०डी० ने इत्तला दी उसको सही मानकर कोई कार्यवाही नहीं करें, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि सरकार की ओर से होती रहे तो एक जबर्दस्त अन्याय होगा उनके साथ में। उस स्थिति में, माननीय अध्यक्ष, मैं फिर आपका प्रोटेक्शन सीक करता हूं कि यह मामला हाउस में डिस्कस किया जाना चाहिए और हाउस के द्वारा इनको डाइरेक्ट किया जाय कि इस प्रकार की इन्क्वायरी करके उस व्यक्ति को सस्पेन्ड किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं, फिर आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर इसमें किसी हैड कॉन्स्टेबल की या किसी और गलती हो।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी कहा कि चिट्ठी दी गई है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह निर्णय तो यहां होगा नहीं कि किसकी गलती है और किस की गलती नहीं है। यह इंक्वायरी की बात है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आपकी इस भावना से सहमत हूं और पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट या हैड कॉन्स्टेबिल की गलती है और उसके खिलाफ कार्यवाही जो कुछ हो सकती है वह की जायगी।

श्री पी०के चौधरी : कब की जायगी ?

श्री लादूराम : मेरे एवीडेन्सेज़ को बिगाड़ने के लिए भरसक प्रयत्न हो रहा है और रोजाना किया जा रहा है और सरकार का इसमें मेरे ख्याल से हजारों रुपयों का पेट्रोल जल गया है। मेरे एवीडेन्सेज़ को बिगाड़ने के लिए पूरी दौड़धूप की जा रही है और मेरे ऊपर बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : I don't think any statement is required.

श्री अध्यक्ष : डॉ० चंद्रकला।

Page No.11

नागौर नगरपालिका द्वारा तांगा लाइसेन्स फीस की वसूल

११७६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नागौर नगरपालिका ने तांगेवालों से १६५५–५६, ५६–५७ व ५७–५८ में कितनी लाइसेन्स फी वसूल की ?

(२) क्या उक्त लाइसेन्स फी वसूल करना बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री)श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) १६५५–५६ में १२५) रु० और ५६–५७ व ५७–५८ में कोई लाइसेन्स फीस वसूल नहीं की ।

(२) जी हां । स्वीकृत नियम न होने के कारण दिनांक १–४–५६ से ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या १६५५ के बाद लाइसेन्स फी वसूल की जा रही है ? और १६५५–५६ में जो वसूल की गई है तो स्वीकृत नियम के विरुद्ध वसूल की गई या कैसे की गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा हो सकता है ।

डॉ० चन्द्रकला : जिस तरह से पहले वसूल किया गया है उसी तरह से इस साल में क्यों नहीं किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक दफा गलती मालूम हो गई कि नियम नहीं है और वसूल करना वाजिब नहीं है, इसलिए वसूल नहीं किया गया ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस गलती को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए नगर-पालिका को आदेश दिये गये हैं ?

प्रश्न संख्या ११८०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नगरपालिका को नियम मालूम हैं, वह अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहे तो नियम बना सकती है । नहीं बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : I have not permitted that question, how can you answer ?

Shri P. K. Chaudhary :

तहसील पंचायत भीलवाड़ा और ग्राम पंचायत मन्सदा

११८१. श्री पी० के० चौधरी(कुलेरा): Will the Minister for Local Self Government be pleased to state.

Is it correct that the Tehsil Panchayat Bhilwara and Village Panchayat Mansda had taken advances from the villagers for allotting plots of land to them nearly three years back, but until now neither plots have been allotted nor the amounts of advances returned to the villagers and the representations submitted by the villagers in this connection bave not even been replied ?

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है ।

श्री पी० के० चौधरी : कब जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में।

श्री नाथूराम मिर्धा : मौका आयेगा तब।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ११८२

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११८३

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष, उनका ऑथोरिटी लेटर मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : ऑथोरिटी नहीं है।

श्री मोहरसिंह : मुझे उन्होंने ऐसी सूचना दी है कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय के पास सूचना भेज दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

शिवदासपुरा में पंचायत का हैड क्वार्टर रखना

११८४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में पंचायत बनाने या पंचायत का हैड क्वार्टर बनाने के निमित्त जनता की कितनी दर्ख्वास्तें आई हैं ?

(ख) इन दर्ख्वास्तों पर क्या विचार किया गया है तथा निर्णय कब तक होगा ?

उप स्वायत शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) सात दर्ख्वास्तें शिवदासपुरा में पंचायत बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं।

(२) शिवदासपुरा पंचायत बनाने संबंधी पत्रावलियां अब तक विचारार्थ सरकार के समक्ष नहीं आई हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा उपयुक्तता के विषय में जांच हो रही है।

जयपुर पॉवर हाउस से जमुआ रामगढ़ जाने वाली हाई पॉवर लाइन का हटाया जाना

११८५. **श्री लादूराम सुलानिया** (दूदू): क्या मन्त्री, विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने जयपुर पॉवर हाउस से जमुआ रामगढ़ जाने वाली हाई पॉवर लाइन के जो कि कबीर मार्ग, बनी पार्क होकर जाती है, हटाने की योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस लाइन को कब तक हटा देगी ?

(३) यदि नहीं, तो सरकार ने इस क्षेत्र में दो मन्जिले मकान बनाने की इजाजत क्यों दी है, जब कि यह लाइन इस दृष्टि से अत्यधिक खतरनाक है ?

(४) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष इस लाइन को हटाया जा रहा था ? यदि हां, तो उसे अभी तक क्यों नहीं हटाया जा सका ?

Page No.13

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) हां।

(२) १९६०–६१ तक।

(३) विद्युत् विभाग मकान बनाने की इजाजत नहीं देता। लाइन के हानिकारक होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(४) इस समय यह लाइन २२ के. वी. है। जयपुर में ५,००० के. वी. का नया सेट लग जाने पर इस लाइन को ३३ के. वी. में बदला जायेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : इस रिपोर्ट में यह बात दी गई है कि यह ६०–६१ में हटाई जायगी तो दो मन्जिल के मकान अधूरे पड़े रहेंगे उस समय तक और उन पर लोगों को बसायेंगे नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : हानिकारक होने की बात है।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष, दो मन्जिले मकान हैं उनकी ऊपर की छत से ८ फीट की ऊंचाई पर वे तार हैं और ६ फीट की दूरी से वे आदमी को अपने आप खैंच लेते हैं और अगर दो फिट ऊपर आदमी चला जाय तो वह अपने आप उनकी ओर खेंचा जा सकता है। इसलिए वे खतरनाक हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : उनमें बारूण्ड वायर लगे हुए हैं इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रशासक, जोधपुर नगरपालिका द्वारा नियुक्ति

११८६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका के प्रशासक ने नगरपालिका के चुनाव के पश्चात् भूतपूर्व एडवोकेट श्री तेजबक्श को निकाल कर उनके स्थान पर श्री भवानीसहाय माथुर को जो कि ६० वर्ष से ज्यादा बूढ़े है, लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) श्री भवानीसहाय माथुर को कितने वर्षों की वकालत का अनुभव है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कार्य सर्विस रेग्यूलेशन के खिलाफ है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त महोदय (श्री भवानीसहाय माथुर) जोधपुर गवर्नमेन्ट सर्विस से सन् १९४९ में करप्शन की इन्क्वायरी के सिलसिले में अलग किये गये थे ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया गया है ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) नगरपालिका के चुनाव से श्री तेजबक्श सुराणा को हटाने का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री सुराणा का काम ठीक नहीं था और उन्हें हटाने का प्रश्न ११-७-५७ से विचाराधीन था। उन्हें १९५८ को हटाया गया और निर्वाचित सदस्यों ने माह जून १९५८ में नगरपालिका का चार्ज लिया। श्री सुराणा को हटाने के पूर्व उनको एक सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। क्योंकि इस रिक्त स्थान को भरना अविलम्ब जरूरी था, अतः श्री भवानीसहाय को, जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, माह अप्रेल १९५८ में नियुक्त किया गया।

(२) श्री भवानी सहाय को कानून का

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

पूरा ज्ञान व अनुभव है योंकि वह वकील, सहायक सरकारी वकील, सरकारी वकील फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सचिव गृह विभाग और कस्टम कमिश्नर रह चुके हैं।

(४) चूंकि इस विषय सम्बन्धी मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए इस विषय में कोई उत्तर देना ठीक नहीं होगा।

श्री पी० के० चौधरी : उनको कौन सा विशेष अनुभव है, क्या करप्शन का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि करप्शन के बारे में उनको सन् १९४९ में सर्विस से अलग किया गया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। उनको कोई चार्जशीट नहीं दी गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको चार्जशीट दिया गया नहीं, प्रश्न यह नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाई कोर्ट तक मामला गया या नहीं ? प्रश्न यह है कि सन् ४९ में उनको करप्शन के चार्ज पर अलग किया गया या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनको सर्विस टर्मीनेट की गई थी लेकिन करप्शन के चार्ज पर नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : किस बिना पर सर्विस टर्मीनेट की गई थी ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : कुछ बिना नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : Here is another mistake

लालसोट थाने में पुलिस कर्मचारियो की कमी

११८७ श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि लालसोट थाने में २३७ गांव हैं और वहां सिर्फ एक सब-इन्सपेक्टर है, न कोई हैड मोहर्रिर है और न हैड गश्ती हवलदार है और न वहां सुतर सवार ही है और वहां सब-इन्सपेक्टर को पैदल दौरा करना पड़ता है ?

(२) क्या सरकार यह महसूस करती है कि एक थानेदार बिना सवारी के २३७ गांवों का पूरा इन्तजाम कर सकता है ?

(३) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :(१) जी नहीं। लालसोट थाने में २४५ गांव हैं न कि २३७। थानेदार के अतिरिक्त १ हैड कॉन्स्टेबल हैं जिनमें ११ कॉन्सटेबल हैं २ सुतर सवार भी हैं इन्सपेक्टिंग ऑफिसर जब दौरे पर जाते हैं तब सुतर सवार का ऊंट काम में लेते हैं।

(२) इस असुविधा को ध्यान में रखकर ही सरकार ने इन्स्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए ३० रु० मासिक फिक्स टी. ए. ऊंट व घोड़ा रखने के लिये मंजूर किया हुआ है

(३) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों की खरीद के नियम

११८८. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

(१) आयुर्वेद विभाग में औषधियों के लिये सामान खरीदने के क्या नियम हैं ? उन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यह क्रय (पर्चेज) किस माह में हो जाना चाहिये था और वहां इस वर्ष तथा गत-वर्ष किस किस माह में हुआ ? इसमें जो देरी हुई है इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास स्वास्थ्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) आयुर्वेदिक विभाग में औषधियों व औषधियों के लिये सामान खरीदने के जो नियम हैं उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(२) नियमानुसार प्रति वर्ष इस क्रय के लिये २५ जुलाई को आदेश प्रसारित हो जाने चाहिये, किन्तु वर्ष ५७-५८ में यह कार्यवाही २५-१-५८ को हुई थी और इस वर्ष ५८-५९ में उक्त कार्यवाही यथा विधि नहीं हो पाई है जिसके निम्नांकित कारण हैं :

५७-५८ में मैनेजर गवर्नमेंट फार्मेसीज, राजस्थान का कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित होने के कारण टेन्डरों के आमन्त्रित करने, उनको खोलने व बाद में तुलनात्मक विवरण बना कर संचालक कार्यालय में प्रस्तुत करने में आशातीत विलम्ब हुआ। फिर सचिवालय की स्वीकृति आने में भी लगभग ३, ४ माह का समय लगा। इस प्रकार जो आदेश २५-७-५७ को देने थे वे २५-१-५८ को दिये गये। वर्ष ५८-५९ में रसायनशालाओं की औषधियों के स्तर को बढ़ाने के लिये स्टोर पर्चेजिंग कमेटी द्वारा द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि व्यापारियों से संचालक कार्यालय में सुरक्षित उत्तमोत्तम सेम्पल्स के अनुसार ही माल लिया जाय। परन्तु व्यापारियों ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुये इस विषय में कुछ हिचकिचाहट की और अनुबन्ध भरने में विलम्ब किया। बाद में अनुबन्ध भर दिये, केवल दो तीन व्यापारियों ने अनुबन्ध नहीं भरा जिसकी वजह से उनसे अधिक दर वाले व्यापारियों के नाम वे आइटम्स पास किये गये और सचिवालय की स्वीकृत हेतु भेजे। किन्तु सरकार ने सम्बन्धित विषय में इन आइटमों के लिये पुनः टेन्डर लेने का निर्णय किया। तदनुसार टेन्डर मांगे हैं और अनुमान है कि जनवरी १९५९ के प्रथम सप्ताह तक इस क्रय के आदेश दिये जा सकेंगे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : स्टोर्स पर्चेजिंग कमेटी किस विभाग की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेडिकल डिपार्टमेंट की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्टोर्स पर्चेजिंग कमेटी का ऑफिस जयपुर में है और मैनेजर फार्मेसी का ऑफिस जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित होने के कारण पर्चेजिंग कमेटी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात नहीं है। वह बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने कारण में यह कैसे बताया कि मैनेजर का ऑफिस जयपुर से अजमेर जाने के कारण प्रभावित हुआ है। स्टोर्स पर्चेजिंग कमेटी का ऑफिस

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर में ही है तो उस पर प्रभाव किस कारण से हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने दो कारण दिये हैं, ५७-५८ के अलग कारण हैं और ५८-५९ के अलग कारण हैं। लेकिन आपने उन दोनों को एक साथ मिला दिया। ५७-५८ के लिये मैंने बताया कि मैनेजर गवर्नमेंट फार्मेसीज राजस्थान का कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित होने के कारण टेन्डरों के आमन्त्रित करने, उनको खोलने व बाद में तुलनात्मक विवरण बना कर संचालन कार्यालय में प्रस्तुत करने में आशातीत विलम्ब हुआ और ५८-५९ के कारण बताते हुए कहा कि रसायनशालाओं की औषधियों के स्तर को बढ़ाने के लिये स्टोर्स पर्चेजिंग कमेटी द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि व्यापारियों से संचालक कार्यालय में सुरक्षित उत्तमोत्तम सेम्पल्स के अनुसार ही माल लिया जाय। किन्तु व्यापारियों ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए इस विषय में कुछ हिचकिचाहट की और अनुबन्ध भरने में विलम्ब किया। बाद में अनुबन्ध भर दिये केवल दो तीन व्यापारियों ने अनुबन्ध नहीं भरा जिसकी वजह से उनसे अधिक दर वाले व्यापारियों के नाम से आइटम्स पास किये गये और सचिवालय की स्वीकृति हेतु भेजे। किन्तु सरकार ने सम्बन्धित विषय में इन आइटमों के लिये पुन: टेन्डर लेने का निर्णय किया तदनुसार टेन्डर मांगे, गये, इससे देरी हुई ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सन् ५७-५८ में स्टोर्स पर्चेजिंग कमेटी नहीं थी।

श्री दामोरलाल व्यास : जरूर होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : होनी चाहिये नहीं, थी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : थी।

श्री भैरोंसिंह: अगर स्टोर्स पर्चेजिंग कमेटी थी तो मैनेजर, फार्मेसीज का ऑफिस स्थानान्तरण हो जाने के कारण किस प्रकार देरी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अगर मेरे जवाब को समझने की कोशिश करते तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : स्पेसिफिक आन्सर दीजिये। ५७-५८ में कमेटी थी तो ऑफिस अजमेर चले जाने के कारण कमेटी पर क्या असर पड़ा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे रहा रहा हूँ आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं ? मैंने अभी जवाब पढ़ कर सुनाया उसको समझने की कोशिश करिये।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं स्टोर्स पर्चेजिंग कमेटी द्वारा न कि इन्चार्ज फार्मेसी द्वारा, इसलिये देरी किस कारण से हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५७-५८ में फार्मेसी के मैनेजर द्वारा टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि ५७-५८ में कमेटी नहीं थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कमेटी थी।

श्री अध्यक्ष : कमेटी थी लेकिन काम नहीं दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : I can only give reply to one Hon'ble member at a time. It is not possible for me to give replies for every member.

श्री जनार्दनराय नागर : आपने फर्माया कि औषधियों का स्टोर बढ़ाने की समस्या थी, मैं जानना चाहता हूं कि औषधियां का स्टोर बढ़ाने की समस्या थी या गुण बढ़ाने की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप गुण समझ लीजिये।

श्री बहादुरसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि टेन्डर सिस्टम न करके सेम्पल सिस्टम करें ?

श्री अध्यक्ष : देरी होने का कारण यही है।

श्री भैंरोंसिंह : ५७-५८ में मैनेजर फार्मेसी द्वारा टेन्डर्स क्यों काल किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस समय यह काम मैनेजर के सुपुर्द ही था।

श्री भैंरोंसिंह : आपने यह कहा था कि ५७-५८ में यह काम स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी के सुपुर्द था ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह कहा था कि ५७-५८ में स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी थी।

कोटा ज़िले में नदी किनारे बसे ग्रामों में आवागमन की असुविधा

१६८६. **रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : १३८ क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा ज़िले के नदी किनारे के अधिकांश ग्राम आवागमन असुविधा के कारण अन्यत्र बसना चाहते हैं ?

(२) इस सम्बन्ध में कोटा ज़िले के कितने ग्रामों के प्रार्थना पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या उक्त जमीन में बसने वाले ग्रामीणों को जमीन का मुआवज़ा देना पड़ेगा ? यदि हां तो, किस हिसाब से ?

(४) यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, कुछ ग्रामवासी ऐसा चाहते हैं।

(२) निम्नलिखित पांच ग्रामों से प्रार्थना पत्र दिये गये : (अ) ग्राम कोलना, तहसील इटावा, (ब) ग्राम जारखडोद, तहसील बड़ोदा (स) ग्राम जोरदा, तहसील बारां (द) ग्राम कराड़िया गुलजी, तहसील बटरू (य) ग्राम सलोनिया, तहसील कनवास।

(३) जी हां, मुआवज़ा सम्बन्धित स्थान की बाज़ारी कीमत के अनुसार दिया जाता है जो प्रत्येक भूमि के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है।

(४) इस पर समाहर्ता कोटा विचार कर रहे हैं और इसलिए कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो लोग अपना स्थान छोड़ कर दूसरी जगह बस रहे हैं उनको सरकार मुआवज़ा देगी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं, सरकार किस बात का मुआवज़ा देगी। सोइल इरोज़न की वजह से वह उस जगह को छोड़ कर दूसरी जगह चले गये। सरकार लैंड का एक्वीजिशन करके उनको देने के लिए तैयार है, मुआवज़ा किस बात का सरकार दे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सोइल इरोज़न को रोकने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिम्मेदारी तो सबकी है। लेकिन सरकार के पास धन की सीमा है और सोइल इरोज़न को एक दिन में रोकना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छुराम।

ज़िला बोर्ड, झुंझुनू द्वारा चालित प्राथमिक पाठशालाएं

११६०. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७ में ज़िला बोर्ड झुंझुनू की तरफ से ज़िले में कितनी प्राथमिक पाठशालाएं चलती थीं ?

(२) इस वर्ष इन पाठशालाओं में से कितनी पाठशालाओं को तोड़ दिया गया ? उनको तोड़ने का क्या आधार रखा गया है ?

(३) सन् १९५७ में चलने वाली समस्त बोर्ड अधीनस्थ स्कूलों की छात्रसंख्या अलग अलग क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ८७।

(२) १८। छात्रों के कम अथवा राजकीय पाठशाला होने के कारण।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, सूची रखी गई है या सूत्री रखी गई है ? (हंसी) मैं जानना चाहता हूं कि सूची रखी गई है या सूची रखी गई है ? सूची के अर्थ सूर्य के हो जाते।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सि.न्तशास्त्री

निर्माण विभाग में इंजीनियरों की नियुक्तियां

११९१. **श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** (आमेर मु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १९५२ से आज तक कितने इन्जीनियर्स की नियुक्तियां उक्त विभाग में की गईं तथा उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या कितनी है ? शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने उम्मीदवार थे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सन् १९५२ से आज तक ८४ सहायक इन्जीनियर्स की नियुक्तियां इस विभाग में की गईं। इनमें शिड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी नहीं है।

श्री मानसिंह : बहुत अन्याय किया गया।

डॉ० चन्द्रकला : उम्मीदवार कितने थे?

श्री अध्यक्ष : उम्मीदवार कितने थे ?

Page No.19

श्री नाथूराम मिर्धा : उम्मीदवार ज़ीरो थे :

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

किशनगढ़ सब-डिवीज़न की पंचायतों द्वारा बीड़ों का ठेका

११६२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ सब डिविज़न, ज़िला अजमेर की किन किन ग्राम पंचायतों ने वन विभाग से बीड़ ठेके पर लिये ?

(२) उक्त बीड़ों को किस-किस पंचायत में कितना कितना फायदा उठा कर बेच दिया ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार पंचायतों के इस प्रकार व्यापार करने की प्रवृत्ति बन्द करने का विचार रखती है ?

पंचायत विभाग उपमंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) १. ग्राम पंचायत बरणा, २. डीडवाना, ३. बांदर सीदरी, ४. डमूक, ५. सिगेज, ६. भराई, ७. सामला, ८. ताजपुरा, और ६. कलेगढ़ ने बीड़ ठेके पर लिये ।

उपरोक्त किसी भी पंचायत द्वारा बीड़ों का फायदा उठा कर नहीं बेचने की रिपोर्ट मिली है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या डिपार्टमेंटल रिपोर्ट आई है ?

श्री दौलतराम सारण : क्या फर्माया, दुबारा फर्माइये ?

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने फरमाया कि बीड़ बेच कर मुनाफा नहीं उठाया है। इस सम्बन्ध में सूचना विभाग से आई है या सूचना नहीं आने के कारण सरकार यह कह रही है ?

श्री दौलतराम सारण : सूचना आई है, इसलिए उत्तर दे रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास फ़ोरेस्ट डिपार्टमेंट की सूचना है या पंचायत विभाग की सूचना है ?

श्री दौलतराम सारण: पंचायत के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दे रहा हूं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव ।

भूपालसागर तालाब की मरम्मत

११६३. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या भूपालसागर तालाब की पाल तीन फीट ऊंची उठाई जा रही है ? यदि हां, तो इसका कार्य प्रारम्भ कब होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : भूपाल सागर तालाब की पाल को केवल डेढ़ फीट ही ऊंची करने का प्रस्ताव है । उसका तखमीना बन चुका है और उसकी जांच हो रही है ।

श्री हरिप्रसाद यादव : क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पाल तीन फीट

(श्री हरिप्रसाद यादव)

ऊंची क्यों बनाई, १५ फीट पानी बारिश का बेकार जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप डेढ़ फीट के लिए कह रहे हैं।

श्री हरिप्रसद यादव : क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय एस्टीमेंट बनाया, उस समय हम सब साथ थे, उस समय तीन फीट के लिए कहा था, उसे डेढ़ फीट कैसे कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्जीनियर्स की राय है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

तहसील पंचायत राजगढ़

श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील पंचायत और कांग्रेस पार्टी का दफ्तर दोनों एक ही मकान में है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह नियमित है?

(३) क्या यह भी सही है कि तहसील पंचायत में कोई भी लेखक या सेक्रेट्री नहीं है और कार्यालय आम तौर पर बन्द रहता है ?

(४) यदि हां, तो अपीलें आदि के लिये आने वाले लोगों को जो बार बार भटकना पड़ता है, उस असुविधा को कैसे दूर किया जावेगा ?

(५) तहसील पंचायत की वार्षिक आय सन् ५७-५८ की कितनी थी और वह किस किस कार्य में कितनी कितनी खर्च की गई ? ब्यौरे की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप मन्त्री पंचायत विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नही।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मोहरसिंह : किस जांच के आधार पर नम्बर १ का 'ना' उत्तर दे रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण: जो विभाग से सूचना मिली है उसके आधार पर।

श्री मोहरसिंह : क्या मंत्रीजी ने जांच की है कि जिस मकान में दोनों दफ्तर हैं, उस मकान का कौन मालिक है ?

श्री दौलतराम सारण : यह पता नहीं, किराया पंचायत से ले लेते हैं इसलिए पंचायत से सम्बन्धित है। पंचायत विभाग से जांच की जितनी जानकारी मिली है वह दे दी है।

श्री मोहरसिंह : क्या आपको यह जानकारी मिली कि एक ही मकान में दोनों दफ्तर हैं और २६ दिन बन्द रहते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं पूछना चाहता हूं कौन सी कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है ?

श्री मोहरसिंह : तहसील पंचायत का।

Page No.21

श्री दौलतराम सारण : तहसील कांग्रेस कमेटी होती ही नहीं है ।

श्री मोहरसिंह : तो फिर तिरंगा झंडा क्यों लगा हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : राष्ट्रीय ध्वज है ।

श्री मोहरसिंह : चर्खे वाला तिरंगा झंड़ा उस पर क्यों लगा हुआ है ?

श्री किशनसिंह : उस दफ्तर पर झंडा है ही नहीं ।

श्री मोहरसिंह : झंडा है, आप जांच करवा लीजिये ।

श्री किशनसिंह : मैं अपनी सूचना के आधार पर कहता हूं उस मकान पर झंड़ा नहीं है । उस मकान में दो-तीन मंडल कमेटियां हैं ।

श्री दौलतराम सारण : तहसील कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के विधान के अनुसार, राजस्थान में कहीं नहीं हैं, फिर राजगढ़ में कहां से आई ।

श्री मोहरसिंह : उस मकान पर झंड़ा है, यह मैं बता रहा हूं और दोनों दफ्तर एक मकान में हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! (श्री हरीप्रसाद यादव से) ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री हरि प्रसाद यादव

मालीखेड़ा, तहसील भूपालसागर का निर्माण

११६५. **श्री हरिप्रसाद यादव** (बल्लभनगर सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

भूपाल-सागर तहसील के मलीखेड़ा तालाब की मंजूरी हो जाने के बाद भी उसका कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ ? अब कार्य प्रारम्भ कब किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): बांध की जगह उपलब्ध मिट्टी में क्षार होने के कारण वह बांध के निर्माण के लिये अनपयुक्त समझी गई, अतः योजना रोक दी गई ।

श्री हरिप्रसाद यादव : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिल की ७०० बीघा जमीन इसमें रोकी गई है ?

श्री रामरामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम ।

कबीर मार्ग मार्केट बनीपार्क में नल की व्यवस्था

११६६ **श्री लादूराम सुलाणिया**(दूदू): क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बनीपार्क में कबीर मार्ग पर बनाया गया मार्केट काफी हद तक बस चुका है ? यदि हां, तो क्या वहां कोई सरकारी नल भी लगाया गया है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों व सरकार अब कब तक वहां सरकारी नल लगायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां । सरकारी नल नहीं दिया गया है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) नगर पालिका या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की इस बारे में कोई मांग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

रम्फ नहर की सफाई-तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

११९७. **श्री नत्थीसिंह** (कामां) : Will the Minister for Irrgation be pleased to state :

(1) Is the Government aware thate in the Pahari Sub-Tehsil. dist. Bharatpur, Ranph Canal from Darwand-Bund to Ramph has not been cleared for about 20 years and is filled up with silt and flood water does not flow through it ?

(2) If so, will the Government arrange for its early clearance so that the Ramph Bund may be filled in time ?

(3) Is the Government also aware that the canal terminates in the area of village Ghaghwari ?

(4) If so, will the Government take steps for its extension till Ramph Bund area ?

(5) Does the Government now that the Ramph Bund stands in urgent need of repairs ?

(6) If so, will the Government arraege for its repairs before the next monsoon ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(1) It is true that Ramph Canal has got silted up and no desitting have been carved out in the past, however during high floods water does pass through Ramph Canal irrigating the area on its either sides.

(2) Necessary steps for silt clearance are being taken but it is also stated that the Ramph Bund fill even without this from the alternative source of Kalthwara Bund.

(3) Yes.

(4) This is not considered necessary as the Ramph Cannel terminates at full tank level of Ramph Bund.

(5) No, only some ordinary repairs are required,

(6) Necessary repairs will be carried out as early as possible.

कबीर मार्ग, बनी पार्क में मकान निर्माण

११९८. **श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू)** : क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि बनी पार्क में कबीर मार्ग पर दोनों ओर मकानों का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या इन मकानों में बसने वाली जनता की सुविधाओं को दृष्टि में रखकर वहां सीवर लाइन डालने का सरकार प्रबन्ध कर रही है ?

(२) यदि हां, तो इस योजना को प्रारम्भ कब किया जावेगा और यह लाइन कब तक पूरी हो जायगी ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) कबीर मार्ग के दोनों ओर मकानों का निर्माण कार्य हो रहा है। उक्त स्थान पर सीवर लाइन डालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) उक्त योजना के अधिनियमों के अनुसार सीवर लाइन नहीं दी जा सकती।

डॉ० चन्द्रकला : इस क्षेत्र की सफाई का क्या होगा, अगर सीवर लाइन नहीं डाली गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरे तरीके हैं सीवर लाइन के अलावा, वे काम में लाये जायेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि जयपुर में दूसरे तरीकों से सफाई नहीं हो सकती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस योजना में सीवर का प्रॉवधान नहीं, इसलिए नहीं डाल सकते।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय अध्यक्ष, दूसरे तरीके कौन से हैं, वहां की आबादी कहां टट्टी जा सकती है। एक मार्ग बना हुआ है, जिसमें किसी प्रकार का एरिया न छोड़कर मकान दिये हैं। एक सीवर लाइन करीब सवाई जयसिंह सर्किल तक बनी हुई है। आपने उत्तर दिया है कि नहीं बनाई जायगी यह सन्तोषजनक उत्तर नहीं है।

गोविन्दगढ़ (अलवर) और सीकरी (भरतपुर) को मिलाने वाली सड़क का निर्माण

११९९. **श्री नत्थीसिंह (कामां) :** Will the Minister for Public Works Department be pleased to state :

(1) Is it correct that there is a regular Bus Service from Alwar to Sikri (District Bharatpur) via Govindgarh ?

(2) Is it also correct that there is no pacca road beyond Govindgarh upto Sikri ?

(3) Is there any scheme to construct a metalled road between Govindgarh (Distt. Alwar) and Sikri (Distt. Bharatpur) ?

(4) If no, will the Government make provisions for the construction of this 5 or 6 miles road ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) Yes.

(2) Yes.

(3) No.

(4) Due to paucity of fund not possible.

भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला बोर्ड डूंगरपुर के नाम बोर्ड की उधार खाते में दर्ज रकम

१२००. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डूंगरपुर ज़िला बोर्ड के बहीखातों में १५,००० रुपये की रकम भूतपूर्व अध्यक्ष ज़िला बोर्ड श्री कूरीचन्द जैन की फर्म श्री क्लॉथ कम्पनी के नाम उधार खाते लिखी हुई है ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने इसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त की ? यदि नहीं, तो सरकार ने सार्वजनिक धन के इस प्रकार दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या कोई जमानत उक्त कम्पनी से ली गई ? अगर नहीं, तो भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है ?

(४) क्या इस प्रकार की कोई शिकायत राज्य सरकार के पास आई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचंद विश्नोई : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं, सरकार की नज़र में यह मामला न आने से कोई कार्यवाही की नहीं गई ।

(३) जी नहीं, भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कूरीचंद जैन की ।

(४) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री ।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के सब-इन्सपेक्टर्स

१२०१. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेरसु) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में पुलिस विभाग में इस वक्त सब-इन्सपेक्टर्स की कितनी संख्या है ?

(२) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों में से हैं ?

(३) अप्रैल सन् १९५२ से १९५८ तक कितने व्यक्ति शड्यूल्ड्स कास्ट्स में से सब-इन्सपेक्टर्स बनाये गये ?

(४) उनमें से कौन कौन तथा कहां कहां हाउस स्टेशन ऑफिसर का काम कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) १३४३.

(२) इनमें से १७ अनुसूचित जातियों के हैं ।

(३) अनुसूचित जातियों के १० आदमियों को सन् १९५२ से अप्रैल १९५८ तक सब इन्सपेक्टर के पद पर भरती किये गये ।

(४) इनमें से सिर्फ चार एस. एच. ओ. का कार्य कर रहे हैं :

१. श्री झामनलाल, एस. एच. ओ. पुलिस थाना तेहला ज़िला अलवर ।

२. श्री लीलाराम एस. एच. ओ. कोटकासिम ज़िला अलवर ।

३. श्री मोहनलाल एस एच. ओ टीबड़ी ज़िला चुरू ।

४. श्री दुलीचन्द एस. एच. ओ. जैपला जिला कोटा ।

प्रश्न संख्या १२०२

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

झुंझुनू जिलों की बसों की जांच

१२०३. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू ज़िले में जो बसें चलती हैं क्या वह सब ठीक हालत में हैं ?

(२) किस किस रूट पर चलने वाली बसों की जांच कब कब और किस अधिकारी ने की ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) नहीं।

(२) मैकेनिकल इन्स्पेक्टर ने सभी रूट्स पर चलने वाली बसों की जांच जुलाई व अगस्त १९५८ में की हैं।

श्री शिवनाथसिंह : इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि बसें ठीक हालत की हों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको अनफिट कर देते हैं, उसके बाद बस की रिपेयर्स करने का हुक्म दे देते हैं, मियाद दी जाती है अगर हुक्म का पालन नहीं करते हैं तो पर्मिट कैंसिल कर देते हैं और दूसरे को देते हैं।

प्रश्न संख्या १२०४

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थिति,कृपया आगे देखिये)

श्री सूबेदारसिंह।

पार्वती बांध (धौलपुर) का निर्माण

१२०५. **श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर सब डिविज़न में पार्वती बांध के पूरे होने की अन्तिम तिथि क्या थी ?

(२) उक्त बांध से कितनी ज़मीन की आबपाशी होगी ?

(३) आजकल बांध पर कितने आदमी काम कर रहे हैं तथा इतने ही काम करने वालों से बांध कब तक पूरा हो सकेगा ?

(४) क्या बांध निश्चित समय में बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक बन सकेगा ?

(५) बांध पर कुल कितना रुपया खर्च होना था, तथा कितना हो गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) धौलपुर-सब डिविजन में पार्वती बांध के कार्य भिन्न भिन्न भागों में पृथक पृथक ठेकेदारों को दिये गये थे तथा सम्पूर्ण होने की तिथियां निम्न प्रकार थीं।

(क) प्रथम खण्ड अक्टूबर १९५४. (ख) द्वितीय खण्ड जुलाई १९५५ (ग) तृतीय खण्ड जुलाई १९५५।

(२) उक्त बांध से ३५००० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

(३) आजकल बांध पर कोई विशेष काम नहीं चल रहा है। कार्य शीघ्र चालू होने वाला है और करीब एक वर्ष में पूरा हो जावेगा।

(४) जो समय अब निश्चित किया है उसमें पूर्ण होने की आशा है।

Page No.26

(श्री रामकिशोर व्यास)

(५) बांध पर करीब ८२ लाख रुपया खर्च होना था तथा अब तक करीब ७० लाख रुपया खर्च हो चुका है।

श्री सूबेदारसिंह : ठेका पूरा बनाने का दिया गया था या अधूरा बनाने का ?

श्री रामकिशोर व्यास : पूरा बनाने का दिया था पर कन्ट्रेक्टरों के इन्टर्प्रिटेशन में फर्क पड़ गया था, इस लिये दुबारा टेन्डर इन्वाइट किये गये।

श्री सूबेदारसिंह : क्या यह सही है कि जो कार्य उन ठेकेदारों को करना चाहिये था वह नहीं किया और इस कारण गवर्नमेंट ठेकेदारों के बीच झगड़ा खड़ा हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी हद तक सही है, जिस वक्त ठेका दिया गया था तो रेट्स चीप थी और अब मंहगी हैं।

श्री सूबेदारसिंह : क्या यह सही है कि रौक कटिंग का ठेका दिया गया था वह शिड्यूल से कहीं ज्यादा दिया गया, और उन्होंने नीचे का काम किया और ऊपर का छोड़ दिया इस कारण कार्य पूरा नहीं हो सका ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया न कि उनके बजाय दूसरे टेन्डर इन्वाइट कर लिये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

पंचायत विभाग के इन्सपेक्टरों के विरुद्ध एम्बेजलमेंट केसेज़

१२०६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचायत विभाग में ऐसे कितने इन्स्पेक्टर्स हैं जिनके विरुद्ध ५ से अधिक एम्बेजलमेंट केसेज़ चल चुके अथवा चल रहे हैं ? उनके नाम तथा उनके विरूद्ध कितने केसेज़ व कितनी धनराशि के केसेज़ हैं ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि एक पंचायत इन्स्पेक्टर के विरुद्ध लगभग ५० हजार रुपये के रिश्वत लेने का मामला भी सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो विभागीय जांच का क्या परिणाम निकला ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी नहीं। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : ५ से कम के कितने हैं ?

श्री दौलतराम सारण : अलग से प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

चाकसू-फागी सड़क का निर्माण

१२०७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चाकसू से फागी तक सड़क बनाने का काम कब आरम्भ हुआ ?

(ख) चाकसू से डाबच तक की सड़क

Page No.27

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

पर केवल मिट्टी ही डलवा कर काम क्यों स्थगित कर दिया गया ?

(ग) क्या सरकार इस सड़क को बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ३१-३-५४ ।

(२) ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया !

(३) हां, १९५९ के अन्त तक ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, बाड़मेर द्वारा चद्दरों के पर्मिट

१२०८. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५७-५८ में बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने २० बंडल से अधिक किस किस व्यक्ति को नालीदार चद्दर के पर्मिट दिये ?

(ख) प्रेम ऑइरन स्टोर्स, बालोतरा को कुल कितने बंडलों के पर्मिट दिये गये ? क्या यह सही है कि बालोतरा में इस प्रकार की कोई फर्म नहीं है ?

(ग) पाली उद्योग नामक फर्म को कुल कितने बंडल के पर्मिट दिये गये ?

(घ) २० से अधिक बंडल के पर्मिट देने के क्या कारण हैं और क्या यह जांच की गई कि उन बंडलों का सदुपयोग किया गया ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक ।

प्रश्न संख्या १२०९

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२१०

श्रीमती गंगादेवी

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर

जिला उदयपुर के तालाबों की मरम्मत

११८२. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) निम्नलिखित तालाबों की कब स्वीकृति हुई :

(अ) फीला, ज़िला उदयपुर, तहसील गिर्वा ।

(ब) बनौडा, ज़िला उदयपुर तहसील सलूम्बर ।

(स) मालपुरा, ज़िला उदयपुर, तहसील सलूम्बर ।

(द) मानपुरा, ज़िला उदयपुर, तहसील सलूम्बर ।

(२) इनका कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं ?

Page No.28

सिचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) (अ) टेक्निकल सेक्शन १६ दिसम्बर १६५७ ।

(ब) टेक्निकल स्वीकृति की कार्यवाही ज़ारी है ।

(स) टेक्निकल स्वीकृति की कार्यवाही ज़ारी है ।

(द) टेक्निकल स्वीकृति की कार्यवाही ज़ारी है ।

(२) फीला तालाब के टेन्डर पहले तीन बार मंगाये गये थे । परन्तु रेट ऊंचे होने के कारण अस्वीकृति कर दिये गये । चौथी बार जो टेन्डर आये हैं इनकी स्वीकृति विचाराधीन है ।

बनोड़ा, मालपुरा एवं मानपुरा तालाबों की अभी तक टेक्निकल स्वीकृति नहीं आई है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह स्वीकृति कब तक आ जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी ही आ जायगी ।

श्री पी० के० चौधरी : यह स्वीकृति आप देते हैं या और कहीं से आती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : टेक्निकल स्वीकृति एक्सपर्ट्स देते हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सही है कि फीला तालाब की स्वीकृति ५६ में ही हो गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया न कि टैन्डर भी स्वीकृति हो गये ।

श्री जनार्दनराय नागर : स्वीकृति आ गई पर विधिवत् जो कार्य होना चाहिये, वह नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया न कि टेन्डर इन्वाइट कर लिये, वे स्वीकृति भी हो गये हैं और जल्दी ही कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

श्री पी० के० चौधरी : एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन कब आई ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, ११७५ बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या इम्पोर्टेन्स है ?

श्री भैरोंसिंह : ११०० रुपया का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला : १२०४ बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : हैल्थ मिनिस्टर ।

उप तहसील मंडरायल में अस्पताल भवन एवं डॉक्टर का अभाव

१२०४. **श्री उम्मेदीलाल (करौली)** : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि उप-तहसील मंडरायल में अस्पताल के भवन तथा डॉक्टर का अभाव है और न वहां दवाओं का ही ठीक इन्तजाम है ?

Page No.29

(श्री उम्मेदीलाल)

(२ यदि हां, तो यह अभाव कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

(३) क्या वहां कम्पाउन्डर के खिलाफ जनता की शिकायतें हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) मंडरायल डिस्पेन्सरी के लिये भवन मौजूद है, परन्तु पुराना है । डॉक्टर वहां अभी नहीं है परन्तु दवाइयों का कोई अभाव नहीं है ।

(२) डॉक्टर के निवासस्थान के लिये वहां न तो कोई सरकारी भवन ही उपलब्ध है न किराये पर ही मिलता है, इसलिये वहां के लिये डॉक्टर की नियुक्ति फिलहाल नहीं की जा सकती ।

एक माननीय सदस्य : हरि ओम् तत्सत् ।

(हंसी)

(३) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

डॉ० चन्द्रकला : बिना डॉक्टर के दवाओं का काम कैसे होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां सीनियर कम्पाउन्डर है और वह दवाइयां देता है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या वहां के लोगों को सीनियर कम्पाउन्डर की सेवाओं की ही आवश्यकता है और डॉक्टर की आवश्यकता नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां डॉक्टर पहुंचा तो सरकारी मकान तो था नहीं, उनको बैठने के लिये मकान नहीं मिला और मजबूर हो कर वह वहां से चला आया, कोई मकान उसे वहां किराये पर रहने को नहीं दिया । अब मैडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर के मकान के लिये २०००० की मंजूरी हो गई है, जब मकान बन जायगा, तब डॉक्टर चला जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला : १२१० का उत्तर दे दें ।

अलेक्जेन्डरा अस्पताल, अलवर के नये वार्डों का ठेका

१२१०. **डॉ० चन्द्रकला** (श्रीमती गंगादेवी डाटा की अनुपस्थिति में) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अलवर अलेक्जेन्डरा अस्पताल के नये वार्डों का ठेका कब और कितने रुपयों में दिया गया था और वे बन कर कब तक तैयार हो जायेंगे ?

(२) जिले के अस्पतालों में दवाइयां पिछले वर्ष सप्लाई करने की क्या व्यवस्था थी ? क्या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है । यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) अलेक्जेन्डरा अस्पताल अलवर के नये वार्डों का १२०००० रु० का ठेका फरवरी १९५८ में दिया गया था । पूरा काम मार्च १९६० तक समाप्त होने की सम्भावना है ।

(२) जिले के प्रत्येक अस्पतालों के वार्षिक इन्डेन्ट पिछले वर्ष जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में एकत्रित किये गये

तारांकित प्रश्नोत्तर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

थे तथा दवाइयों को सामूहिक रूप में मंगवा कर जिले के अस्पतालों को भेज दी गई थीं। इस वर्ष भी दवाइयां भेजने का वही नियम है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार इस अस्पताल के के नाम का संशोधन करने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अस्पताल के नाम बदलने का सवाल तो इस सवाल से पैदा नहीं होता, ठेका देने का पूछा वह बता दिया। नाम बदलने का सरकार के विचाराधीन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.६ म० प०

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक १६५८

(अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारित)

सदन के समक्ष प्रस्ताव है कि इसे पारित किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir, before I deal with the provisions of this Bill, I would like to draw the attention of the Hon'ble Mininster first to the necessity of abolihing the intermediaries in Rajasthan, so that when they are abolished and when we have passed this Bill, the zamindars and biswedars, who have been holding way over the rural scene uptil this day, may not feel aggrieved, may not feel hurt.

I start by saying that a certain institution, if it was a necessity of the past, the Hon'ble Members will bear with me that its abolition is the necessity of the present. The British imperialism created the zamindari or biswedari system as a replica to the British tenantry with the hope that the zamindars and biswedars of Rajasthan or, for that matter, all over India would act as progressive farmers like their British counterparts. But unfortunately what was expected of them, they did not live to it. Yet, because it was essential that there should be some machinery for the collection of land revenue which is the principal source of income in the un-developed countries, the zamindars continued in Rajasthan and continued to collect land revenue and certain taxes and out of these collections they also continued ae to derive certain benefits. As time passed, they acquired certain supposed rights of property or vested interests in the land and these revenue collecting agencies, whether you call them property holders or as biswedars or maaliks-whichever name you may give them, they continued as tax collectors. But with the growth of revenue machinery and administration on more scientific lines, the need of such revenue collectors was no longer felt by the State. Moreover, Sir, the claims of the non-tillers which were settled permanently by British imperialism did not need to be supported in the present set-up. The British as foreign power had a need that it should have certain pillars to support its rule. But in the changed circumstances of democracy, when

Page No.31

(श्री श्रीमानसिंह)

Government rates with majority vote, the support of such pillars is no longer required. In domocray, with its slogan of equality and dignity of labour, what is needed is a re-distribution of income in favour of the masses and this re-distribution of income needs a certain change in our rural pattern, in our agrarian structure. With a view to aedchieve socialism, euqality and dignity of labour, with a view to associate and indentify work with the ownership of land with view to close or bridge the gap that was created by ownership of land without work which resulted in the creation of class barriers and social antagonism in the rural scence, to abolish all this it was incumbent, it was necessary and it is also in answer to the demands of the people that the intermediaries, by which ever name you call them, whether zamindars or biswedars, whatever rights or titles they had should go and should go once for all. That is why it is very necessary that this Bill be passed expeditiously. I also hope that the Government will implement it also very expeditiously so that the fruits of toil should belong to the tillers of the soil and the intermediaries should no longer be in a position to exact these fruits.

While I am aware and all the House is aware that certain injustice will result to certain sections or rural society, but Sir, I must request that despite this injustice they must tolerate it in the interest of the greatest good of the greatest number and from being exploiters they should now have a utilitarian attitude. It is in the fitness of things that they must no longer remain as parasites or as functionsless intermediaries but they should share equally the burden of work and their income and recognise the dignity and prestige of common men, their brothers, the tillers. They must no longer regard themselves as belonging to superior class or having a superior social status, but they must identify themselves with the people with whom they live and whom they have been exploiting to this day. They should think the Government that it has forced them to be free. It has relieved them of the onerous responsibility of collecting land revenue for the Government and yet to be labelled as intermediaries or exploiters, zamindars or biswedars. These terms are no longer required in this century, They have no respect. These institutions have outlived their usefulness and it is better that in answering the call of the time we must, and I would request all those who are hurt by this measure, to discard these and become one with their fellowmen.

Seeing that the existence of intermediaries was a great impediment in our economic progress, when the Congress Government came to power, it embodied socialism as its goal or ideal and a planned development of economy. In that case the rural economy which was remaining uptil

(श्री श्रीमानसिंह)

this day stagnant and unresponsive, which was to this day checking the development and progress of our country, had to be changed in a manner that suits the dynamic needs of a growing population, a population whose standard is daily rising, a population whose incomes and needs are multiplying. In order to fulfil the growing needs of a growing population, it is necessary and vital for our progress that a new type of agrarian structure must be introduced and the old type either eradicated or renovated in a manner that helps in our industrial progress. The old structure was a great drawback because the non-tiller or the intermediary was taking the greatest part of income. In the heirarchial system of tenancy that existed uptil this day, at the head was the zamindar and below was the sub-tenants and then there were the landless peasants. One who was at the top took the maximum fruits and those people who were below in the ladder got the least. In order to do away with this systhm, it was necessary that those who stood between the Govrenment and the actual tillers they must be removed and removed as early as possible from the economic and social fronts and it is also a great justice to the great masses, the great peasantry that uptil today continued to exist in the zamindari areas.

Now Sir, coming to the main points of the Bill itself, I must observe that in the definitions, the definition of zamindars and biswedars is rather comprehensive and I cannot say with confidence that this definition will be twisted. My fears are doubled when I look to the Ganganagar area. There I am not sure, and neither the report was clear about it, whether the zamindars of Ganganagar area actually come under this definition. Whether they are biswedars or zaminders or they are something, if I may say so, peculiar to that part and whether they need a separate treatment in this Bill or not. That is upto the Hon'ble Minister, but looking to their grievances, to the work, and to the owner-cultivation pattern that prevails in Ganganagar, I am of the opinion that they need separate treatment, because they are not intermediaries, they are sort peasant proprietors.

But if the definition does injustice to the Ganganagar side, I am sure that it does justice to other districts. The districts of Bharatpur, Alwar and Kotputli, if there is no mistake in the definition, in these districts, the mistake of the definition lies in this that it certainly does justice to the tenants who were uptil this day under the zamindari area and on that side the utility of this comprehensive definition can be explained. But it would have been better, after having made Jagirdari Acts and Tenancy refroms, that the Government should have struck upon a certain type of definition of intermediary and cultivator. Sir, this

(श्री श्रीमानसिंह)

comprehensiveness of the definition explains, and the Hon'ble Minister will excuse me saying so that there is not a clear picture before the Government or the officers as to who is intermediary. In some places there are zamindars and biswedars who are as such only in name. At these places they have this name but their position, their work, their occupation and their living all coalesce with the tenants of the adjacent areas. Therefore, if we had tried to come to a certain definiton as to whom intermediaries, then we would have been in a better position to define precisely as to who could be called zamindar or biswedar. The criterion that is kept in the definition is one criterion and that is 'whoever is recorded as such'. Where a tenant has been recorded as such he will be declared as intermediary. Where a tenant has been recorded as a biswedar in records he will be termed as biswedar. But our purpose our aim is not to abolish those who are recorded as zamindars or biswedars in the records, but those who draw their substinecre from the land without contributing their labour towards the production. They draw their income by paying the land revenue to the Government and by taking the same from the tenants. Whoever is in this position in Rajasthan is an intermediary and whoever cultivates his land by his personal labour is a cultivator though he may have the misfortune of being recorded as a zamindar or biswedars or in any other name. That is immaterial. If we had struck upon this criterion, it would have been very easy for us to do justice to everyone. But that was not done. The work criteria was not evolved with the result that we have given a definition that is comprehensive and which is just in one part and unjust in other part. These contradictions have arisen due to comprehensiveness of the definition Whether our objective will be achieved, it will depend upon time and work. But as it is, I cannot predict as to what will be the repercussions or consequences of such a comprehensive definition as given in this Bill.

Sir, the most important part of this Bill is the vesting provisions. I will not take much time of the House because other members would like to speak. The vesting provisions are, Sir, the crux of the Bill, the pivot on which the whole Bill depends because in the vesting provisions we abolish the intermediaries and their rights are taken away by the State Government.

Seeing to the vesting provisions, it was a disappointment for me to see that Government has kept different dates for resumption of different zamindaries and biswedaries. I was of the opinion that since the survey and settlement have taken place there was no reason as to why zamindaries and biswedaries in Rajasthan may not be resumed on one date. It may lead to two kinds of injustice.

(श्री श्रीमानसिंह)

If the Government notifies the resumption of zamindaries and beswedaries in Bharatpur and Alwar then the tenants of Kotputli and Garganagar will feel aggrieved that they have not been relieved of the burden of zamindari or biswedari. Then the other kind of injustice will result that the intermediaries of resumed zamindaries and biswedaries will feel that they have been discriminated against, when their other brothers are continuing at other places. Then the powers have also been taken by the Government that even is the resumption date has been published in the Gazette, the Government can vary it. I do not see the necessity of this provision, the varying of these resumption dates. I we want to achieve a certain thing we should achieve it in one stroke. We should not proceed in our land reforms haltingly, because haltingly we will not succeed in doing away with them. We are now embarking on the Third Plan and we have to create those conditions in our rural economy that will fulfil the needs, the demands and resources of the Third Plan, and that can only be done when we restore similar conditions in all parts of Rajasthan. Then while the provisions of the vesting clause are quite comprehensive, an exception has been made and this exception has been mad in case of khudkasht land on which sub-tenants can be kept and which are declared as the private properties of the zamindars and biswedars. The provision of private property and khudkasht land is a provisions on which depands the success or failure of our land reforms. It may be just to give them land, it may be just to permit these zamindars and biswedars to have sub-terants on their khudkasht land, but Sir, on the one hand we started and we brought this measure with the idea and objective that those who had nothing to do with cultivation of land will not remain on the land, will have nothing to do with future cultivation or with land But Sir, there are contradictions. On the one hand we abolish them and on the other hand we want to keep and maintain them on the land and to allow them to derive their sustenance from land, and they are permitted to sub-let. Then those very people whom we wanted to remove, we abolish them in part and accept them in another part and in that part in which we accept them as intermediaries, then I will not be wrong if I say that we are back where we started. In that part where we admit that they can charge rent from the sub-tenants and they will pay land revenue to the State Government, then the same very structure which we wanted to abolish remains there, The equality and dignity of labour which we wanted to create are not created. I need not give comprehensively as to what sort of structure will prevail, but this is the greatest escape clause which may be a hinderance to our successful implementation of the land reforms.

(श्री श्रीभानसिंह)

As regards compensation, compensation and rehabilitation has already been provided but my grievence still stands that as regards compensation the smaller zamindars have not been treated well, though, of course, the Hon'ble Minister has been very kind to give them rehabilitation grants. But still I am of the opinion that compensation should also have been on a sliding scale to do justice to those zamindars who, as I depointed out, are zamindars only in name but in actual fact they are tenants, their position, their status, their work and their living is just that of a tenant. To these and other smaller zamindars it would be injustice to pay them the same compensation which the bigger zamindars will be getting.

As regards bonds, I have nothing to say, but this much I will request the Hon'ble Revenue Minister that these bonds to smaller zamindars and biswedars should be negotiable or against them the zamindars and biswedars should be able to get money from Rajasthan Financial Corporation. Seeing to the development of our economy, I find that there is shortage of small consumer industries and these zamindars and biswedars who wish to start these consumer industries and like to pledge their bonds with the Rajasthan Financial Corporation they should be given encouragement to start these consumer industries so that the inflation that is prevailing in our country may be checked. This pledging of bonds with Rajasthan Financial Corporation will serve three purposes. On the one hand it will rehabilitate the zamindars, secondly, there will be consumer industries of which we are in great need today, and thirdly it will check the inflationary trend that is prevailing in our country. The Hon'ble Revenue Minister has dropped the idea of entrusting the work of land reforms to the village panchayats. I am very glad that certain provisions of U.P. and other States are there, but the one good point that is in this Act is that this work has been entrusted to the revenue agencies who are experienced and intelligent and from whom a certain impartial judgement will be expected. If it had been given to Gaon Samaj's or such bodies, then there was reason to believe that there might have been a certain amount of injustice to the cultivators. But now the cultivator can look forward with confidence that their rights will be safeguarded and are safe in the hands of revenue administration.

One thing which should have been incorporated in this Bill was a 'debt reduction' clause for the zamindars. While similar provisions have been made for the jagirdars of Rajasthan, I am unable to understand as to why this differentiation has been made against the zamindars or biswedars. They incurred certain debts for enhancing the productivity of land, they incurred it because at that time

(श्री श्रीमानसिंह)

the value of land was high. After this Resumption Act, after the abolition of zamindars and biswedars, the value of land is going to fall and in these circumstances they will not be able to pay the debt that they have incurred. The amount of compensation we have given them is at a flat, i. e. 8 times, and those smaller zamindars or biswedars who have incurred debts, I am sure will neither benefit much by the rate of compensation nor from rehabiliation grants and the debts which had either been inherited by them or which had been incurred by them, they will hang on and they will not be able to reply hem back. So a 'debt reduction' clause should have been incorpoiated in this Bill and I request the Hon'ble Minister to bring subsequent legisation for that purpose as he has brought for jagirdars.

In the end Sir, I must draw the attention of the Hon'ble Minister and of this House that we have abolished the intermediaries but the question still remains whether after abolishing them we have achieved our objective. The consequences of this abolition will be that firstly, a direct contact of the Government will be established with the tillers; secondly, the Government will collect the land revenue directly from the tenants. Thus after having abolished the individuals the State as landlord steps in and a system of Ryotwari will be introduced in the Zamindari areas. Introduction of Ryotwari system is not the thing for we have legislated. All our demands and expectation are nor met by the establishment of a direct contact of the tillers with the Government. I think these are not the purposes for which we are legislating or the purpose for which we are abolishing intermediaries. Out aim still remains to be fulfilled, because if we see to the ryotwari areas, the same type of things exists as in the zamindari areas. There is the tenant, the occupancy tenant and below him the sub-tenant and other types of tenants. This same system will come back by back door. If that vary zamindar comes back in the name of Ryotwari system under the direct contact of the Government, then our objective is not fulfilled. The main problem of rural area will not be solved. I will not allude to the ceilings, but there are certain things that should have been preseived, kept on the rural scene. These are that the main problem of the rural people is not abolition of intermediaries. Whether Mr. Singh collects that land revenue or the State Government collects it, the rural people are not concerned. They want certain relief and it is relief from the land revenue that they want. We have not granted them that relief. The tenants of the zamindari area will be paying 3 times the land revenue to the State Government and at present also what the zamindars of Alwar and Bharatpur charging? They are charging the same 3 times land revenue which will be transferred now to the Government.

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री) Not exactly, On a point of information, Sir I may add here that we have made a provision that it will not exceed twice the amount. It is already there, perhaps in Section 28 or 29....

श्री श्रीमानसिंह: Even two times Sir, but they will be paing two times; there may be some progressive zamindars who might be charging two times. So they will be paying two times to the State Goverment; but is charging two times the land revenue from all the tenants justified ? There may be certain tenants who may be having an uneconomic holding and small holding. From them probably these two times will be an exaction.

Thus after introducing this system, the State has replaced the individual that has been achieved by this Bill, but whethere this is all that we want to achieve ? What we want to achieve is, as I started in the beginning, that the agricultural econemy should fulfil our expectations and resources for our industrial development; that the agricultural economy must co-operate with our industrial economy. This is the object we want to achieve. We want to feed our teeming millions, we want to provide them employment, we want to provide them work and living, and that is the crux of the problem, The people want work, they want living and they want a certain economic unit. They want credit and they want to work on their own land. All these problems will remain after they have abolished the intermediaries. Thvs the Government will have to be vigilant in order to check that the intermediaries may not stage a come back and they are bound to come back when we have accepted in this very Bill the principle of non-tiller. We brought this legislation to abolish those who do not till the land but when we have pased the Bill we accept that very principle that who is not a tiller will be granted khudkasht and he can have a sub-tenant. So we have ro safeguard against this principle of non-tilling which we have accepted unfortunately. We should safeguared against the zamindars lest these may be the same people who may come back in another form and bring the failure of our land reforms as they have done in the other States. This is the warning I wanted to give.

As about the Bill, I have said that in parts it will do justice and in parts it will do injustice, but in majority of cases it will do justice. Those who feel aggrieved, they must find solace in this that they must identify their good with the good of the society and the good of the nation.

With these words I commend to this House that this Bill be passed expeditiously and also will request the hon. Minister to expeditiously implement it.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) ; माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबॉलिशन बिल, जिसका इस समय तृतीय वाचन हो रहा है, इस प्रकार

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

का कानून है जिसकी प्रतीक्षा लगभग दस वर्षों से की जा रही थी।

हमारा देश जिस समय आजाद हुआ उस समय से लेकर आज तक बराबर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा था कि जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन संस्थाओं के द्वारा या जिन व्यवस्थाओं के द्वारा लैण्ड के एक्चुअल टिलर का शोषण होता हो उनको तुरन्त बन्द किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की खुशी है कि राजस्थान में जो इस प्रकार की तीन व्यवस्थाएं थीं उनमें से दो बहुत पहले समाप्त हो चुकीं। एक जागीरदार रिज़म्प्शन एक्ट के द्वारा राजस्थान की समस्त जागीरें खत्म की गईं। अजमेर के इन्टरमीजियरीज़ एबॉलिशन एक्ट से इस्तमुरारदार समाप्त किये गये और आज यह तीसरा कानून है जिसके द्वारा राजस्थान के अन्दर रहे सहे मध्यम मार्गों की जो व्यवस्था थी उसको भी हम समाप्त करने जा रहे हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान विधान सभा का यह सत्र इस कानून को पास करके एक ऐतिहासिक सत्र बनेगा। मैं तो यह भी कहना चाहता था कि जिस प्रकार से सदन के नेता कई बार कहा करते हैं कि उन्होंने जागीरदारी रिजम्प्शन करके काश्तकारों को जिस शोषण से बचाया है वह उनका कार्य सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला है और एक इतिहास को बनाने वाली बात है। मैं समझता हूं कि यदि थोड़ा बहुत इस कानून को भी सुधार कर माननीय राजस्व मन्त्री महोदय इसे पास करवाते तो शायद वह भी खड़े होकर कभी यह कहने की हिम्मत कर सकते थे कि मैंने भी राजस्थान में जमींदारी को समाप्त करके सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाली बात की है।

लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि जिन सात वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उन्होंने जिस प्रकार से यह हिम्मत की है वह भी सराहनीय है और सदन को उनके इस प्रकार के कार्य की सराहना करनी चाहिये।

यह बात सही है कि राजस्थान के जमींदार उतने घातक नहीं थे, उनके द्वारा उतना शोषण नहीं होता था, जितना राजस्थान में जागीरी सिस्टम से हो रहा था। परन्तु यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि राजस्थान के अन्दर जहां हम डेमोक्रेसी को पनपाना चाहते हैं उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार हम शोषण करने वालों को समाप्त करना चाहते हैं, वह चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, चाहे कम क्षेत्र में प्रभावशाली हो, चाहे अधिक क्षेत्र में उसका प्रभाव हो, हमें एक अपने सिद्धान्त के अनुसार उन सभी बातों को समाप्त करना चाहिये जिनके द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं होती हों।

सबसे पहले जिस समय जागीर रिज़म्प्शन एक्ट पास हुआ था तो काश्तकारों में इस बात की खुशी मनाई गई थी। वह इसलिए नहीं कि कानून बना था बल्कि उस कानून के जरिये जो उनका शोषण हो चुका था, उसको लेकर राजस्थान के काश्तकार वर्ग में एक प्रकार की खुशी की लहर दौड़ी थी। मैं ऐसा समझता था कि जिस प्रकार की खुशियां राजस्थान के काश्तकारों ने जिस प्रकार की खुशियां अजमेर के काश्तकारों ने उन दो कानूनों के बनने के बाद मनाई थीं उसी प्रकार की खुशी जमींदारी या बिस्वेदारी एबॉलिशन

(श्री भैरोंसिंह)

कानून से प्रभावित काश्तकार वर्ग मनावेगा। मैं ऐसा समझकर चलता हूं कि जिस प्रकार की रिपोर्ट सन् ५६ में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने पेश की थी, उसके अनुसार यह ऐसा लगता था कि शायद सरकार कहीं यह इरादा न कर ले कि जमींदारी प्रथा को समाप्त नहीं करना है। उन्होंने अपने एक पैराग्राफ में इस बात की ओर संकेत भी किया था कि राजस्थान में जितने भी एग्रेरियन रिफोर्म्स हुए हैं और जितने भी इसके प्रगतिशील कानून बने हैं उन सबके द्वारा इस जमींदारी और बिस्वेदारी सिस्टम को काफी इनइफेक्टिव कर दिया है और वह आज बिल्कुल हार्मलैस होने की स्थिति में है। लेकिन इतना लिखने के बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि सन् ५६ में रिपोर्ट करने के बाद चाहे दो वर्ष का समय निकल जावे, ५८ में वह कानून बना और अब आशा भी की जाती है कि वह तुरन्त लागू होगा।

लेकिन जो इस कानून के अन्दर राजस्थान के जो अन्य दो कानून बने थे उनके उपरान्त एक जो नई बात रखी गई है, वह मैं ऐसा समझता हूं कि विधान सभा के जो अधिकार काश्तकार को शोषण से बचाने के थे, कहीं आगे चल कर ऐसे अधिकार जो सरकार ने लिये हैं, उनका दुरुपयोग न हो जावें।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जागीर रिजम्पशन एक्ट देखें, अजमेर का इन्टरमीजियरीज़ एबॉलिशन एक्ट देखे, इन दोनों में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखेंगे जिसमें यह अधिकार हाथ में सरकार ने लिया हो कि सरकार जिस एरिया में चाहे एक नोटिफिकेशन के जरिये वहां की जमींदारियां समाप्त करें। राजस्थान जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट में यह व्यवस्था है कि सरकार जागीरदारियों की कैटेगरीज़ निर्धारित करेगी और इसके बाद नोटिफिकेशन के जरिये उन जागीरदारियों को समाप्त करेगी। उसी प्रकार की व्यवस्था अजमेर में इस सम्बन्ध के बने हुए कानून में की है।

लेकिन जहां राजस्थान के जमींदारी एबॉलिशन बिल में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि उससे कुछ सन्देह होना स्वाभाविक है और वह इसलिये होता है कि सरकार कहीं काश्तकार के हितों का ध्यान न रखकर राजस्थान में दिन ब दिन आने वाली कुछ ऐसी घटनाओं का सहारा लेकर किसी एरिया को ओब्लाइज करने की चेष्टा न करें। हो सकता है कि ओब्लाइज़ करने का दृष्टिकोण काश्तकार के लिये हो। लेकिन ज्यादा काश्तकारों को जो ओब्लाइज करने का प्रश्न आवेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को किसी एरिया विशेष से कोई विशेष बात न रखते हुए तुरन्त इस प्रकार का नोटिफिकेशन इश्यु करना पड़ेगा जिसके द्वारा एक दिन में जो भी जमींदारी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लागू किया जावे। लेकिन जहां यह विशेष व्यवस्था रखी गई है वह इस बात की सूचक है कि सरकार के मस्तिष्क में, सरकार के इरादे में सरकार के कार्य में अब भी स्वयं सरकार को सन्देह है कि वह एक नोटिफिकेशन के द्वारा सारे राजस्थान में जहां जहां भी जमींदारियां हैं उनको समाप्त करेगी या किसी एक विशेष क्षेत्र के अन्दर पहले नोटिफिकेशन इश्यु करेगी और बाद में दूसरे क्षेत्र में।

इससे ऐसा लगता है कि जहां राजस्थान

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्दर अलवर, भरतपुर, जयपुर का कोट-पुतली एरिया, कोटा की किशनगंज तहसील और गंगानगर का कुछ क्षेत्र जहां पर जमींदारी और बिस्वेदारी एरिया हैं पांच-छः भागों में बंटा है। अब सरकार के सामने यह प्रश्न आवेगा कि उनको किस प्रकार समाप्त किया जाये।

१ म० प०

अध्यक्ष महोदय, हमने कानून बनाकर इस बात का अनुभव प्राप्त किया है और सरकार ने भी इस प्रकार का एक्सपियरेंस किया है कि जिन लोगों का रिज़म्प्शन हुआ है उन्होंने भी इस बात का अनुभव प्राप्त किया है कि सरकार क्षेत्रों के आधार पर यदि जमींदारियां एबॉलिश करती हैं तो सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां आयेंगी। कठिनाइयों के अलावा कठिनाइयां भी बरदाश्त की जा सकती हैं। कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो सरकार के ऊपर इल्जाम की सी हो सकती है वह इस प्रकार से होगी कि यदि सरकार ने अलवर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नोटीफिकेशन इश्यु कर दिया कि अमुक तारीख से जमींदारी एबॉलिशन एक्ट अमुक क्षेत्र के ऊपर लागू होगा और उस तारीख को जितनी भी जमींदारियां हैं वह सरकार में वैस्ट करेंगी। अलवर के लिए कर दिया यही कानून यदि समस्त जमींदारियों के लिए एक साथ लागू कर दिया जाये तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं और ऐसा विश्वास करने के कुछ कारण हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार की इस प्रकार की मंशा रहेगी कि सरकार कुछ क्षेत्रों को रियायत देना चाहेगी। आज कोई यह कहे और मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से भी उत्तर मिलेगा कि यदि कोई जमींदारी एक माह में समाप्त की गई, दूसरे क्षेत्र की जमींदारी दो माह में समाप्त की गई, तो उसमें किसी प्रकार की क्या आपत्ति हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के अनुभव के आधार पर हमने अच्छी तरह से देखा है कि सरकार जहां कुछ जागीरदारों को कुछ रियायत करना चाहती है, जहां और सेटलमेंट आपरेशन्स को लाकर काम इस तरह की ढिलाई से होता है कि जब तक वह एरिया अनसैटल्ड है तब तक जागीर रिज़म्प्शन की डेफीनेशन में वह एरिया नहीं आये, उसके द्वारा होने वाले काम से वह बचे और जो कुछ लगान के रूप में वसूल किया जाना चाहिए वह भी न लिया जाये। हमने कई जागीरदारों के साथ इस प्रकार की हमारी सरकार को रियायत करते हुए देखा है। अनसैटल्ड जागीर होने के नाम पर ऐसा फायदा उनको पहुँचाते देखा है। तो कुछ ऐसा लगता है कि यदि हमारी सरकार ने जिस प्रकार की कार्यवाही जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में की है उसी प्रकार की कार्यवाही वह जमींदारों के भी मामले में करती रही तो निश्चित रूप से यह होगा कि जहां जमींदारी समाप्त होनी चाहिए थी एक तारीख को, यदि उसको दो महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और दो महीने के पोस्टपोन के टाइम में यदि फसल के पकने का समय है, लगान वसूल करने का समय है, या फसल के आने का समय है उस स्थिति में दो महीने के अर्से में जमींदारों को काश्तकारों का शोषण करने की छूट देगी तो सरकार दूसरे जमींदारों को ओब्लाइज़ कर देगी कि सरकार ने तुम्हारे इस एबॉलिशन के प्रश्न को अपनी प्रशासनिक कठिनाई बताकर पोस्ट-

(श्री भैरोंसिंह)

पोन कर दिया है और उसका लाभ जमींदारों को मिल सकता है। यह बात सही है कि यदि किसी एरिया में, मसलन यदि गंगानगर के एरिया में हमारी राज्य सरकार लागू कर दें। भरतपुर में लागू कर दे, अलवर में लागू कर दे, राजस्थान के अन्य हिस्सों में जहां भी इस प्रकार का सिस्टम है वहां पर एक नोटिफिकेशन के द्वारा तारीख निश्चित करके इसकी व्यवस्था कर दे कि अमुक तारीख से सरकार में जमींदारी वेस्ट करेगी और सरकार यह भी कर सकती है कि गंगानगर के एरिया के लिए दूसरे नोटिफिकेशन का इन्तज़ार करे और यह कह दे कि सरकार के पास कुछ काम ज्यादा है और काम ज्यादा होने के कारण सारे राजस्थान में जमींदारी एक साथ समाप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार का बहाना लगाकर सरकार एक तरह से जमींदारों को ओब्लाइज़ करेगी तो उनके द्वारा दूसरी ओर काश्तकारों का शोषण करने की व्यवस्था करेगी। अब प्रश्न आता है कि जिस तरह से अभी भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा था, अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला आज के ज़माने में किसी प्रकार से चल नहीं सकता है। कोई भी आज इस प्रकार के सिस्टम को रिटेन करने के बारे में पैरवी करे तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से वह समय के प्रतिकूल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां देश के अन्दर खाद्य स्थिति इस प्रकार की बिगड़ी हुई है वहां खाद्यान्न का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। लोगों की जितनी खाद्य समस्या है उसको हम कृषि के द्वारा पूर्ति करें। काश्तकारों को कृषि उत्पादन के बारे में जितनी सहूलियतें प्रदान कर सकें, उतनी करें। राजस्थान के यदि फाइनेन्शियल स्टेटिस्टिक्स देखे जायें तो कुछ ऐसा मैं मोटे रूप से कह सकता हूँ कि जहां राजस्थान का आज बजट २७ करोड़ तक का है उस राजस्थान के बजट में लैंड रेवेन्यू की कुल इन्कम ६ करोड़ से ज्यादा नहीं है। २१ करोड़ रुपये का बजट, २१ करोड़ के लगभग की सारी आमदनी दूसरे मदों की है। आज हम यह मानकर चल सकते हैं। जो लैंड रेवेन्यू कम है उसका कारण है और वह कारण इसलिए है कि जो लोग खेती करते हैं उन खेती करने वाले लोगों को इस प्रकार का इनिशियेटिव मिले कि उनको यह मालूम हो जाये कि जो कुछ वे उत्पादन कर रहे हैं, जो कुछ वह श्रम कर रहे हैं उसका उचित लाभ उनको मिलेगा। उस श्रम का जितना भी लाभ हो सकता है उस लाभ में अधिकांश हिस्सा उनका है और केवल सरकार को वह इतना किराया दें, इतना रेंट दे जो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बचने के बाद उनको रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के बाद उनके पास बचता है उसके बचे हुए का एक हिस्सा वह लैंड रेवेन्यू के रूप में जमा करायें। आज जमींदारी एबॉलिशन पर उसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, यदि यह सिद्धांत बदकिस्मती से राजस्थान के अन्दर जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में स्वीकार कर लिया जाता तो मैं ऐसा मानकर चलूंगा कि राजस्थान का काश्तकार सरकार के इस अग्रेरियन रिफार्म्स को उम्र भर याद करता, लेकिन इस बात की खुशी है कि राजस्थान सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया कि जितने भी जागीरी एरिया के काश्तकार हैं उनके ऊपर आज सरकार द्वारा निर्धारित दरें हैं उनसे ज्यादा लगान लिया जाये और इसलिए लिया जाये कि उस लगान के द्वारा सरकार को जमींदारों को कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा उसकी पूर्ति की जा सके। राजस्व मन्त्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर इस बात का उल्लेख किया

(श्री भैरोंसिंह)

है कि सन् ४६ के अन्दर जहां वैंकटाचार्य कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में था कि राजस्थान में जहां जमींदारी एबॉलिशन की जाती है, जमींदारी के एबॉलिशन से आज हमें कम्पेन्सेशन या री-हेबिलीटेशन ग्रॉंट देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस व्यवस्था पर सारा धन हमें इस सिस्टम में से निकालना चाहिए और निकालने का तरीका यह सजेस्ट किया था कि हम जमींदारों के लिए यह पाबन्दी कर दें कि जमींदारी एबॉलीशन के बाद भी वह लगान जो जमींदार को दिया करते थे वह लगान उसी के रूप में अब भी लिया जायेगा और सरकार को लेते रहना चाहिए। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने भी उसी रिपोर्ट को उसी रूप में स्वीकार किया और पेराग्राफ ४६ में इस बात को स्वीकार कर लिया

"As regards item No. (vi) of our terms of reference, we are of opinion that the tenants should be asked to continue to pay as revenue to Government for a period of ten years from the date of the abolition of the Zamindari whatever they have hitherto been paying to the Zamindars Biswedars."

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस समय यह कमेटी एपोइन्ट की गई थी उस समय भी शायद सरकार का यह दृष्टिकोण बना था और इसीलिए सरकार ने इस कमेटी के जो टर्म्स और रेफरेन्स निर्धारित किए उस कमेटी की जांच से ऐसा समझा गया कि जो कम्पेन्सेशन दिया जाये उसके फण्ड की पूर्ति किस प्रकार से की जाये और उस पूर्ति के लिए जमींदारों के टिनेन्ट्स के ऊपर जो लगान वसूल किया करते थे उसी रूप में किया जाये या बाकी के राजस्थान के अन्य हिस्सों में काश्तकार लगान देते हैं वह वसूल किया जाये। मुझे इस बात का अफसोस है और अफसोस इसलिए कि इसके कारण से यह सारा कार्य स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जा सकेगा। काश्तकार कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने जहां राजस्थान के छोटे से हिस्से की जमींदारी खत्म करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने बहुत ही प्रगतिशील कानून बनाये उन्होंने इस प्रगतिशील कानून की संज्ञा के सिद्धांत पर प्रगतिशील कानून के नाम के ऊपर काश्तकारों का सरकार शोषण करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी होती कि यदि इस प्रकार की बात माननीय राजस्व मन्त्री जी इस कानून में नहीं करते। उन्होंने इस बात को रिपोर्ट में भी स्वीकार किया और जिस प्रकार से अभी भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य कह रहे थे उन्होंने उसमें इनटरेस्ट करके इतना कहा कि वह दुगुना लगान देते रहेंगे, इस बात को स्वीकार किया....

मुझे अफसोस है कि माननीय राजस्व मंत्री जी यदि उस समय खड़े होकर यह कहते कि जमींदारी एबॉलिशन के कारण से काश्तकारों के ऊपर जो अतिरिक्त भार है, कर के रूप में जो अतिरिक्त भार है, उनसे मुक्त कर दिया जाय तो मैं निश्चित रूप से कहता कि एक हाथ से आप मध्यमवर्गीय मार्ग को समाप्त करके दूसरे हाथ से काश्तकारों की जो काश्तकार उनके शोषण के कारण अभी तक बुरी तरह से दबे हुए हैं, उन्नति कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि जमींदारों को हम इस बात के लिए खत्म नहीं कर रहे हैं कि जमींदारों के द्वारा काश्तकारों का शोषण हो रहा

(श्री भैरोंसिंह)

हैं। आज केवल सिद्धान्त का विरोध करते हैं। उस विरोध करने में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला कोई फैक्टर है वह यह है कि इसके द्वारा काश्तकारों का शोषण होता है. काश्तकारो से ज्यादा लगान वसूल किया जाता हैं, उन सारी चीजों से उनको अलग किया जाय और काश्तकारों को इन ज्यादतियों से, इतने कर भार से मुक्त किया जाय कि वे स्वतन्त्र होकर अपने जीवन निर्वाह के साधनों को जुटाने के लिए. खेती इस प्रकार से उसका धन्धा है उस पर ज्यादा जोर देकर सरकार को खाद्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए इन सब चीजों का उत्पादन ज्यादे से ज्यादा करे। लेकिन इस कानून के अन्दर मैं समझता हूं कि सब से बुरा और यदि घातक जैसा भी कहा जाय, यदि इस प्रगतिशील कानून के लिए जो कलंक की बात कही जाय और जो माननीय सदस्य इस बिल को पायलाट कर रहे हैं उनके इतिहास की सबसे बुरी बात कही जाय तो इस जमीदारी एबोलिशन बिल की धारा २८ और २९ है। सरकार ने जो यह व्यवस्था की है लगान लेने के लिए, मैं समझता हूं कि उस प्रकार का एक कानून राजस्थान में तो बना है, लेकिन आप यह जानकारी दें कि कौन सी रियासत में ऐसा कानून बना है ? कुछ राज्यों में इस प्रकार का कानून बना था, लेकिन उन राज्यों में काश्तकारों ने इसका विरोध किया और कम्पेन्सेशन फन्ड में किसी प्रकार का मनी कन्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो सरकार ने मजबूर होकर कानून में वापिस लिया। लेकिन राजस्थान के जमींदारों के लिए यह बदकिस्मती है कि एक तरफ तो सरकार जमींदारों को समाप्त करेगी, लेकिन उनके ऊपर जो जमीदारों की लायबिलिटी थी वह लायबिलिटी उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक कि सरकार उनका सैटिलमेंट करके दुबारा रेन्ट फिक्स नहीं करे। अध्यक्ष महोदय जहां सैटिलमेंट का प्रश्न आता है हमारी सरकार शायद यह कह दे कि जल्दी से जल्दी काश्तकारों के ऊपर वह लगान निर्धारित कर सकेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है, और इसलिए उम्मीद नहीं है कि जिन क्षेत्रों के अन्दर राजस्थान में अभी सैटिलमेन्ट ड्यू हैं. जिन क्षेत्रों के अन्दर काश्तकारों पर बहुत पहले से जमीन पर सैटिलमेन्ट होकर एक ऊंचे बांटे के आधार पर लगान निर्धारित किया गया था, आज भी वे कुछ क्षेत्र राजस्थान में इस प्रकार के हैं जो बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सैटिलमेंट ड्यू होने के कारण सैटिलमेंट नया किया जाय, जो लगान पहले के रेट्स से बंधा था, उसको कम किया जाय। हमारे ऊपर कर का जो अतिरिक्त भार है उससे मुक्त किया जाय। जिन क्षेत्रों में कर कम देना पड़ता है उन क्षेत्रों के मुकाबले में हमारा कम किया जाय। हमारा कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, इन्कम कम है। उन सब बातों की व्यवस्था की जाय, लेकिन अभी जब कभी प्रश्नोत्तर काल में झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं कि झुन्झुनूं में सैटिलमेंट कब हुआ ? झुन्झुनूं में सैटिलमेंट दुबारा कब होगा ? तो माननीय राजस्व मन्त्री जी की ओर से उत्तर मिलता है कि लगान कम होने वाला नहीं है। सैटिलमेंट नहीं हुआ, सर्वे नही हुआ है। दुबारा सेटलमेंट कब होगा इस बात को सरकार जाने। लेकिन अभी तक काश्तकार को कुछ पता नहीं है। लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने ऐसा इरादा इस बात में कर दिया है कि लगान कम होने की सूरत नहीं है। दुबारा सैटिलमेंट हो जाय तो भी इस बात की कोई चिंता नही करना चाहिए। मैं ऐसा

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

समझता हूँ कि उन्होंने जो उत्तर दिया उससे झुन्झुनू क्षेत्र के काश्तकार कभी कभी इस बात की मांग करने वाले नहीं है कि दुबारा सैटिलमेन्ट हो जाय, लेकिन यदि दुबारा सेटलमेंट नहीं हो तो लगान कम करने की बात है कि वह नए क्षेत्रों में हो सकते हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं हो सकते। क्यों नहीं होता है ? इसके जो बढ़ाए जाने के कारण हैं वे राजस्व मन्त्री या सरकार की अच्छी तरह जानकारी में होंगे। तो मैं यह कह रहा था कि आज यह कहना कि सैटिलमेंट हुआ तो काश्तकारों को उतना ही लगान देना होगा यह ठीक नहीं है, क्यों कि सैटिलमेंट कब होगा यह बिल्कुल अनिश्चित सा है, लगान कब तय होगा या बिल्कुल अनिश्चित सा है। सैटिलमेन्ट करके लगान तय करने में देर कर दें तो राजस्थान सरकार जमींदारों के मामले को लेकर आज तो उन्हें खत्म कर रही है उसका उस काश्तकार को उस दिन पता लगेगा चाहे वह १० वर्ष बाद हो, चाहे १५ वर्ष बाद हो, चाहे ५ वर्ष बाद में हो, जिस दिन यह पता लगेगा कि सरकारी जमीन पर जो काश्त करने वाले काश्तकार हैं वह तो लगान देते हैं उसी के बराबर लगान उनको देना है। आज जबर्दस्त अन्याय होगा, काश्तकारों की सरकारी जमीन पर जो काश्त करता है उसके लिये वह ३) रु० बीघा लगान देता है और जो जमींदार की जमीन पर काश्त करता है और वह वही ३) रु० बीघे की क्वालिटी वाली भूमि है, वह उसके पास में लगी हुई है लेकिन जमींदारी क्षेत्र में होने के कारण उसे ६) रु० बीघे का लगान देना पड़ेगा। तो कौन कहेगा कि जमींदारी एबोलशन को लेकर काश्तकार को किसी प्रकार का रिलीफ मिल गया। कौन कह सकेगा कि इस बात से काश्तकारों पर करों का अतिरिक्त भार था वह किसी प्रकार से कम हुआ है ? मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से विशेष तौर से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि हम कम्पेन्सेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से या राजस्थान के कन्सोलिडेटेड फन्ड के पाइन्ट ऑफ व्यू या राजस्थान सरकार को कम्पेन्सेशन देना है, और कम्पेन्सेशन केवल जमींदारी सिस्टम को निकालना है। एक सिद्धान्त वह है उस दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से वह इस बात को देंगे, यह बात बिल्कुल अनुचित है। इस सिस्टम के एबॉलिशन के बाद भी काश्तकारों पर जो करों का भार था वह उसी रूप में उन पर रहे, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जमींदारी एबॉलिशन का आधारभूत सिद्धान्त है कि काश्तकारों को अतिरिक्त करभार है, उससे बचाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब एक मोटा प्रश्न इस राजस्थान जमींदारी एबॉलेशन बिल में था। सरकार की ओर से जो कमेटी एपोइन्ट हुई, जिस कमेटी ने अपनी सन् १९४९ में रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद माननीय राजस्व मन्त्री जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी सन् १९५६ में, उसने रिपोर्ट पेश की। दोनों कमेटियों के सामने एक प्रश्न मोटे रूप में था। वह यह था कि जमींदारी किस प्रकार की व्यवस्था है ? जिस प्रकार की यह व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार इनको कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए या नहीं ? वैंकटाचार्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन् १९४९ में पेश की थी, उस समय भारत का संविधान लागू नहीं था, इस कारण मोटे रूप से उस कमेटी के इस सिद्धांत को स्वीकार करके हम एबॉलिशन करते हैं। इनके प्रोप्राइटरी राइट्स इस तरह के नहीं हैं कि उनको कम्पेन्सेशन दिया जाय, और इसलिए उन्होंने रीहेबिलिटेशन की बात को स्वीकार किया।

(श्री भैरोंसिंह)

उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम किसी की प्रोपर्टी बिना कम्पेन्सेशन दिए एक्वायर नहीं कर सकते। इस प्रकार की व्यवस्था हुई। उस प्रकार की व्यवस्था होने के बाद दूसरी रिपोर्ट १९५६ के अन्दर पेश की। उसमें हमारी सरकार ने यह स्वीकार किया कि जितने जमींदार हैं, इनके राइट्स हैं लिमिटेड राइट्स उनकी उन्होंने इसमें संज्ञा की है कि एक जमींदार वह जो खुदकाश्त करता है, एक जमींदार वह जो खुदकाश्त नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ कर दूं कि कानून में शायद इसकी अलग से या स्पष्ट रूप से इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि जो खुदकाश्त करता है उस जमींदार को क्या रियायत होगी और जो खुदकाश्त नहीं करता है उस जमींदार को किस प्रकार की रियायत होगी। लेकिन एक प्रश्न है इसमें कि यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके कुछ राइट्स हैं, वे राइट्स इस प्रकार के हैं ? वे सब पर लागू हों। यदि गंगानगर वालों के कुछ राइट्स हैं, अलवर के जमींदारों के कुछ राइट्स हैं, भरतपुर के जमींदारों के कुछ राइट्स हैं, तो यह मान कर चलना पड़ेगा कि जब एक कानून के अन्दर हम राइट्स को खत्म करके उनको कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था करें, तो यहां इनके राइट्स एक केटेगरी के, एक सीमा के, एक हद के मानने पड़ेंगे कि इस जमींदारी सिस्टम के अन्दर या इस बिस्वेदारी सिस्टम के अन्दर अमुक प्रकार के राइट्स हैं, जिन राइट्स को हम एक्वायर कर रहे हैं। अब इस कानून में देखें, इस कानून के द्वारा की गई व्यवस्था को देखें तो कुछ ऐसा लगता है, माननीय अध्यक्ष जिस प्रकार से इसमें कहा जाता है कि गंगानगर केनाल एरिया में जितने जमींदार हैं उनके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है।

"The landowners of the Gang-canal area thus paid valuable consideration for acquisition of full proprietary rights The proprietors in the Gang canal Colony do not own or manage the common lands of the villge,"

अब इस बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है कि एग्रीकल्चर के जितने राइट्स ट्रान्सफर के या ओनरशिप के हैं वे उन्हीं के होंगे। उन्होंने जो राइट्स एक्वायर किये हैं वे काफी कीमत देने के बाद किये हैं। मैंने कल गंगानगर के कुछ जमींदारों से बात की थी और मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिस समय उनको लैंड मिली थी उस समय कीमत तय करके नहीं मिली थी कि इतने बीघा जमीन की इतनी कीमत है और इतनी कीमत देकर जो खरीदना चाहे वह खरीद सकता है बल्कि इसके लिये लॉटरी खोली गई थी और ऑक्शन किया गया था, लौटरी डाल कर ऑक्शन किया गया था, पब्लिक ऑक्शन हुआ। वहां पर ऐसे लोग गये जो मालदार थे, बाद में उन्होंने मुरब्बे के मुरब्बे खरीदे, गांव भी खरीदे। जमींदार बाकी क्षेत्रों में भी हैं उनके बारे में भी यह कहा जा सकता है कि वह जमींदारी भी एक इस प्रकार की व्यवस्था थी जो किसी तरह से गिफ्ट में नहीं मिली है, सर्विसेज में नहीं मिली हैं, बल्कि वेल्यूएबल कंसीड्रेशन्स के अगेन्स्ट में मिली है। हमने मोटी बात स्वीकार की है कि कुछ प्रोपर्टी थी जिसे हम ले रहे हैं और उसके बदले में हमें कम्पेन्सेशन देना है। लेकिन कम्पेन्सेशन किस बात का देना है ? राइट का कम्पेन्सेशन देना है या

(श्री भैरोंसिंह)

जो चीज उनके पास से जा रही है उसका कम्पेन्सेशन देना है। हमने एक प्रावधान रखा है और यह व्यवस्था रखी।

१.२१ म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

है कि जमींदारों को मुआवजा मिलेगा और यह मुआवजा हमने दो प्रकार का रखा है, एक व्यवस्था के अंतर्गत जो मुआवजा मिलेगा वह एट टाइम्स ऑफ हिज नेट इन्कम जिसे शायद कल माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने अमेन्डमेन्ट द्वारा सेवन टाइम्स कर दिया है: Seven times is the net income calculated in accordance with Clauses 2, 3 and 4 of this schedule. अब क्लॉज ए. क्या है ? इन्कम फ्रोम लैंड,"

Income from rents in respect of land in occupation of the tenants not being tenants of khudkasht or sub-tenants.

इसका मतलब यह हुआ कि जो जमींदार अपनी जमींदारी में खुदकाश्त करते हैं उनके कोई सब-टिनेन्ट नहीं है, उसकी जमींदारी में किसी को ऑक्युपेन्सी राइट नही मिले हैं और अपनी पूरी जमींदारी में कोई दूसरा काश्तकार नहीं हैं, वह स्वयं काश्त करता है और अपनी पूरी जमींदारी मे स्वयं काश्त करता है उस व्यक्ति को आप दे रहे हैं कम कम्पेन्सेशन। लेकिन जो व्यक्ति खुदकाश्त नहीं करता है, दूसरों से काश्त करांता है और उनसे ज्यादा लगान वसूल करता है और अब तक जो किसानों का शोषण करता आया है, उसने काश्तकारों से ज्यादा लगान वसूल किया है जिस बात को लेकर हम जमींदारी सिस्टम खत्म कर रहे हैं उस तरह के जमींदार को सेवन टाइम्स मुआवजा देने का प्रावधान रखा है लेकिन जो जमींदार खुद काश्त करता है उसके लिये आपने २५ पर्सेन्ट रखा है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस कल हुआ जिस समय माननीय राजस्व मंत्री जी ने तकाजे में एक संशोधन पेश किया था, जबानी संशोधन पेश किया था। इसलिये मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन जो संशोधन पास हुआ उसको एक धारा देखी उससे और भी ज्यादा अफसोस हुआ, उसमें लिखा है: Where a total land revenue payable by Zamindar and Biswedar does not exceed 25 perannum. आगे लिखा है: twenty times net income calculated in accordance with item A of part 1' आइटम ए जिसमें रेन्ट का एट टाइम्स हम दे रहे हैं और उसमें से खुदकाश्त करने वाले को एक्सक्ल्यूड किया है, ऐसी स्थिति में कहने का तात्पर्य यह है कि जो जमींदार खुदकाश्त करते है और अपने ही श्रम का फायदा उठाते हैं, दूसरों का शोषण नहीं करते हैं, काश्कारों से ज्यादा लगान नहीं लेते हैं, काश्तकारों को जो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं उन जमींदारों को मिलेगा २५ पर्सेन्ट ऑफ देअर नेट रेवेन्यू और रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट कुछ नही मिलेगी और इसके विपरीत रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट उनको मिलेगी जो खुदकाश्त नही करते हैं और दूसरों से काश्त करवाते हैं और दुगुना और तिगुना वसूल करते हैं, काश्तकारों का जो शोषण करते हैं उनको एक तरफ तो एट टाइम्स मिलेगा और दूसरी तरफ रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट की जो व्यवस्था की है उसके आधार पर रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट मिलेगी। मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में यह अनहोनी घटना होगी जिसके अनुसार हम मोटा प्रिन्सिपल स्वीकार करते है या जिसके आधार पर हमने एक बात

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

स्वीकार की है कि जो जमीन को जोते नहीं और ज्यादा मुनाफा उठाता है और जो शोषण करता है उसको खत्म करना चाहते हैं। इस बात का बार बार प्रचार करते हैं कि लोग दूसरों के श्रम का फायदा न उठा सकें और अपने श्रम का लाभ स्वयं उठावें। ये जो मोटे मोटे सिद्धान्त हम समाज में या कानून में तरमीम करके करते हैं और जिन्हें प्रसार विभाग द्वारा लोगों को बतलाते हैं उनके विपरीत यह व्यवस्था है

मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। सन् ५६ में जब उन्होंने जमींदारी एबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट पेश की थी उस समय उन्होंने कतई इन्कार किया था कि कम्पेन्सेशन देने के बाद रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार से रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिली है और जो कम्पेन्सेशन हम देने जा रहे हैं और तीसरी बात कि काश्तकारों पर उसी प्रकार का लगान रहेगा, ये तीनों ही बातें इस ओर संकेत करती हैं कि सरकार केवल जमींदारी एबॉलिशन करना चाहती है लेकिन काश्तकारों को जो दुविधाएं जमींदारों के जमाने में थीं उनको दूर करना नहीं चाहती है लेकिन जो जमींदार पहले से ही मालदार थे, बड़े थे, उनकी आमदनी ज्यादा थी उनको सरकार इस कानून के द्वारा ज्यादा फायदा देना चाहती है। एक तरफ जिनके प्रोप्राइटरी राइट्स लिमिटेड थे, जिनको ट्रान्सफर करने या सेल करने का अधिकार नहीं था, बाकी अधिकार नहीं थे, मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि उनके लिमिटेड राइट्स थे। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिये आप लिमिटेड कम्पेन्सेशन की व्यवस्था करते लेकिन इसके बजाय जिनकी ज्यादा आमदनी थी, जो दूसरे काश्तकारों से लगान लेते हैं और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको ज्यादा देने की व्यवस्था की है और जो छोटे जमींदार हैं और खुदकाश्त करते है उनको कम देने की व्यवस्था की है। अब सरकार यह कह सकती है कि रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का प्रोविजन रखकर यह व्यवस्था की है कि जिनको कम मिला है उनको और मिल जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें छोटे जमींदार नहीं आयेंगे क्योंकि जो छोटे जमींदार हैं वे स्वयं खेती करते हैं इस नाते न तो उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा और न रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिलेगी। रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट तो अलग रही उनको जो आप मुआवजा दिलाना चाहते हैं वह भी थोड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कम्पेन्सेशन या रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट की जो व्यवस्था है वह इस कानून के अनुरूप नहीं है और समय के अनुसार नहीं है और काश्तकारों के हित में भी नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिये कि जमींदार का नाम हटाकर जमींदार के नाम पर जो शोषण होता था उसको जमींदार से हटाकर अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की है। जिस दिन से जमींदारी सरकार में वेस्ट होगी उस दिन से शोषण करने का जितना जरिया, नाम मार्ग कानून, नियम आदि हैं वे जमींदार के खत्म होने के साथ साथ सरकार में वेस्ट होंगे और काश्तकारों का शोषण करने की जिम्मेदारी सीधी सरकार पर आयेगी लेकिन यदि यह कहूं कि सरकार केवल शोषण करने वाली एजेन्सी है तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। मैं एक बात और कहूंगा और मैं समझता हूं वह बहुत न्यायसंगत है।

(श्री भैरोंसिंह)

हमने अजमेर में जागीरदारी एबोलिशन कानून बनाया और राजस्थान में भी जागीरदारी एबॉलिशन कानून बनाया। उन दोनों में ही इस प्रकार की व्यवस्था रखी थी कि जागीरदार या इस्तमरारदार ने किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेन्ट अपनी जागीर या इस्तमरारदारी में किया हो तो उसको कम्पेन्सेशन दिया जाय तो मुझे खुशी होगी, मुआवजा थोड़ा ही हो, नाममात्र का ही क्यों न हो लेकिन इम्प्रूवमेन्ट के लिये कम्पेन्सेशन की व्यवस्था करके हमने इम्प्रूवमेन्ट करने का जो दृष्टिकोण है उसकी पुष्टि की। आज राजस्थान के अन्दर अधिकांश जमीन बारानी है, अधिकांश जमीन ऐसी है जिसमें फर्टीलिटी का नामनिशान नहीं है, इसलिए वह पड़ी है। उसमें उपजाऊ शक्ति न होने के कारण लोग उसमें काश्त नहीं करते, सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण लोग उसमें काश्त नहीं करते। हमारी सरकार तकावी देती है, कुंए बनाती है, नहरें खुदवाती, है और दूसरे सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करती है, कहीं मेड़बन्दी का अभियान चल रहा है, कहीं सोइल इरोजन रोकने की व्यवस्था चल रही है, ये सब बातें इस बात का संकेत करती है कि हमारी सरकार उत्पादन की दृष्टि से जो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, उनको करने के लिए एक रूप से मेरी दृष्टि के अन्दर प्रयत्नशील है। लेकिन अगर हमारी सरकार अपनी ओर से इम्प्रूवमेंट करती रहे और उन इम्प्रूवमेंट्स के अन्दर, जिस काश्तकार के लिए भूमि का इम्प्रूवमेंट किया जाय, उसका सरकार को सहयोग नहीं मिलता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे सरकार लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर दे लेकिन जो इम्प्रूवमेंट लाभदायक हो सकता है, समय पर हो सकता है वह इम्प्रूवमेंट काश्तकार के बिना सहयोग के नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अन्दर हम एक तरफ व्यवस्था करें कि राजस्थान के अन्दर खातेदारी के राइट्स किसी को ट्रान्सफर होते हैं तो उसको मुआवजा दें। राजस्थान में जागीर रिजम्प्शन एक्ट के अनुसार किसी जागीरदार ने इम्प्रूवमेंट किया है, तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए जागीरदार को मुआवजा दें, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार खातेदारी के राइट्स ट्रान्सफर होते हैं तो उसके लिए मुआवजा प्रोवाइड करें और दूसरी तरफ जमींदारों के लिए व्यवस्था कर दें कि जमींदारी के अन्दर चाहे कितना इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन उसे कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा कि इम्प्रूवमेंट का मुआवजा चाहे अंशों में कम हो, चाहे थोड़ा मिले, चाहे इस व्यवस्था के अनुसार नॉमीनल कम्पेन्सेशन दें, लेकिन यदि कम्पेन्सेशन नहीं दिया तो इम्प्रूवमेंट करने की जो इन्सेन्टिव होती है वह इन्सेन्टिव समाप्त हो जायगी। जिस तरह से एक कानून बना कर राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर काश्तकारों के कुछ हक हकूक लिये हैं, वे हक हकूक किसी और कारण से लिये थे, पर इस तरह के कानूनों से लगता है कि सरकार जमीन ट्रान्सफर करने के प्रश्न में, जमीन के अन्दर जो इम्प्रूवमेंट होते हैं, उन इम्प्रूवमेंट को एप्रीसियेट करने की स्थिति में नहीं है। यदि राइट्स ट्रान्सफर होते हैं तो इम्प्रूवमेंट का पूरा बेनीफिट इम्प्रूवमेंट करने वाले को नहीं मिलता है तो सरकार की ड्यूटी है, उन कानूनों के द्वारा उसका कर्तव्य होता है उन इम्प्रूवमेंट्स का उसको मुआवजा मिले, अगर वास्तव में उसने उसका फायदा नहीं उठा लिया है तो वास्तव में फायदा उठा लिया है, उपयुक्त फायदा उठा लिया हैं तो उस काश्तकार को कम्पेन्सेशन देने को मना कर सकते हैं। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स

(श्री भैरोंसिंह)

किये हैं उनका फायदा उठा लिया है, यह कहेंगे, कि किसी प्रकार का कम्पन्सेशन नहीं मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट करने वाले व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की कार्यवाही होगी कि जिससे न केवल उन लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ऐसे लोगों को भी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उनको इम्प्रूवमेंट करने में हिचकिचाना पड़ेगा जो किसी कारण आज इम्प्रूवमेंट के किसी कार्य में संलग्न हैं। सरकार एक तरफ इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, दूसरी तरफ इम्प्रूवमेंट करने के इन्सेन्टिव को खत्म करना चाहती है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत है और अगर दोनों बातें समानान्तर चलती रही तो राजस्थान सरकार इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, इर्रीगेशन फेसेलिटीज बढ़ाना चाहती है. भूमि सुधार के सरकार अभियान चलाया करती है, वे पूरे नहीं होंगे। इसलिये सरकार को चाहिये और मैं राजस्व मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप इस पॉइन्ट को लेकर जमींदारों को कम्पेन्सेशन देते हैं, उनके राइट्स के कम्पेन्सेशन देते हैं, लेकिन जिस आदमी ने इम्प्रूवमेंट किया है, जिसने कुआ खुदवाया है, जिसने नहर तैयार की है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य से जानकारी चाहूंगा कि जागीर रिजम्शन के किस प्रोविजन को बता रहे हैं जिसके अनुसार कम्पेन्सेशन या मुआवजा दिया गया है और जो यहां नहीं है, आई मीन, इम्प्रूवमेंट लिए...

श्री भैरोंसिंह : मैं बता दूंगा, आप सुनिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप फर्मा रहे हैं कि उसमें ऐसा किया, इसमें नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा प्रोविजन है।

श्री भैरोंसिंह : जो फिफ्थ अमेंडमेंट बिल है, जो असेम्बली के अन्डर कन्सीडरेशन है, उसमें क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जागीर रिजम्पशन की बात कही, उसके लिए अर्ज कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : खातेदार को इम्प्रूवमेंट का पैसा दे रहे हैं, वह क्या है ? मैं बताऊँ, माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं यह प्रीमेच्योर्ड बात थी...

श्री उपाध्यक्ष : I would like to draw the attention of the Hon'ble members that while discussing on this motion we are entering into the details of the Bill. I will, therefore, refer to article 133 of the Rules of Business wherein it is said that the discussion on a motion that the Bill be passed shal be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.

I hope the Hon'ble member will receive some guidance from this Rule.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने बहुत पहले कह दिया था कि यह बिल पास होना चाहिये । मैंने इसका कभी विरोध नहीं किया । लेकिन इसमें जो कमियां रही हैं, उन कमियों को सदन के सामने रखते हुए मैं इस बात के पक्ष में हूं कि इसको पारित किया जाय और इसलिए मैंने कोई विशेष डिटेल्स का जिक्र नहीं किया है बल्कि जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है । उस कमी का जिक्र करते हुए मैंने लैंड इम्प्रूवमेंट के कम्पेन्सेशन की बात कही थी । मैं यह अर्ज कर रहा था, जिस तरह अभी माननीय राजस्व मंत्री ने प्रश्न उठाया, उनको शायद मेरे से ज्यादा जानकारी हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन को लेकर राजस्थान के जागीरदारों ने माननीय प्रधान मंत्री के सामने एक रिप्रजेन्टेशन किया है, उन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स निर्धारित की हैं, उनमें जागीरदारों को इम्प्रूवमेंट का कम्पेन्सेशन दिया जाय, यह भी एक अंग है । सरकार ने उसके ऊपर अपना दृष्टिकोण अपनाया है । वह दृष्टिकोण केवल यह अपनाया कि इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट का फायदा उठा लिया है, कितना और किस हद तक हुए, इम्प्रूवमेंट का किस हद तक फायदा पहुँचाया जाय इस सम्बन्ध में सरकार ने रिप्रजेन्टेशन किया है । लेकिन मोटे रूप से जहां टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का प्रसंग आता है, जागीरदार रिजम्प्सन के मामले में आता है, सरकार और जागीरदारों के बीच निगोसियेशन्स चल रहे हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार इस समय इस पर पुन : विचार कर रही है कि जो कुछ जागीरदारों ने इम्प्रूवमेंट किये हैं, उनका मुआवजा दिया जाय, इसलिये ही मैंने जागीर रिजम्प्सन का बार बार हवाला दिया था । अब प्रश्न यह आता है कि जो भी कमियां हैं उन कमियों के बावजूद भी यह कानून बना है, उस स्थिति के अन्दर इस कानून का क्या प्रभाव होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, हमें सबसे पहले इस पर विचार करना पड़ेगा कि आज जो हमने रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट की व्यवस्था की है, उस ग्रॉन्ट में हमने खुदकाश्त के लोगों को शामिल नहीं किया है । सरकार उन्हें शामिल करके इस कम्पेन्सेशन के प्रावधान को हटा देती तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी और उचित चीज होती । जो स्लाइडिंग स्केल रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट के लिए निर्धारित किया है, उसी प्रकार का स्केल कम्पेन्सेशन पोइन्ट ऑफ व्यू से भी लागू करते तो मैं समझता हूं कि वह गरीब आदमियों को ज्यादा इमदाद देने वाला होता । जिन व्यक्तियों के पास धन पहले से मौजूद है, उन लोगों को अतिरिक्त धन देने की व्यवस्था की है । सरकार ने इस दृष्टिकोण को ठुकराया है लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि जिस कानून की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, वह चाहे राज्य सरकार आज किसी भी अवस्था में पास करें लेकिन कम से कम हम इतना अवश्य विचार करते हैं कि इस कानून के द्वारा हमने एक पैर आगे बढ़ाया है और अब काश्तकार का शोषण हमारी सरकार करेगी, अब से झगड़ा हमारी सरकार और काश्तकार के बीच में है । सरकार के द्वारा काश्तकार शोषित किये जायेंगे और उनके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा । जो मध्यस्थता करते थे और जिन्हें कहने सुनने का अधिकार नहीं था, उन लोगों के द्वारा शोषण बन्द हुआ है और सरकार के द्वारा शोषण चालू होगा और काश्तकारों को किसी प्रकार की सहूलियतें नहीं होंगी, काश्तकारों

(श्री भैरोंसिंह)

की इसी नाम से रिलीफ मिलेगा कि जमींदारों की समाप्ति हो गई है, इस नाम से वे समझ सकते हैं कि जहां जमींदारी समाप्त हो गई है और सरकार का जमींदार के रूप में जन्म होता है और ऐसा समय भी आ सकता है कि सरकार के रूप में जो जमींदार है उस जमींदार को तुरन्त समाप्त किया जाय, उसके लिए काश्तकारों को तैयार होना पड़ेगा, सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा, सरकार को भुकाना भी पड़ेगा। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि उन्हें सरकार से मुकाबला लेने के लिए तैयार होना पड़े। मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा, जो बात पहले कही थी वह दुबारा निवेदन करूंगा, इसलिये निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर जो सबसे अहम कमी है, जो सबसे बुरी बात है वह केवल यह है कि जमींदारी खत्म होने से काश्तकार को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं है बल्कि जो लगान जमींदार लिया करता था, उतना ही लगान सरकार वसूल करेगी। यह सबसे बड़ी रेट्रोगेटिव बात इस कानून में है राजस्थान जमींदारी एबोलिशन बिल में, जिस बिल को माननीय राजस्व मंत्री जी पॉयलेट कर रहे हैं, इसलिए काश्तकारों के हित में, कानून की सुन्दरता के हित में, विधान सभा की प्रतिष्ठा के हित में, काश्तकारों का शोषण न हो, इस सिद्धान्त की दृष्टि से मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अपील करूंगा कि जो धारा इस प्रकार की रखी है, उसमें संशोधन लाने के लिए माननीय राजस्व मंत्री जी से आश्वासन प्राप्त किया जाय। लेकिन आप कहेंगे कि कानून बना है वह किसी न किसी रूप में एक प्रकार के सिस्टम को दूर करने वाला है, जो सिस्टम राजस्थान के आजादी के बाद के इतिहास में कलंक का रूप धारण किये हुआ था, इसलिए इस बिल को सदन पारित करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी विधेयक, १६५८ पर तृतीय वाचन चल रहा है, इस बिल को मैं प्रगतिशील और सर्वहित सम्पन्न विधेयक कहूँगा......

इस विधेयक द्वारा हम उस प्रथा को समाप्त करने जा रहे हैं जो वर्षों से उन गरीब किसानों पर लदी हुई थी, इससे हम अपने मतदाताओं को दिये हुए उस वचन को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने चुनावों के समय उनको दिया था। इस बिल को स्वीकृत करते समय मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि यह बिल लागू हो तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले यह हमारे जिले पर लागू करें। मैं उनका स्वागत करूंगा कि भरतपुर जिले में सबसे पहले लागू करें क्योंकि वहां किसानों की हालत बहुत चिन्ताजनक है। यह बिल सर्वहित सम्पन्न है। यह बिल किसानों के लिये जहां हितकारक है वहां जमींदारों, बिस्वेदारों के लिये भी हितकारक है क्योंकि उन्हें कम्पेन्सेशन दिया है। इस बिल से जहां जमींदारों को कम्पेन्सेशन दिया है वहां किसानों को भी इससे राहत दी है, एक बहुत पुरानी प्रथा को समाप्त किया है। अब सवाल यह आता है कि जमींदारी प्रथा जो भरतपुर, अलवर धौलपुर में थी, कुछ गंग केनाल में भी है। कुछ गंगानगर के साथी मिले थे तो वे अपनी एक अलग समस्या बतलाते थे। उनकी समस्या पर विचार किया जा सकता था पर वह स्टेज

(डॉ० बहादुरसिंह)

अब पार हो गई। हो सकता है जिस वक्त यह बिल लागू हो और रूल्स बनें तो उस समय हमारे मंत्री महोदय उनका ध्यान रखेंगे।

जो धाराएं अच्छी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सदन को बताऊंगा कि कितनी सुन्दर धाराएं एड की गई हैं। धारा ५ है जिसके जरिये जो जमींदार अपने इलाके में तानाशाही का प्रयोग करता था जो तानाशाही की जाती थी, वहां भूमि का प्रश्न पैदा होता था कि कहां रूल्स, कहां पंचायत की भूमि है और कहां कहां जमींदार की भूमि है, किसान परेशान था, किसान अपने पशुओं को नहीं बांध सकता था, खूंटा नहीं गाड़ सकता था, आये दिन पंचायतों को और किसानों को परेशानी हुआ करती थी, आज ऐतिहासिक दिन है, जब हम यह बिल पास कर रहे हैं, जब यह एक्ट बन कर लागू होगा तब वे सब परेशानियां दूर हो जायेंगी।

इसके बाद धारा ६ है। कितनी सुन्दर धारा है। जिसके द्वारा १ जनवरी, १९५३ को या इसके बाद किये गये सभी करार कैंसिल कर दिये गये हैं। वह बहुत ही सुन्दर है। जमींदारों ने, जिस वक्त देश आजाद हुआ और जो वचन कांग्रेस द्वारा किसानों को दिये गये थे, एक एक कर के उन वचनों को पूरा किया। आपने जागीरदारी को खत्म किया और जमींदारी को खत्म करने का वचन दिया था उसको पूरा करने जा रहे हैं, जमींदारों ने बीच के इस अर्से में यह फायदा उठाया कि जमींदारियां बेचीं, भूमियां बेचनी शुरू कर दीं, यहां तक कि धौलपुर सब—डिविज़न में तो गोचर भूमि के लिए भी परेशानी है क्योंकि राज्य सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकती कि यह पंचायत की भूमि है और यह जमींदार की भूमि है, ऐसी स्थितियां भी पैदा हुईं, वे सारी स्थितियां इस कानून से दूर हो जायेंगी और मैं आशा करता हूं कि सन् १९५३, एक जनवरी और इसके बाद के किये गये सभी करार कैंसिल हो जायेंगे।

फोरेस्ट में जो आपने सुधार किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोरेस्ट हमारे लिये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे यहां जहां बराबर रेगिस्तान बढ़ रहा है, हमें फोरेस्ट लगान की आवश्यकता है। फोरेस्ट के बारे में देखते हैं कि ठेकेदार जिनको आज्ञा है कि चार फुट तक नहीं काटें पर वे जड़ से ही दरख्तों को काट देते हैं तो फोरेस्ट के नाते नया कानून प्रकट होता है, इसके लिये जो कदम रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं।

जहां धारा १३ में जमींदारों को मुआवज़ा देने या प्रॉवधान किया गया वहां धारा २८ और अन्य धाराओं में खुदकाश्त की सुविधा दी है वह जमींदारों को बहुत बड़ा संरक्षण दिया गया है। मेरे यहां तो एक दो जमींदार हैं, पर सीलिंग का बिल देखा उसमें भरतपुर धौलपुर और दूसरे इलाकों में ५० एकड भूमि रखी है, धौलपुर सब डिविज़न में तो कोई इतनी बड़ी खुदकाश्त नहीं करता। तो यह बड़ा संरक्षण इन जमींदारों को दिया गया है। इसमें शक नहीं पर इसके साथ एक बुरी प्रथा को भी खत्म कर दिया है। जहां तक मुआवज़े की बात है कम से कम मंत्री महोदय ने बहुत उदारता का परिचय दिया है। हो सकता है कि आप पर, लांछन लगाया जाय कि आपने बड़ा मुआवज़ा दे कर उनका संरक्षण किया पर चूंकि हम हमारे संविधान द्वारा मुआवज़ा देने के लिये वचन बद्ध थे इसलिये मुआवज़ा दिया, उन को इससे राहत दी, यह जमींदारी का बहुत बड़ा हित

(डॉ० बहादुरसिंह)

किया गया है । जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं यह बिल सर्व हित सम्पन्न है, किसानों के, जमींदारों के और देश के हित में मैं इस बिल को मानता हूँ ।

जमींदारों के और एक हित की बात इसमें है उनको मुआवजा देने के बारे में जब यहां बहस चल रही थी तो बड़ी सहानुभूति पूर्वक विचार किया, आपकी उदारता की मैं सराहना करता हूं कि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, उसको आपने माना । हमें देखना है कि हमारे पास इतनी भूमि है कि नहीं, जहां खुद काश्त की जमींदारों के लिये व्यवस्था कर देते हैं पर हम भूमिहीनों के लिये भी उन्हें भूमि देने के लिये वचन बद्ध हैं । जैसे भरतपुर डिविजन की, बात करता हूँ, जहां प्रैशर भूमि पर बहुत है, वहां भूमिहीन लोग बहुत हैं, भूमि कम है इस आधार पर व्यवस्था इस बिल में की है वह सराहनीय है । यह बिल हर तरह से प्रगतिशील है इसमें शक नहीं । पर गंग कैनाल के बारे में हमें थोड़ा सोचना है । मुझे गंगानगर देखने का मौका मिला, गंग कैनाल के लोगों से बात की । उनका कहना है कि हमने उस भूमि को ऐसी हालत में बनाया कि वह पहले बिल कुल रेत के टीबे थे, उनको उन लोगों ने खरीदा था । पंजाब में जो लोग काश्तकार हैं वे अपने आपको जमींदार कहते हैं, उनको काश्तकार या किसान कह दिया जाता है तो वे अपनी हीनता समझते है । तो इसी तरह ये लोग जमींदार कहलाते थे, महज जमींदार कहलाने के कारण इन्हें नुकसान पहुंचेगा । तो जिस वक्त इस एक्ट को लागू किया जायगा उस वक्त थोड़ी सहानुभूति से इस मामले पर विचार हो ।

मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो यह ऐतिहासिक डॉक्युमेंट इस बिल के रूप में तैयार किया है उस पर जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति की स्वीकृति ले कर मेरे जिले में सबसे पहले लागू करदें, मैं ऐसी आशा उनसे करता हूं ।

सदन से तो प्रार्थना करूंगा कि इसे जल्दी से पारित करें ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निस्संदेह हमारे राजस्व मंत्री जी राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८ के लाने के लिये बधाई के पात्र हैं । जैसा कि इसके पहले भी अन्य माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये कि यह बिल अत्यन्त उपयोगी और समयोचित है । यहां जमींदारी और बिस्वेदारी द्वारा जो कुछ किसानों और सरकार के बीच में मध्यस्थता करने वाला एक छोटा सा वर्ग था, वह इससे हट जायगा और किसानों का और सरकार का सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायगा । जमींदारी और बिस्वेदारी हमारी सामन्ती प्रथा के अवशेष थे और वे हमारे भूमि सुधार के प्रावधानों में एक छोटी सी बाधा के रूप में थे । वह बाधा अब इस विधेयक के पारित होते ही हट जावेगी और जैसा मैं पहले कह चुकी हूं कि किसानों और सरकार के बीच में सीधा संपर्क हो जावेगा । हम सब जानते हैं कि किसान हमारी अर्थ व्यवस्था के मूल आधार हैं और हमारा बहुत कुछ आर्थिक विकास कृषि पर ही निर्भर है । अब तक किसान दबा हुआ था । जो मध्यस्थ थे वे इनके हितैषी न होकर शोषक बने थे । इसके बारे में सदन में बहुत कुछ कहा जा चुका है और सदन में इसकी एक एक धारा को लेकर कई प्रकार की भावनाएं प्रकट की जा चुकी

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी ऐसा अनुभव करती हूं कि इसके उद्देश्य और कारणों को देखते हुए यह बहुत ही प्रगतिशील और समयानुकूल बिल है। लेकिन हमको देखना यह पड़ेगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं वह अपनी संपूर्ण भावनाओं के साथ आगे चल कर लागू होगा। जैसी एक शंका प्रकट की गई कि इसकी जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा कुछ लोगों के लिये थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। वह इस तरह से जैसे कि जमींदारी एबॉलिशन के विषय में कमेटी नियुक्त हुई, उसने अपनी रिपोर्ट दी उसमें बताया है कि यह जमींदारी सिस्टम कुछ ही स्थानों पर था। केवल कोटा, भरतपुर और गंगानगर में था। कोटा भरतपुर और कोटपुतली की स्थिति तो ठीक है लेकिन गंगानगर की स्थिति निश्चय ही भिन्न है। वहां पर कृषि का विकास हुए थोड़ा ही समय हुआ है। वहां पर जमींदारों का वही अर्थ नहीं जो यहां पर है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के भाग पंजाब और कुछ राजस्थान के ऐसे हिस्से हैं जहां जमींदार शब्द किसानों के लिये प्रयोग में लिया जाता है और जैसा पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने विचार प्रकट करते हुए बताया कि वे लोग किसान कहलाना कम पसन्द करते थे और अपने आपको जमींदार कहलाना पसन्द करते थे। वह भावना उनके मन में होती थी कि वे जमीन पर कृषि करते हैं जमींदर का मतलब जमीन पर काम करने वाला होता है। वहां पर मध्यस्थ के रूप में कोई नहीं है वहां पर सभी जमींदार काश्तकार के रूप में ही हैं। वे लोग खुद खेती करते हैं और कोई भी व्यक्ति खेती करता है तो उसको दूसरे की सहायता की जरूरत होती ही है। खेती के छोटे से छोटे काम में भी सहायता की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति उनको सहायता करता है वह उनका टिनेन्ट है या सब-टिनेन्ट है या उन्होंने अपना खेत किसी दूसरे को दे दिया है। अब तक जमींदारी प्रथा जहां जहां है वहां पर जमींदार जमीन के मालिक हैं, श्रमजीवी दूसरे लोग उनके टिनेन्ट होते हैं और अगर कोई बहुत बड़ा टिनेन्ट है तो वह उसमें अपने सब-टिनेन्ट भी रख सकता है। लेकिन गंगानगर में जो जमींदार हैं वे काश्तकार हैं, सब खेती करते हैं, और जो उनको खेती में मदद करते हैं वे उनके टिनेन्ट के रूप में नहीं हैं बल्कि सहायक के रूप में हैं, इसलिये जब हम जमींदारी को हटाने की बात करते हैं तो वहां इस वर्ग के लोगों में कठिनाई आवेगी और हम उनको कठिनाई में डाल देंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जिस समय यह बिल लागू हो और जब इसके नियम उपनियम बनें तब वह देखें और जहां पर हम मध्यस्थता को हटाने की बात कर रहे हैं तो जहां कृषक वर्ग को मुसीबत होती, तो उसको दूर करने की बात हो वह दूर होनी चाहिये अन्यथा हमें जमींदारी से प्रभावित होने वाले तबके को मुसीबत में फंसाना होगा। पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि किसानों की प्रगति हमारे ध्यान में है, इतना ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति को काफी ध्यान में रखा है और उनको बहुत सहुलियतें दी हैं। सहुलियतें ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि हमने उनको दुगना लगान वसूल करने का अधिकार दे रखा है जो हमको नहीं करना था। मगर मैं यह परिस्थिति का समझौता मानती हूं क्योंकि हमारी सरकार एका एक क्रान्तिकारी काम नहीं कर सकती। लेकिन जमींदारों के

(डॉ० चन्द्रकला)

नाम से जाने वाला वर्ग है उसको और किसी तरह से कठिनाई न पड़े यह ध्यान में रखना होगा। जमींदार अगर चाहेंगे तो काश्तकार खुद काश्त करके खातेदारी राइट्स लेकर रह सकते हैं। लेकिन इन जमींदारों के लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि जहां तक और धाराओं का संबन्ध है, मेरे से पूर्ववक्ता अपनी भावना सदन में प्रकट कर चुके हैं और मैं समझती हूँ कि उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। इस विधेयक के उद्देश्य का सभी स्वागत करते हैं और मैं भी करती हूँ और सदन से निवेदन करूंगी कि इसको पास करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री से और उनके द्वारा हमारी सरकार से अवश्य निवेदन करना चाहती हूँ कि इसको कानून का रूप देकर इसको लागू करें तो अवश्य ही उन लोगों का ध्यान रखें कि जो केवल जमींदारी शब्द ग्रहण करने वाले हैं। ऐसा न हो कि वे लोग घाटे में रह जावें।

श्री भोलानाथ (लछमणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी आज इस बात की खुशी है कि यह बिल पारित किया जा रहा है और सदन से निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जावे। जिस समय यह बिल हाउस में आया उस समय मैं भी उन व्यक्तियों में था जिसने आग्रहपूर्वक यह बात कही थी कि हम भूमि सुधार कानून में पीछे रह गये हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट्स एन्ड रिजन्स में कहा गया है कि १६५२ में जागीर रिजम्पशन बिल पास किया और उसके बाद में और लोग जो बीचले थे, जो किसानों और सरकार के बीच में आते उनको समाप्त किया जावे। इसमें कुछ देर हुई और बाद में दूसरा कदम यह उठाया गया कि धार्मिक संस्थाओं के पीछे जो जमीन थी उसको भी हटाया और आज हम जमींदारी और बिस्वेदारी समाप्त कर रहे हैं। मुझे खुशी उस रोज हुई कि जब राजस्व मंत्री ने कहा कि आपकी मंशा पूरी होगी और जनवरी से पहले वह बिल पास हो जावेगा। इसके लिए मैं राजस्व मंत्री को मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो इरादा प्रकट किया वह पूरा होने जा रहा है। गंगानगर की स्थिति को छोड़कर हमारे यहां अलवर और भरतपुर में खातेदारी और रेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर निकलने के बाद सारी स्थिति काबू में आ गई थी और वे लोग अपने काश्तकारों को बेदखल नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में हमारा कानून आया और खास तौर से पंचायत एक्ट और टिनेन्सी एक्ट इससे यद्यपि किसानों को थोड़ा प्रोटेक्शन मिला, लेकिन जो देहातों में समस्या पैदा हुई वह छोटी होते हुए भी ज्यादा परेशान करने वाली हो गई और आज भी है। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक एक गांव में २०, २५ या १०० बिस्वेदार एक ही हिस्से के मालिक है एकही रास्ते के मालिक हैं, एक ही रास्ते केमालिक हैं। एक रास्ते का एक मालिक हो कोई बात नहीं लेकिन आपको मालूम होगा कि बिस्वेदार पूरे गांव मे होते हैं और एक रास्ते के या किसी खास चारागाह की जगह या जहां पर मवेशी खड़ी होती है उस स्थान के १० या २० आदमी, हिस्सेदार होते हैं और इससे पंचायत को उन लोगों को समझाने में बहुत तकलीफ रहती है। एक आदमी हो तो उसको समझाया जा सकता है दो हो तो उनको समझाया जा सकता है लेकिन २०, २५ आदमियों को समझाना बहुत

२ म. प.

मुश्किल होता है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर जमीन सरकार के अधीन आ जायगी तो पंचायतें अपने अधीन लेकर

(श्री भोलानाथ)

वहां की जनता को जो मेरी मंशा थी कि पंचायतों के जरिये से फैसले हो, उसमें बहुत कुछ मैदद मिलेगी। इसी तरह टिनेन्सी कानून का अमल होना था। यही ऐसा कानून था जो रुका हुआ था और जितने प्रोग्रेसिव कानून थे इस एसेम्बली द्वारा पास किये गये वे मिसलिंग से मालूम पड़ते थे। अब हम कह सकते हैं कि भूमि सुधार के कानून को लागू करने की स्थिति में पहुंच गये हैं।

मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि नियम उपनियम बनते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखा जाय कि जिनकी शिकायतें आपके सामने आ रही हैं और जिसके लिए मजबूर हम आपको करते थे, चाहे वह शिकायत चरागाहों की हो, रास्तों की हो, न तो आप तहसीलदार को अधिकार दे सकते थे, इसलिए उनकी ओर विशेष रूप से खयाल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कानून के पास पो जाने के बाद जमींदारी और बिस्वेदारों के दिमाग में यह बात बैठ जावेगी कि उनको गांवों में रहना है। वैसे इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा वे मालिक अदना कहलाते थे। वैसे उस जमीन की मालिक तो सरकार थी लेकिन अपने को वे ही मालिक समझ कर अपने आपको बड़ा समझ लेते थे। सरकार की जमीन होते हुए भी, यहां तक स्थिति हो जाती थी कि यदि सरकार को जमीन लेनी होती थी–किसी सड़क वगैरह के लिए तो उसका बिस्वेदार और जमींदार को मुआवजा देना पडता था। एक बात अलबत्ता जरूर थी कि कोई जमींदार या बिस्वेदार बिना जुती हुई जमीन छोड़ जाता था या लगान नहीं देता था तो सरकार उस जमीन को ले सकती थी। लेकिन जमींदार और बिस्वेदार अपने आपको बड़े आदमी मानते थे। जब कभी गांव में ढोल-ढमके का प्रश्न आता था तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती थी और वे लोग बड़ी गड़बड़ी किया करते थे। हालांकि काश्तकारी कानून के पास हो जाने के बाद वह चीज़ बहुत कुछ तो दब गई है, लेकिन जो कुछ भी ये बातें बाकी रह गई हैं, चाहे सड़क के लिए जमीन का सवाल हो, चरागाह का सवाल हो, ये कम हो जावेंगी। और मालिक अदना होते हुए भी, चाहे शब्द छोटा होते हुए भी, वे अपने आपको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि 'पेटी पिजेन्टरी प्रोप्राइटर्स' कहते थे, वैसे उनकी मामूली छोटे छोटे काश्तकारों जैसी ही हैसियत थी लेकिन उसके साथ जमींदार और बिस्वेदार शब्द जुड़ा हुआ था। वह एक साइकोलोजिकल बात थी और उनके दिमाग से निकलाना बड़ा मुश्किल था। इस कानून के बन जाने के बाद आज ही एक वकील साहब कहने लगे कि कब यह पास होगा और ये कब समाप्त होंगे उन बातों की कमी जरूरत आ जायगी। रास्ते, जमीन वगैरह दबाने के ये बड़े मामले होते रहते हैं, आज भी हैं और रास्तों को दबा रहे हैं, चाहे डवेलपमेन्ट का काम हो, चाहे एन. इ. एस. का काम हो। सरकार देहातों में काम करना चाहती है लेकिन उनकी इन बातों के कारण वह नहीं कर सकती। क्योंकि लैंएड एक्वायर करें तो उसकी प्रोसिडिंग्स चालयें, जमींदार, बिस्वेदार को नोटिस दें तब कहीं जाकर रास्ता निकले, ऐसी हालत पैदा हो गई थी। मुझे खुशी है कि इस कानून के बन जाने के पश्चात् वह स्थिति समाप्त होगी और विकास कार्यों में तेजी आवेगी और खास कर उन इलकों में उनकी साधारण स्थिति होते हुए भी भी वे अपने आपको जमीन का, रास्तों का मालिक मानते थे। वैसे खातेदारी

(श्री भोलानाथ)

कानून के पास हो जाने के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ऐसे बिस्वेदार और जमींदार लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, मवेशी पालते हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। खातेदारों को रिलीफ मिलेगा और उन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा जो पशु पालते हैं। इसलिए पुनः मैं राजस्व मंत्री को बधाई देते हुए निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के नियम उपनियम बनावें।

एक माननीय सदस्य : बधाइयां ही बधाइयां मिल रही हैं।

श्री भोलानाथ : आज बधाइयों का दिन है चाहे देर से आये लेकिन दुरुस्त आये।

श्री भैरोंसिंह : इतिहास का निर्माण हो रहा है।

श्री भोलानाथ : इतिहास का निर्माण हो रहा है. मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस कानून के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर इसको शीघ्र ही लागू किया जाय।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम राजस्व मंत्रीजी को आज बधाइयां ही बधाइयां देंगे तो वे शायद अघा जावेंगे लेकिन ऐसा भी होना चाहिये कि जिससे उनको बधाई नहीं दी जा सके। जो कानून पास किया जा रहा है उस कानून में एक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से भूमि सुधार का होना चाहिये। जमींदार और जागीरदार एक सुविधा प्राप्त व्यक्ति थे, एक महज मालिकपने की बात थी, उसको खत्म करके समाज में समान स्वरूप लाने की बात समस्या का एक पहलू हो सकता है और उसके विपरीत दूसरा पहलू भी है कि शोषण का किस तरह से अन्त किया जाय। किसी कानून को प्रगतिशील कानून बनाते हैं, अगर उसमें शोषण शेष रह जाता है, चाहे वह शोषण किसी व्यक्ति द्वारा होता हो, चाहे वह शोषण सरकार द्वारा होता हो वह प्रगतिशील कानून नहीं कहा जा सकता। मेरा निवेदन है कि जमींदारी और जागीरदारी समाप्त करने के लिए जितना कांग्रेस को और सरकार को लाभ उठाना था लाभ उठाया ही है और उसको इस बात के लिए भी सतर्क हो जाना चाहिये, लाभ समाप्त हुए तो उसका परिणाम भी उनको स्पष्ट दीखेगा। मैं यह कभी नहीं कहता कि जो कुछ भूमि सुधार हुए हैं उनसे दोनों पहलूओं का हल हो गया है। सामाजिक दृष्टिकोण से बातें हुई हैं वह समस्या का एक पहलू है। आज शोषण का जो पहलू है वह उसी रूप में विद्यमान है जैसा कि पहले था। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि जागीरदारी समाप्त करने के पश्चात् जागीरदारी क्षेत्रों में किसान काम करते थे, उनको जो उस समय लगान देना पड़ता था क्या उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है? मैं समझता हूँ कि जागीरदारी की समाप्ति के तत्काल पूर्व जो लगान उनको देना पड़ता था वह आज भी देना पड़ता है और जमींदारी समाप्त करने के पूर्व तत्काल लगान देना पड़ता है वह आगे भी देना पड़ेगा और यही आज इस कानून में व्यवस्था कर रहे हैं। तब मुझे समझ में नहीं आता कि शोषण का कैसे अन्त कर रहे हैं? इस कानून के बनने से पहले ज्यादा से ज्यादा लगान एक जमींदार दुगुना ले सकता था। ठीक है जो शोषण विस्तृत रूप में था उसको सीमित किया है फिर भी शोषण शोषण ही है। राजस्थान में एक जगह एक रुपया लगान लेना और दूसरी जगह दो

(श्री तनसिंह)

रुपया लगान लेना यह शोषण ही है। पहले जमींदार और बिस्वेदार वसूल करते थे लेकिन अब राज्य सरकार करेगी इस कानून के बन जाने के बाद। इसको अगर प्रगतिशील कानून कहा जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रगतिशील कानून एकांगी नहीं हो सकता, वह समान रूप से सर्वांगीण प्रगतिशील होना चाहिये। हम मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समानता का स्तर लाये हैं तो निश्चित् रूप से वह लाभदायक होगा ही। लेकिन इससे काश्तकारों को क्या राहत होगी? बताया यह गया कि सेटलमेन्ट हो गया उस समय तक वही लगान देना पड़ेगा।

मैं समझता हूँ कि जो सरकार की वित्तीय नीति रही है उस नीति को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें प्रतीत होगा कि सरकार कभी इस बात की इच्छुक नहीं कि उसके खजाने में जो पैसा आता है उसमें किसी प्रकार की कटौती हो जाय। सरकार तो यह चाहती है कि अवैधानिक रूप से या अनैतिक रूप से जो भी लाभ हो रहा है वह पूरा लाभ नियम के रूप में या विधान के अनुसार है, उससे अलग करने की कोशिश नहीं करेगी। इस विषय में मैं उदाहरण दे सकता हूं। हमारे इस राज्य-कोष में बहुत पैसा उन मदों से आता है जिनसे हमारा नैतिक स्तर गिराया जा सकता है; वह है नशाबन्दी का। हम नशाबन्दी इसलिये नहीं कर पा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : How ? Is it relevent to the debate ? After all this is third reading and not second reading. You should confine yourself to the general nature of the debate.

श्री तनसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूँ सेटलमेन्ट नहीं होगा अगर सेटलमेन्ट होता है तो पैसा कम हो जायगा और पैसा कम होना सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको स्पष्ट करने के लिये सरकार की वित्तीय नीति को इंगित करते हुए कुछ उदाहरण दिया जा सकता है और होना भी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : We will not introduce such instances.

श्री तनसिंह : मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को कमजोर बताकर शोषण को जारी नहीं रख सकते। राजस्थान की आर्थिक कठिनाइयां हैं इसमें शक नहीं है। इसके लिये जिस प्रकार का भी योगदान चाहिये वह उपयुक्त योगदान हम देने के लिये तैयार हैं। लेकिन शोषण किसी भी अंश में रहे, यह हमारे लिये उपयुक्त नहीं है, राजस्थान का भविष्य निर्माण करने वालों के लिये उपयुक्त नहीं है। इसलिये केवल यह कहने को कि वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं जिसके आधार पर हम कह सकें कि जो लगान दुगुना लिया जा रहा है इस कानून के द्वारा आधा कर दें। मैं समझ सकता हूं जहां एक लेखनी के झटके के साथ इस चीज को लाया जा सकता है, जिस तरह से एक मत विभाजन के साथ पी. यों के हक को समाप्त कर सकते हैं तो फिर यह आधा लगान करने में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। कठिनाई इतनी ही है कि पैसा चुकाना पड़ेगा जमींदारों को और उसके साथ-साथ खजाने की आमदनी का जो अनुमान है वह आमदनी कम हो जायगी।

मैं जहां तक समझ पाया हूँ इस प्रकार से आमदनी कम हो तो भी उस आमदनी के साधन को देखना पड़ेगा। आमदनी किस जरिये से होती है? अगर किसी के कमाई का साधन अच्छा नहीं है तो उससे निर्मित जो

(श्री तनसिंह)

वस्तु होगी, उससे जो विकास कार्य होंगे उनसे विशेष लाभ होने की संभावना नहीं होगी। नैतिक दृष्टि से जो पैसा ठीक नहीं है वह पैसा व्यावहारिक दृष्टि से लाभ नहीं पहुँचा सकता। जिस प्रकार के भौतिक दृष्टिकोण से समाज आगे बढ़ रहा है वहां हमारा नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होना आवश्यक है।

इस महत्वपूर्ण कानून को पास करते हुए हम इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे किसानों को राहत मिल सकती है। अगर भरतपुर, अलवर और गंगानगर के किसानों को डबल रेन्ट देना पड़ेगा तो स्पष्ट रूप से मैं इस विचार को मानता हूँ कि इस कानून द्वारा शोषण को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ० बहादुरसिंह : वहां सेटलमेन्ट ज्यादा बढ़ जायगा।

श्री तनसिंह : अगर सेटलमेन्ट के बढ़ने का विषय है तो भरतपुर, अलवर और गंगानगर का उदाहरण मान कर सारे राज्य की रेट्स को रिवाइज़ करने की बात हो तो इससे बढ़ कर और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है ? मैं ऐसी स्थिति क्यों सोचूं। मैं तो सरकार के बोनाफाइड्स को ठीक रूप में मानते हुए ठीक प्रकार से प्रीज़्यूम करते हुए कहूंगा कि सरकार यह चाहती होगी कि सेटलमेन्ट जब होगा उसके बाद में हम रेट्स को स्टेन्डर्डाइज़ कर देंगे, वही लगान हम दूसरी जगह भी लागू कर देंगे। जिस प्रकार की सरकार की नीति है उम्मीद नहीं बीस वर्ष में भी इस प्रकार से सेटलमेन्ट होने की संभावना हो। अभी-अभी सेटलमेन्ट हो गया है उसके बाद में जब विधान द्वारा या अधिनियम द्वारा इस प्रकार के रेट्स को जब ठीक प्रकार से मान्यता दे देते हैं उसके बाद यह प्रश्न उत्पन्न होगा। सरकार का दृष्टिकोण यह रहेगा कि विधान सभा में विश्वास प्राप्त कर लिया है तो फिर सेटलमेंट करने की क्या जल्दी है; इसमें बहुत पैसा भी देना पड़ता है, इसलिये जितना भी पैसा आ सकता है उसे खजाने में जमा करते जायं।

मैं इस सारे कानून में इस धारा को विशेष महत्वपूर्ण समझता हूं, खास तौर से इसलिये कि हम प्रगतिशील कानून बनाना चाहते हैं। इस कानून में हमने प्रगतिशील कानून का एक पहलू हल किया और दूसरा पहलू उसी प्रकार पड़ा हुआ है उसको हल करने की आवश्यकता है। बन्दोबस्त शीघ्र हो जायगा, पर मेरा यह निवेदन है कि चाहे शीघ्र हो या देर से हमें उन परिस्थितियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हम यह बात मानने को तैयार हैं या नहीं कि लगान जो लिया जा रहा है। वह सामान्य लगान से दुगुना है। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि प्रीविलेन्ट जो लगान था उससे अधिकतम दुगुना बनाया है। दुगुने को मान्यता सब ने मान ली है। राज्य में ऐसा शायद ही कोई किसान होगा जिससे दुगुने से कम लगान वसूल किया जाता होगा। बहुत से किसान ऐसे भी होंगे जो दुगुने से भी ज्यादा लगान देते होंगे तो फिर शोषण का अन्त किस प्रकार हुआ ? ऐसी अवस्था में जो विधेयक पास होने जा रहा है उसमें बहुत बड़ी कमी है जिस कमी को हम इस स्टेज़ पर भी दूर कर सकते हैं। आज क्लेम यह किया जा रहा है कि हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह मैं भी मानता हूँ कि यह महत्वपूर्ण प्रगति है लेकिन इसका सार रूप जो वास्तव में रीढ़ की हड्डी है, जो देश की समृद्धि के लिये प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, उस रीढ की हड्डी को

(श्री तनसिंह)

मजबूत बनाना है आर्थिक दृष्टिकोण से, तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, चाहे हमारा लाभ हो या हानि इस दृष्टिकोण को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लाभ और हानि के दृष्टि-कोण को महत्व देते हैं तो जो किसान देश की सुख-समृद्धि के लिये जो जनता का महत्व पूर्ण भाग है उसको राहत देना चाहते हैं तो यह दावा नहीं किया जा सकता। मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि इस समय जब कि हम बिल पास कर रहे हैं, इस महत्वपूर्ण परिवर्त्तन और परिवर्द्धन की अत्यन्त आव-श्यकता है, इसके बिना प्रगति के अन्दर लू-पोल रह जायगा। संभवतः वह न जाने कब और किस मन्त्री द्वारा पेश होगा और कब पास होगा। आज अवसर है इस अवसर पर जब कि इस सवाल पर विचार हो रहा है, यह आसानी से किया जा सकता है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान जमीं-दारी तथा बिश्वेदारी उत्पादन विधेयक को कानूनी रूप देने जा रहे हैं। वास्तव में राज्य सरकार का यह सराहनीय कदम है। जिस तरह से राज्य सरकार ने जागीरदारी इलाके में बसने वाले किसानों के ऊपर से एक बिचौलिया सिस्टम का खात्मा किया और उनको राहत पहुँचाने का कदम उठाया उसी तरह का एक बहुत बड़ा भाग करीब चार पाँच ज़िलों के अन्दर जमींदारों के प्रभाव के नीचे निवास करता है उनके लिये भी आज कानून बनाने जा रहे हैं। वास्तव में जिस मकसद से कानून बनाया जा रहा है वह मकसद कानून के बन जाने के बाद कार्य रूप में परिणित होगा। इसका असर कितना पड़ेगा यह भी विचार करके चलना चाहिये। आज हम जब कि इस कानून को बहुत जल्दी पास करने जा रहे हैं इसमें किसी प्रकार की कमी प्रतीत होती हो उसको ठीक प्रकार से समझकर ठीक करना हमारा फर्ज हो जाता है।

वास्तव में वह कानून जो प्रगतिशील कहलाने का दावा करे या कहलाना चाहता है तो उसमें किसी प्रकार की खामी रह जाती है तो आखिरी टाइम में निकाल देनी चाहिये। जिस तरह की एक चीज आज बनाने की कोशिश की है, किसान को ऊँचा उठाने के लिये बिचौलिया सिस्टम को खत्म कर रहे हैं जिनको जागीरदार और जमींदार कहते हैं उनको इस अधिकार से अलग करके वास्तव में जमीन किसानों को देना चाहते हैं। लेकिन इस चीज के साथ में हमें यह भी विचार करके चलना चाहिये कि अगर इसमें किसी प्रकार की खामी रह जाती है तो उसको भी दूर कर देना चाहिये। वास्तव में किसान का जमीन पर स्थायित्व हो, कब्जा हो, तभी देश का किसान तरक्की कर सकता है और हमारे अनाज की समस्या हल हो सकती है, किसान उन्नतिशील हो सकता है यह सही चीज है। यह एक सही चीज है; यह साबित हुई चीज है। इसलिये इसके साथ में जहां कोई किसी प्रकार का किसान पर दबाव हो वहां भी समझ कर हमें कमी कर देनी चाहिये।

जहां तक जमीन पर स्थायित्व का अधिकार है वह ठीक है। पर साथ ही साथ किसान पर जो आर्थिक दबाव आ रहा है उसको कम करने के लिये हम क्या प्रगति कर रहे हैं, यह भी देखना होगा। इस दृष्टि से अगर आखिरी वक्त भी कोई भी इस पक्ष का या उस पक्ष का सदस्य कोई सुझाव दे तो

(श्री मोहरसिंह)

उसे मान कर इस कानून को एक प्रगतशील कानून बनाने केलिये हरदम तत्पर रहना चाहिये।

लगान का जो सवाल है, यह बहुत बड़ा सवाल है। जमींदार किसान से काफी लगान लिया करता था दुगुना या तिगुना, आप कहते हैं दुगुना, पर इसमें लिखा है तिगुना, जो शायद गलती से छप गया है। तो यह तिगुना आज तक जमींदार लेता रहा है। अब एक एजेन्सी समाप्त करके और दूसरी सरकारी एजेन्सी हमने कायम की है। फिर भी उतना ही लगान लेते रहने का अर्थ है कि जिस शोषण को खत्म करना हमारा ध्येय था उस शोषण को खतम करने का हमने कोई कदम नहीं उठाया। तो यह भी जरूर ठीक कर देना चाहिये और जल्दी से जल्दी इस प्रकार का आश्वासन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को सदन को देना चाहिये कि वे यह लगान भी कम करके किसान को सही राहत पहुँचाने की स्टेज़ तक भी बढ़ रहे हैं। वह लगान रहना चाहिये जो वाजिब है। इसमें अगर सरकार को नुकसान भी पड़ता हो तो कोई हर्ज़ नहीं होना चाहिये।

हम जब प्रगतिशील कानून बनाने की बात करते हैं तो यह छोटी सी खामी भी इस कानून में नहीं रहनी चाहिये। हम किसान पर से वज़न घटाने जा रहे हैं। किसान को प्रगति करने का अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं तो यह चीज जरूर इसमें शामिल करनी चाहिये और सरकार की तरफ से इस प्रकार का आश्वासन मिलना चाहिये कि इससे लगान भी हम उसी रूप में लेंगे जैसा दूसरी जगह लेते हैं, दुगुना या तिगुना नहीं लेंगे।

अब सवाल आता है सेटलमेंट का। उनकी तरफ से इसके लिये भी आश्वासन आना चाहिये कि जल्दी से जल्दी इसके रास्ते में आने वाली सभी कानूनी अड़चनों को हटाकर किसान को शीघ्रातिशीघ्र उचित राहत पहुँचाने के लिये जल्दी से सेटलमेंट कराया जावेगा और उसे इस तरह से पूरी राहत पहुँचाई जावेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आज हम इस जमींदारी एबोलिशन बिल का तृतीय वाचन पूर्ण करने जा रहे हैं। यह कानून किसानों के हित के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

इसके लिये यह कहा गया कि इसमें कुछ खामियां हैं। मैं बताऊंगा वे किस कारण से और किस वज़ह से कहते हैं।

एक बात यह कही गई कि शोषण करने-वालों की जगह एक हट गया और राज अब उसकी जगह आ गया। मैं इसे ठीक नहीं मानता। राज शोषण नहीं करता, अलबत्ता आप यह कह सकते हैं कि लगान ज्यादा है। पर वह लगान भी सरकार अपने स्वार्थ के लिये नहीं काम में लेती, उसको प्रजा के हित के लिये ही वापिस खर्च कर देती है। शोषण करनेवाला अपने स्वार्थ के लिए शोषण करता है, पर सरकार ऐसा नहीं करती।

इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जमींदारी जिस जगह पर है, उस जगह आज आधा बांटा, चौथा बांटा लिया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : आज भी लिया जाता है गंगानगर में।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह अलग बात है। कानून आप कुछ भी बनावें, उसका पालन अगर कहीं पूरी तरह नहीं होता तो शिकायत की जा सकती है। कानून तो है न। इस कानून से वह पहले वाला बिचौलिया तो खत्म हो गया न।

अब यह कहा गया कि हमने उन लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचाई जो खुदकाश्त में थे और जिन्होंने कि अपनी जमीन में इम्प्रूवमेंट किया। यह बिल्कुल गलत बात है। उनसे वही लगान लिया जावेगा जो कि वे भू-राजस्व सरकार को अदा करते थे। ऐसी स्थिति में उनको फायदा नहीं हुआ, यह कहना गलत है। सारी ज़मीन का फिर वे उपयोग भी तो करते हैं।

अब उनसे हम जो पहले वाला यह लगान ले रहे हैं वह भी इसलिये ले रहे हैं कि वहां अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। जब सेटलमेंट हो जावेगा तो जैसे दूसरे क्षेत्रों में बाकी के राजस्थान के हिस्सों में लिया जाता है उसी प्रकार वहां भी लिया जाने लगेगा।

अब यह कहा गया कि राजस्थान सरकार वहां सेटलमेंट जल्दी से जल्दी नहीं करावेगी। इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि अगर सेटलमेंट हो जावेगा तो उनका लगान अधिक बढ़ जावेगा। ऐसी स्थिति में भी अगर राजस्थान सरकार अपना राजस्व भी नहीं बढ़ाना चाहेगी तो इससे भी काश्तकारों को नुकसान होना प्रतीत नहीं होगा। इसलिए सरकार ने तो तिगुना चौगुना के स्थान पर केवल दुगुना ही रक्खा है। तो इसमें शोषण की जाने की बात कहना उपयुक्त नहीं है।

इस कानून के द्वारा हम बिचौलिया वर्ग की अन्त्येष्टि कर रहे हैं, जो काश्तकार और सरकार के बीच में थे, उनको हम इस कानून के द्वारा आज मिटाने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सरकार ने यह बिल पेश किया और आज पारित करने जा रहे हैं तो इसके लिये वह बधाई की पात्र है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आज जो धारा २९ के बारे में और किन्हीं माननीय सदस्य ने धारा २८ के बारे में भी जो कहा है और उसको लेकर वे अपने दिमाग में शासकदल के प्रति आलोचना करने का दिमाग बनाते हैं और कह रहे हैं कि काश्तकारों पर जबर्दस्ती यह लगान लाद रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वह जल्दी से जल्दी जहां तक हो सके सेटलमेंट करके इसका निपटारा कर दें। इससे जो विरोधी पक्ष वाले यह प्रचार करने की नीयत से बात कह रहे हैं कि यह लगान कायम रखकर कांग्रेस आज किसान का शोषण करने जा रही है और इस तरह का प्रोपेगण्डा करने की नीयत से जो कहा जा रहा है तो इस झूठे लांछन को मिटाने के लिये भी जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करना ठीक होगा।

श्री रामकरणसिंह : इसको आप झूठ मानते हैं तो किसको दूर करा रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जो लोग इसका प्रचार करते हैं.......

श्री भैरोंसिंह : प्रचार झूठा होगा या सच्चा होगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: प्रचार आज तो झूठा है।

श्री उपाध्यक्ष : We will not refer to the propaganda going outside the House.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया है कि जमींदारों और बिस्वेदारों को कम्पेन्सेशन दिया जाता है और काश्तकारों के ऊपर जुल्म किया जाता है उसका जवाब यह है कि यह जो प्रचार आज हो रहा है यहां वह बाहर भी होगा....

श्री श्रीभानसिंह : प्रचार गलत हो सकता है, झूंठा नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करने वाले थे अपनी गाड़ी को, आपने तो उनको और भी तेज कर दिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आज गलत प्रचार किया जा रहा है उसको रोकने की दृष्टि से सरकार को चाहिए कि सेटलमेंन्ट जल्दी से जल्दी करके इस गलत बात का निराकरण जल्दी ही हो जाय। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बिल लागू किया जा रहा है यह जल्दी से जल्दी पारित होकर के राजस्थान में शीघ्र लागू किया जाये और गंगानगर के बारे में मैं फिर निवेदन करूंगा कि गंगानगर निवासियों को यह बिल बहुत ही अटपटा सा मालूम हो रहा है और वे सोचते हैं कि हमारे प्रति अन्याय है और यह घातक है। मैं कहूँगा कि उनके लिए यह घातक नहीं है। वह सीलिंग का या खातेदारी राइट्स का जहां तक सवाल है उसके अन्दर आप कुछ कह सकते हैं लेकिन जो ज़मींन, जमींदारी सिस्टम आपके कब्जे में है उसका तो आपको मुआवज़ा मिलेगा। इसके अन्दर कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पास करके लागू किया जाये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : क्या भाषण है, अब और क्या कहना है ?

•

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंचेज़ से यह बात आई है कि क्या भाषण है ? भाषण यह है कि आप जैसी व्यवस्था करने जा रहे हैं मैं उस व्यवस्था के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक बात जरूरी है। हमने हिन्दुस्तान की जब पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की तो उस योजना के पीछे दो सिद्धांत थे। एक तो सिद्धांत यह था कि हम मध्यस्थों को खत्म करना चाहते हैं और दूसरा सिद्धांत यह था कि जिन लोगों की आय में भारी अंतर है उस आय को कम करना चाहते हैं। मुझे इस बिल को देखने से ऐसा लगता है कि चाहे आज न हो लेकिन आने वाले समय में आपको इस बिल में अमेन्डमेन्ट करने होंगे। चाहे आज आप न करें क्योंकि राजस्थान की जनता अशिक्षित जनता है, जिस जनता ने अभी तक अपने अधिकारों को पूरे रूप में नहीं समझा है, जहां के काश्तकार लोग अभी तक अपने हकों के बारे में पूरी तरह लड़ना नहीं जानते हैं। लेकिन एक समय आयेगा तब आपको जो आज मुआवज़े की शर्तें हैं, जो आपने खुदकाश्त के बारे में इस बिल में बातें रखी हैं, जो आपने मन्दिर और जलाशयों, पोखरों के बारे में प्रावधान रखे हैं उनके लिए एक जमाना बाद में बतलायेगा कि वह आनेवाले थोड़े ही दिन में बतायेंगे कि हम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच सके जिस स्तर पर हमें पहुंचना चाहिए। क्योंकि पंचवर्षीय योजना और कोई योजना में बड़े बड़े शब्दों में जब उद्देश्य लिखे जाते हैं उनमें यही बात खास रूप से रखी जाती है कि यह जो सामा-

(श्री मूलचन्द डागा)

जिक ढांचा है वह बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, हम नहीं चाहते कि मनुष्य मनुष्य में बड़ा अन्तर हो। जमींदारों को आप खत्म करना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि उनको उस लेवल पर लाया जाये कि जिस लेवल पर हम उनको और दूसरे गरीब आदमियों के लेवल में खड़ा कर सकें। लेकिन इस प्रकार के जो बिल आते हैं उनको एक भावना के आधार पर प्रगतिशील कानून कहते हैं, हम उनको अच्छा बिल कहते हैं। लेकिन उनकी जो मंशा है बिल के द्वारा जो आप कलेक्टर को अधिकार देते हैं, जो आपके सेक्शन ४, ५ और ६ हैं उनमें यह है कि कलेक्टर जांच करेंगे। सवाल यह है कि कानून का आज डिस्क्रिमिनेशन है : जहां दिमाग को कलेक्टर काम में लायेंगे वहां पर यही होगा कि उस खातेदारी की जमीन के बारे में, कम्पेन्सेशन के बारे में, कछार की जमीन के बारे में, जो पानी के अन्दर जमीन है उसके बारे में, आज नहीं तो मेरी समझ में तीन, चार साल बाद इसी विधान सभा में इसी बिल पर अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे। क्यों आयेंगे ? क्योंकि हम उन बातों को भूल गए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई वर्ग हमारी शोषण की हुई दौलत पर बैठकर ऐश करे और आराम करे। हमारे समाज का जिन्होंने शोषण किया है वह उस दौलत और पूंजी पर आनन्द उठा रहे हैं, हम उस आनन्द को कम करना चाहते हैं और उनको बतलाना चाहते हैं कि तुम भी अपने हाथपैरों की मेहनत पर कमाई करो। लेकिन दूसरी ओर हमने उनको इस प्रकार की चीजें दे रखी हैं कि चाहे वह अभी तक जमींदार हो, बिस्वेदार हो या जागीरदार हो उसके पास उसी रूप में दौलत होगी, उसके पास खुदकाश्त की जमीन होगी, उसके पास तालाब होंगे उसके पास वही पोखर होंगे, वही बिल्डिंग होंगी और फिर ऊपर से उसको मुआविज़ा भी देंगे। हम तो इसका परिणाम यह चाहते हैं कि आपने जो उद्देश्य बना रखा है कि हम गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, किसानों को गरीबी से बचाना चाहते हैं वह बिल क्रांतिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि हम लोग वह भावना थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि जब कि लोग शिक्षित हो जायेंगे और वह महसूस करेंगे कि हमें जिन कानूनों को पास करना चाहिए था हमने वे पास नहीं किए और जिनके कारण हम उसी समय उठ सकते थे। हमने वही प्रावधान रखे। हमने कई बार कहा कि जो बोये उसी की ज़मीन, लेकिन अभी हम नहीं चाहते। अभी हम धीरे धीरे, हल्के हल्के, लोगों की भावनाओं को छूते छूते, बच बच कर चलना चाहते हैं और जो यह कानून है यह क्रांतिकारी नहीं है, यह धीरे धीरे चलने वाला है। प्रगति की ओर हमारे कदम धीरे धीरे चल रहे हैं। हमें उनसे संतोष तभी होगा जब कि बड़े बड़े महल अस्पतालों और स्कूलों में परिवर्तित होंगे। हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। चाहे क्रांतिकारी बिल लाने के लिए प्रगतिशील शब्द या क्रांतिकारी शब्द कह दें मगर यह प्रगतिशील और क्रांतिकारी तभी होंगे जब कि हम भारी इन्कम करने-वालों को और कम इन्कम करने वालों को एक स्तर पर ले आयेंगे और उनका यह अन्तर मिटा देंगे। यही हमारी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अगर हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाये तो चाहे सुनहरी अक्षरों में लिखा जाये या जैसा अभी अभी एक वक्ता ने चांदी के अक्षरों में लिखने की बात कही, मगर पच्चीस, तीस साल में यह लिखा जायेगा कि वह सरकार

Page No.65

(श्री मूलचन्द डागा)

धीरे धीरे चलने वाली सरकार थी । वह क्रांतिकारी बिल नहीं ला सके और झटके से गरीबों को ऊंचा उठाने की बात कहना यह क्रांतिकारी बिल नहीं हो सकता । मैं तो कहूंगा कि जमींदारी और बिस्वेदारी शब्द है उसको मिटाने के लिए यह बिल आया है तो अब आयेंगे पूंजीवादी । एक नाम तो आयेगा पूंजीवाद किसान और दूसरा नाम आयेगा गरीब किसान । यह वर्ग पैदा होगा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में दोनों ओर से काफी कहा जा चुका है । मैं धन्यवाद राजस्व मंत्री महोदय को देने के पहले यह जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में अगर फर्क रहा जैसा कि दुगुना और बढ़ा कर यह सवाल रखा गया है कि सेटलमेंट तक यही प्रावधान रहे तो यह उचित कदम नहीं रहेगा और दूसरी बात यह है कि पांचों को दो दो भात की तरह से किसी जगह किसी प्रान्त में नोटिफिकेशन जारी होकर कोई चीज जुदा जुदा तरीकों से काम में लाई जायगी और समय और स्थान के वास्ते तो यह भी अनुचित होगा । इस विषय के अन्दर ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । यही कहना है कि जैसे जागीरदारों के वास्ते जो प्रश्न था वह टुकड़ों २ के अन्दर जैसे आगे बढ़ा है इसी प्रकार यह प्रश्न भी स्थान और समय को देखते हुए टुकड़ों टुकड़ों में आगे बढ़े तो उसका गौरव गिर जायगा और आज के वक्त उसका उतना प्रचार नहीं हो सकेगा । मैं इसलिए यह निवेदन करूंगा कि ऐसे शान्त और अच्छे वातावरण में जब यह चीज आई है तो इसके वास्ते छोटी मोटी दो चार दिक्कतें हैं वह सब साफ होनी जानी चाहिये और आगे के लिए यह सवाल नहीं रखा जाय । सेटलमेंट का क्या पता ? पहले वाले सेटलमेंट को वर्षों गुजर गये और कोई ताज्जुब नहीं कि आगे आने वाले सेटलमेंट में समय काफी लग जाय । तो इसके लिए आज ही जिस समय यह पेश किया जाय तब अच्छे तरीके से इस सवाल को उठाया जाय तो ज्यादा अच्छी परम्परा रहेगी, यही मेरा निवेदन है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस बिल को पारित करने जा रहे हैं । हम देखना चाहेंगे पारित करने से पहले कि जो इस बिल को लाने का हमारा मकसद था वह इस बिल के पारित होने से कहां तक प्राप्त हो सकेगा ? यानी जो जमींदारी एबॉलिशन का फैसला किया है वह हमने इसलिये किया है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो रूरल इकॉनोमी है. हमारी जो एग्रीकल्चरल इकॉनोमी है उसको हम रीबिल्ट करना चाहते हैं, उसका पुनर्निर्माण हम करना चाहते हैं और यह जो इन्टरमीजियरीज हैं इनको हम एबॉलिश करना चाहते हैं । उसको एबॉलिश करना यह हमारा साधन है रूरल इकॉनोमी को रीबिल्ट करने का । इन इन्टरमीजियरीज को एबॉलिश करना हमारा कोई अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं है । हमारा अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव इकॉनोमी को रीबिल्ट करना है । इन्टरमीजियरीज को खत्म करना हमारा साधन है उसको करने का । हम क्यों चाहते हैं कि इन्टरमीजियरीज को खत्म करें ? वह ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स में नहीं बताया । वहां ऑब्जेक्ट है कि इन्टरमीजियरीज को यह करना चाहते हैं और रीजन्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में नहीं बताये हैं । रीजन यही है कि यह जो इन्टरमीजियरीज हैं उनके रहने की वजह से हमारी जो रूरल

(श्री पी० के० चौधरी)

इकोनोमी है उसमें जो एग्रीकल्चरल क्लास है उनके ऊपर दो चीजें होती हैं। एक तो यह है कि इन लोगों को एक्जोरबीटेन्ट रेन्ट देना पड़ता है । एक्जोरबिटेन्ट रेन्ट देते हैं जिससे वह फाइनेन्शियली कभी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। उनके ऊपर डेट्स वगैरह का भार आकर पड़ता है। दूसरी चीज यह है कि इन इन्टरमीजियरीज के होने की वजह से उनको प्रोप्राइटरी राइट्स जमीन पर नहीं मिलता है और प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं मिलता है इसलिए वे जमीन पर इम्प्रूवमेंट भी जो करना चाहिए, वह नहीं करते हैं।

अब हम देखते हैं कि ये दोनों चीजें हैं उनके ऊपर इकॉनोमिक बर्डन जो एक्जोरबीटेन्ट रेन्ट की वजह से पड़ता है तो कहां तक इस बिल के जरिये इनके इस इकॉनोमिक बर्डन को फिलहाल हमने रिड्यूस किया है ? इस बिल के जो क्लॉजेज़ २८ और २६ हैं उनकी तरफ आप ध्यान देगें तो आप देखेंगे कि जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तो क्लॉज २८ में यह कहा गया है कि रेन्ट्स जो जमींदार पहले से अगर खुदकाश्त जमींदार है तो उसके लिए वह लैण्ड रेवेन्यू का रेन्ट है। जो लैण्ड रेवेन्यू है उसी रेट से पे करेगा जब तक कि दूसरा सेटिलमेंट नहीं है, लेकिन जहां तक काश्तकार का सवाल है जो जमींदार की जमीन पर पहले से खेती करता है, काश्त करता है उसका जो रैन्ट वह जमींदार को पे करता था, वही रैन्ट उसी लैण्ड का देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ऑन दी फेस ऑफ इट ओबवियसली यह लगता है कि यह बिल काश्तकारों को को रिलीफ पहुंचाने के लिए सब से कम है, बल्कि वह हैविली इन फेवर ऑफ दी जमींदार्स है जिनको कि हम एबॉलिश करना चाहते हैं। उनसे जब तक सेटिलमेंट नहीं होगा तब तक लैण्ड रेवेन्यू की रेट उससे रैन्ट लेते हैं लेकिन एक काश्तकार का जब सवाल है उसके पास जो रैन्ट वह लैण्ड लॉर्ड को पहले पे करता था उस रेट से लेते रहेंगे। उस रेट से जब लेते रहेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो रीजन्स थे, जिस वजह से इन्टरमीजियरीज को एबॉलिश करना चाहते हैं वह ऑब्जेक्टिव इमिजियेट फ्यूचर में एचीव नहीं होता है। इमीजियेट फ्यूचर में उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। आप कहेंगे कि हम तो सेटलमेंट कर देगें, लेकिन मैं आप से कह सकता हूं कि हमारा जो तजुर्बा है, हम जानते हैं कि सेटलमेंट में बर्षों लगते हैं। सेटलमेंट होने से आज से ५ साल तक आप सेटलमेंट करेंगे तो ५ साल तक दुनिया में क्या क्या चेन्जेज आयेगें। वह आप नहीं कह सकते कि आज से ५ साल के बाद क्या पोजिशन रहेगी, आपकी लैण्ड जिस जमाने में आप सेटलमेंट करने जायेगें उसकी प्रोडक्शन केपेसिटी क्या रहेगी; यह बातें जब उसमें पैदा होती हैं तो हम देखते हैं कि हमारा अब्जेक्टिव था इमीजियेट रिलीफ पहुंचाने के लिए, हम देखते हैं कि वह इकोनोमिक रिलीफ उस दृष्टि से काश्तकारों को नहीं पहुंचता है बल्कि it is more leaning towards the zamindars. Inequality is in favour of big zamindars.

दूसरी बात इस बिल में हमने ऐसे कुछ प्रोविजन्स रखे हैं कि जो जमींदार्स हैं उनकी जो डेफिनीशन दी गई है उससे मालूम होगा कि बहुत से जमींदार छोटे छोटे जमींदार थे और आज इसमें खुदकाश्त का जो प्रोविजन रखा है कि उनको हम खुदकाश्त देगें और जब खुदकाश्त हम देंगे तो उसमें जो टिनेन्ट होंगे पहले के वे सब-टिनेन्ट हो जाते हैं यानी

(श्री पी० के० चौधरी)

जिसको ऑलरेडी टिनेन्सी राइट थे उसके राइट को हम छीन रहे हैं। तो इससे हम नहीं समझते हैं कि बड़े जमींदार बहुत कम हैं। बड़े जमींदार जो हैं उनको इस बिल के जरिये काफी फायदा पहुंचेगा। क्योंकि सब से ज्यादा अनइक्विटेबल बात जो इसमें की गई है वह यह की गई है कि कम्पेन्सेशन हम फ्लेट रेट से दे रहे हैं, फ्लेट रेट हमने कर दी है, लेकिन कहीं भी आज तक जहां जमींदार थे और जमींदारों को एबॉलिश किया गया है वहां कहीं भी ऐसा कम्पेन्सेशन फ्लेट रेट से किसी ने नहीं दिया है। कम्पेन्सेशन हमेशा स्लेब रेट से रखा जाता है। कहीं फ्लेट रेट से दिया जाता है तो मैं उसको भी कोई इक्विटेबल मानने को तैयार नहीं हूं। कभी भी उसको न इक्विटेबल मानने को तैयार हूं, न मैं यह मानूंगा कि कम्पेन्सेशन फ्लेट रेट से देना इक्विटेबल है। इसके साथ साथ फ्लेट रेट से देते हैं तो दूसरी चीज आपके शेड्यूल में आप देखेंगे तो शेड्यूल के पार्ट ५ में है कि हम कम्पेन्सेशन दें। कम्पेन्सेशन देने में भी हम देखते हैं कि इनइक्विटी रही है और इसकी क्लॉज़ ५ में आपने कम्पेन्सेशन यह रखा है, अमाउन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन एस्टिमेटेड उसकी एट टाइम्स नेट इन्कम हो वह रखा है। लेकिन जो जमींदार रेन्ट पर जमीन नहीं देता था, उसकी जमीन किसी टिनेन्ट या सब-टिनेन्ट के पास नहीं थी उसको आप देते हैं २५ पर्सेन्ट ऑफ हिज लैंड रेवेन्यू। जो खुद जमीन काश्त करता है, जो अपने मेनेजमेन्ट के अंडर में काश्त करवाता है उसके लिये कम्पेन्सेशन की अमाउन्ट आपने कम रखी है लेकिन जो दूसरों से काश्त करवाता है, दूसरों से पैसा लेता है उसके लिये ज्यादा रखी तो हम सोशियल लेजिस्लेशन, सोशियल इनइक्वेलिटी को दूर करने के लिये आते हैं, लेकिन इसको जब स्क्रूटेनाइज करते हैं, माइन्यूटली देखते हैं तो लगता है कि जरूर आगे जाकर सोशियल इनइक्वेलिटी को शायद रिमूव कर पायेंगे या करेंगे। लेकिन एक बात जरूर नजर आती है obviously it is biased towareds bigger zamindars. जो बिगर जमींदार हैं उनकी तरफ ज्यादा लीनिंग है बनिस्बत स्मॉलर के।

दूसरी बात जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने बताया गंगानगर एरिया के लिये मैं समझता हूं कि आपका जो कम्पेन्सेशसन का प्रोविजन है और जो रीहेबिलिटेशन गॉन्ट का प्रोविजन है उससे सबसे ज्यादा हार्ड हिट होंगे गंगानगर एरिया के लोग। यह बात मंत्रीजी भी मानेंगे और किसी व्यक्ति को पूछ सकते हैं। क्योंकि गंगानगर के जमींदार जो हैं वे ठीक दूसरे जमींदारों जैसे नहीं हैं क्योंकि यहां जो जमींदार हैं और जमींदारों के साथ में जो स्टिग्मा हैं, लैंड होल्डर या ऑनरशिप के साथ एक स्टिग्मा रहेगा क्योंकि दूसरी जगह जो जमींदार हैं उन्होंने जो जमीन एक्वायर की है वह वेल्यूबल कंसीडरेशन नहीं किया है, उन्होंने या उनके फोरफादर्स ने या तो जबर्दस्ती से उस पर कब्जा किया है या किसी को नजराने में (एक किसी को) मेहरबानी से मिल गयी होगी, लेकिन गंगानगर एरिया में जो जमींदारी है उसको पैसा देकर, वेल्यूएबल कंसीडरेशन से एक्वायर किया गया है और फिर उस पर वे लोग इम्प्रूवमेन्ट भी लाये हैं। लेकिन उनके लिये भी हमने जो कम्पेन्सेशन की रेट रखी है वह जैसी भरतपुर या धौलपुर के जमींदारों के लिये रखी है उसी तरह से रखी है। भरतपुर और धौलपुर के जमींदारों ने जमीन पर कोई इम्प्रूवमेन्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं किया और न वे उस पर काश्त करते थे और न उनको जमीन एक्वायर करने के वेल्यूएबल कंसीड्रेशन देना पड़ा। उनको किसी तरकीब से जमीन मिल गई होगी तो उनको कम्पेन्सेशन देने की जो रेट है वही मैं समझता हूं गंगानगर के जमींदारों के लिये ठीक नहीं है। गंगानगर के लोगों के लिये वी शुड हेव प्रोवाइडेड डिफरेन्ट प्रोविजन, उनके कम्पेन्सेशन में डिफरेन्शियेशन होना चाहिये था।

दूसरी बात कल वरबल अमेन्डमेन्ट लाकर कम्पेन्सेशन पे करने का पीरियड १५ साल का कर दिया। बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी यह सवाल उठाया था और इस सिलसिले में एक अमेन्डमेन्ट को भी हमने सपोर्ट किया था। यह जो कम्पेन्सेशन है उसे बौंडस में देना चाहिये। अब भी मैं मानता हूं कि १५ साल में जो कम्पेन्सेशन देते हैं उसके लिये उसको ओप्शन दिया जाय कि या तो वह १५ साल में कम्पेन्सेशन ले या वह बौंडस में ले और उन बौंडस को निगोशियेबल बनाया जाय। जो बौंड देंगे, देट बौंड विल बीकम मेच्योर आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स, आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स और ट्वेन्टी ईयर्स. लेकिन यदि यह निगोशियेबल रहेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि १५ साल का यदि बौंड मिलता है तो उसका इन्ट्रेस्ट वगैरह केल्कुलेट करके वह १२ हजार में उसे बेच सकता है। उसको जो १२ हजार रुपये इस तरीके से मिलते हैं वे गवर्नमेंट से नहीं मिलेंगे बल्कि पब्लिक से मिलेंगे, लेकिन उसका असर प्रान्त की इकॉनोमी पर पड़ेगा। आपको दो तरह के जमींदार मिलेंगे। एक तो बहुत से जमींदार ऐसे मिलेंगे, इसमें यह चेक नहीं है कि कम इन्कमवालों को एक साथ मिलेगा या एक या दो साल में मिलेगा, लेकिन सबके लिये आपने १५ साल रखा है: It shall be paid in 15 annual instalments. चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे उसको ५ हजार रुपये मिलें, चाहे २० हजार या ५० हजार रुपये मिलें सबके लिये आपने १५ साल का पीरियड रखा है-इट इज मेन्डेट्री लेकिन यह जो आपने रखा है आखिर में जो जमींदार होते हैं चाहे बड़े हों चाहे छोटे उनके अपब्रिंगिंग एम्पलोयमेन्ट की रेस्पोन्सिबिलिटी स्टेट पर होती है, देश में अनएम्पलोयमेन्ट को नहीं बढ़ाना चाहते हैं और पेरासाइट भी नहीं रखना चाहते हैं यानी जो समाज पर भारस्वरूप हों कोई कौंट्रीब्यूशन न करके दूसरों पर खाते हैं। Contributing nothing to the development of the society वैसा भी नहीं रखना चाहते हैं तो आज हमने जो १५ साल में इन्स्टॉलमेंट देने का नियम बनाया है उससे वे गुजर तो कर लेंगे और उनकी जो आदत थी रेस्ट पर (जिन्दा) रहने की उसके अनुसार १५ साल तक और जिन्दा रहेंगे कम्पेन्सेशन पर, लेकिन यदि आप एक साथ दे देते....

श्री उपाध्यक्ष: Hon'ble Member, I mean all these details were thrashed out when the House discussed the Bill. Now he should confine himself to the general character of the debate.

श्री पी० के० चौधरी: No Sir, this 15 years' instalments was a verbal amendment. The House did not get much time, though technically it has considered it but the question of 15 years was introduced by the Hon'ble Member in the name of consequentul amendment.

(श्री पी० के० चौधरी)

यह कल जब इसको इन्ट्राड्यूस किया था तब भी कहा था कि यह कौंसिक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट कैसा होता है ? उन्होंने शिड्यूल में रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट का प्रोविजन किया इसके बाद में वरबली मूव किया तब मैंने और दूसरों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि यह कौंसिक्वेन्शियल नहीं है फिर भी मंत्री-जी क्लॉज़ १८ में कर रहे हैं फिफ्टी एन्युअल इन्स्टॉलमेन्ट्स यह ३० हाफ़ इयरली इन्स्टॉलमेन्ट्स यह कल लाये थे in the name of conseguential amendments.

श्री दामोदरलाल व्यास : Because the rehabilitation grants were there. there fore the period also had to be raised from 10 to 15 years. You should have understood the other part of my statement also.

श्री पी० के० चौधरी : आपने शिड्यूल में रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट प्रोवाइड किया उसके बाद मैं नहीं समझता कि रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट का शिड्यूल में इस तरह १५ साल का अमेन्डमेंट होता है :

It still passes my comprehension...

यह कौंसिक्वेन्शियल कैसे हो सकता है ! आप यह कह सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट किया है तो हम जागीरदारों को प्रोवाइड करना चाहते हैं: that provision does not become a consequential amendment. That was a wrong statement. Rather it was a misnomer.

इसको कोन्सिक्वेन्शियल कहना कहां तक उचित है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह जो १५ साल का है उसको टेक्निकली हाउस ने कन्सीडर कर दिया, पास कर दिया 'बट दी फैक्ट इज दिस दैट शिड्यूल पर कन्सीड्रेशन नहीं कर पाये । आज मान लीजिये ५ हजार या १० हजार रुपयों की अमाउन्ट होगी आप उसको १५ साल में देंगे । मान लीजिये एक हजार रुपया एक साल में देंगे उससे गुजर तो शायद वह कर लें लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि यह जो १० हजार रुपये The fact is that scrious consideration हाउस ने इसको नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : Let us pass on these details.

श्री पी० के० चौधरी : हम बैटरमेन्ट के लिये कह रहे हैं कि हमारा जो ओब्जेक्ट है reconstructing the rural economy. उसको पूरा करने के लिये उसको हम निगोशिएबल बौंड देते और वह मेच्योरेबल चाहे १५ साल में भी होता तो आज उसके निगोशिएबल होने के नाते he can get the money from anybody जब निगोशिएबल हो जाता है तो १० हजार रुपयों का बौंड आखिर में ८ हजार या ६ हजार रुपयों में आसानी से दे सकता है उससे वह इन्डस्ट्री या बिजनेजस करता है तो वह एक्टिव सिटिजन हो जाता है, प्रोडक्शन में कंट्रिब्यूट करता है.... तो इसलिए मेरा निवेदन था कि जो बोन्ड्स का सुझाव है, उसके लिए इसमें कोई प्रोविजन हो ओप्सन देने का आपने १५ एनुअल इन्स्टॉलमेंट के लिए कर दिया । इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ऐसा कोई प्रोविजन हो कि उसको बोन्ड्स का ओप्सन दिया जा सकता है, जो बौन्ड चाहे उसको दिया जा सकता है । बौन्ड्स देने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई फाइनेन्शियल प्रेसर नहीं आता है क्योंकि बौन्ड्स मेच्योर होंगे १५ साल के बाद । वह बौंड लेकर किसी

(श्री पी० के० चौधरी)

कोअपरेटिव सोसाइटी से, किसी फाइनेन्शियल कारपोरेशन से. किसी इन्डीविजुअल से भी इनकैश करा सकता है और उस पैसे को इन्डस्ट्री में लगा सकता है it is a very valuable suggestion. मैं समझता हूँ आज यह करना चाहिए, उसमें ऑप्शन देने की गुंजाइश हो, उनको एडवान्टेज देना चाहिए।

दूसरी बात जो कम्पेन्सेशन की रखी है, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की रखी है, एक कॉन्सीक्यूएन्सल अमेंडमेंट कानून में पेश हुआ है क्योंकि जागीर रिजम्प्सन में १५ साल का था आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जागीर रिजम्प्सन में विडोज और डिपेन्डेंट के लिए कम्पेन्सेशन था, वह इसमें नहीं रखा है यानी जो बिग फ्राई होता है, जो बड़ा आदमी होता है, उसकी तरफ हरएक चीज में तवज्जह रखते हैं, उसका हर काम में ख्याल रखा जाता है। आप जागीर रिजम्प्सन की सिमली दे रहे हैं उससे सिमिलेरिटी बता रहे हैं, उसमें जो प्रोविजनन्स थे कम्पेन्सेशन के उनको इसमें एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इसके साथ ही आप विडोज और डिपेन्डेन्ट का भी ख्याल रखते, लेकिन वह नहीं किया है।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रोव लैंड के लिए रखा है, ग्रोव्ज के लिए आपने यह रखा है कि ग्रोव्ज जागीरदार के नाम से रजिस्टर्ड हो, विश्वेदार के नाम से रजिस्टर और किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर हों, उसका सेटलमेंट जमींदार के साथ होगा tteland will be settled with the Zamindars...
आप क्लॉज ५१२ में देखिये, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : You have discussed it enough when the clause was considered.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Let us make a difference between second and third reading.

श्री पी० के० चौधरी : I was pointing out Sir that this Bill हम जो बिल पास कर रहे हैं we are going to pass it for bringing relief to agriculturists, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजन्स ऐसे रह गये हैं कि हम देखते हैं कि हालां कि हाउस ने उनको कन्सीडर किया है, पास किया है, लेकिन कुछ प्रोविजन्स ऐसे रह गये हैं जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के विपरीत हैं और आखिर बिल को थर्ड रीडिंग के बाद पास करते हैं, थर्ड रीडिंग को रखने का मतलब क्या है ? why this provision of third reading is there ? That means the House can again apply its mind to it.

लेकिन प्रोविजन्स ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स से कान्ट्रेडिक्टरी रह गये हैं I think the member has got a right to point out it.

ऐसा नहीं है तो बिल की थर्ड रीडिंग रखने का मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों थर्ड रीडिंग रखें....

श्री उपाध्यक्ष : I do not mean that you have no right to point out. My submission is "point out, but not in the detail in which you have previously discussed it."

Page No.71

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पाइन्ट आउट कर रहा था जितना ग्रोव्ज था, उसके लिए जमींदार ने हजारों बीघा ग्रोव-लैंड बना लिया है, उसके लिए आपने प्रोविजन रखा है कि ऐसे ग्रोव-लैंड चाहे जागीरदार के नाम से रजिस्टर हों, बिस्वेदार के नाम से रजिस्टर हों, ऐनी अदर पर्सन के नाम से रजिस्टर हों उसका सेटिलमेंट जमींदार के साथ में होने के लिए आपने प्रोविजन रखा है...

श्री दामोदरलाल व्यास : Where is that and how do you interpret it ?

श्री पी० के० चौधरी : In clause 5, sub-clause (2), part (i).

"(i) all groves wherever situated and recorded in the annual registers before the date of vesting as belonging to and being held by the Zamindar or Biswedar or other person and the land under such groves shall be deemed to be settled with him by the State Government..'

श्री दामोदरलाल व्यास : If the grove was registered in the name of other person, that will be settled with the other person.

श्री पी० के० चौधरी : No, it will be settled with the Jagirdar.

श्री दामोदरलाल व्यास : Not at all. Wherefrom did you get that interpretation ?

श्री श्रीभानसिंह : It is his interpretation.

श्री दामोदरलाल व्यास : He is at liberty to interpret it in his own way, but not in the House.

श्री आबिदअली : आप हिन्दी की कापी पढ़ लीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : He has every right to interpret according to his knowledge and the Hon. ble Minister is entitled to interpret in the other way.

श्री पी० के० चौधरी : लेकिन यह है, मेरा इन्टरप्रिटेशन रोंग हो सकता है.......

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not a question of interpretation. The meaning is very clear. This cannot be open to two interpretations.

श्री पी० के० चौधरी : If that other person is not named as Zamindar ?

तो आपका बिल उस पर एप्लाई नहीं होगा, इफ एनी पर्सन जमींदार के नाम एप्लाई नहीं करते हैं....

श्री आबिदअली : What was the necessity of including this word then ?

श्री उपाध्यक्ष : Let us keep aloof from these misconstructions.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कई बातें रह गई हैं, जैसे प्रेस्क्राइब्ड लिमिट की बात रही है। आपने प्रेस्क्राइब्ड लिमिट रखी है खुदकाश्त के लिए, वह प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कुछ भी हो सकती है। हम चाहते हैं यह जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट

Page No.72

(श्री पी० के० चौधरी)

है वह कम से कम सीलिंग के साथ मिलती जुलती होनी चाहिये। शायद आज ही सीलिंग बिल इन्ट्रोड्यूस हो रहा है, इसके अन्दर आप एक प्रेसक्राइब्ड लिमीट करते हैं और उसमें सीलिंग एरिया का ख्याल नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से खुदकाश्त के लिए करते कि इतनी जमीन रखते it can be any amount of land which you prescribe. जिसको प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के नाम से कर सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will adopt a liberal attitude to the other members who are still to speak.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट और रीजन इस बिल को लाने का हमारा यह था कि हम रूरल इकोनॉमी को रीबिल्ट करने के लिए इस बिल को लाये हैं और इन्टरमीजियरीज को एबॉलिश कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव को एचीव करने के लिए कुछ प्रोविजन्स जैसा मैंने बतलाया ऐसे करने पड़ेंगे जिनसे इमीजियेट रिलीफ मिल सके, उस प्रकार का प्रोविजन इसमें नहीं है। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जमीदारी एन्ड बिस्वेदारी एबॉलिशन बिल १९५८ के द्वारा हम राजस्थान में किसानों के शोषण पर जीवित रहने वाले मध्यस्थ वर्ग को आज समाप्त कर रहे हैं। यह एक खुशी का विषय है और इसके लिए इस हद तक मैं माननीय राजस्व मंत्री को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार कानून जिस अभिप्राय से बनाया जाता है, उसमें जहाँ तक पैरासाइट्स को समाप्त करने का, जहां तक इन्टरमीजियरीज को समाप्त करने का प्रश्न है, उसके साथ ही साथ हमें ऐसा कदम भी उठाना है, ऐसे कानून भी बनाने हैं, जिनके द्वारा किसानों की आर्थिक हालत, किसानों के हकों में कुछ उन्नति हो और उनको सुख ज्यादा मिले...

श्री श्रीभानसिंह : नो कोरम, सर।

श्री उपाध्यक्ष : I was also very vigilant about your vigilant eyes.

(Laughter)

श्री भीमसेन : यह.......

श्री श्रीभानसिंह : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Let us start on my strength. I am also included.

(सदन की कार्यवाही कोरम न होने के कारण एक मिनिट स्थगित रही)

श्री उपाध्यक्ष : So we resume.

श्री भीमसेन : मैं भूमिसुधार कानून के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि भूमि सुधार कानून बनाते वक्त कानून के उद्देश्य को सामने रखें। जहां तक मध्यस्थ वर्ग का सवाल है हम इस कानून के द्वारा इस वर्ग को समाप्त कर रहे हैं और यह एक हर्ष का विषय है! लेकिन इस बिल के द्वारा किसानों को किस तरह राहत पहुँचायें यह भी एक विचारने का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि इस बिल के द्वारा किसानों की हालत में किसी भी तरह का प्रभाव होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान

[श्री भीमसेन]

टिनेन्सी एक्ट के द्वारा ऐसे प्रोविजन और ऐसे प्रावधान रखें हैं जिनके द्वारा हमने किसानों की हालत में काफी अधिक सुधार किया है, उस कानून के द्वारा हमने किसानों के टिन्योर को सुरक्षा दी है, उसका इजेक्टमेंट नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया। और हमने उसे आर्थिक संरक्षण दिया है कि किसान से लैंड रेवेन्यू से दुगुना रैंट वसूल नहीं किया जा सकता, ऐसा भी हमने प्रावधान किया है। उस कानून के पास होने के बाद किसान की हालत में काफी सुधार हुआ है और इस बिल के द्वारा जो हमने किसान की हालत का टिनेन्सी एक्ट में सुधार किया है, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जमींदार और बिस्वेदारी के उन्मूलन का जहां तक सम्बन्ध है उसके साथ साथ किसान यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि जहां किसानों और सरकार के बीच का यह मध्यम वर्ग समाप्त होगा त्यों ही किसानों की उन्नति होगी और यह आशा लगाये हुए रहना उनके लिये उचित भी था। पर इस बिल के पास हो जाने से किसानों की हालत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। धारा २९ का जहां तक सम्बन्ध है जिसमें यह प्रोविजन रखा गया है कि किसान जो लगान जमींदारों और बिस्वेदारों को पहले देते थे वही लगान उन्हें सरकार को देना होगा, यह प्रावधान इसमें रखा गया है, इसको देखते हुए जहां तक किसानों की हालत का सम्बन्ध है इसमें सुधार का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता।

अब मैं दो शब्द गंगानगर के जमींदारों के सम्बन्ध में जिनको कि हम इस बिल के द्वारा, उन जमीन के मालिकों को जमींदार समझ कर समाप्त कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में कहूँगा। जमीन के जिन मालिक लोगों ने जमीन की वेल्यू दे कर उस जमीन पर प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल किये वे किस श्रेणी में आते हैं? जिन लोगों ने जमीन की कीमत देकर प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल किये उनमें और दूसरे जमींदारों और बिस्वेदारों में काफी फर्क है पर हमने कम्पेन्सेशन देते वक्त इन लोगों की हालत पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। जैसा कि कम्पेन्सेशन का इसमें प्रावधान रखा गया है, गंग केनाल एरिया के जो मालिक लोग हैं उनको एक पैसा भी कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा जैसा कि इसमें प्रोविजन किया है। जो लोग भूमि के प्रजेन्ट प्रोप्राइटर्स हैं वे लोग खुदकाश्त करते हैं उस जमीन पर, पर एक मालिक शब्द कहने से उनको हम इस बिल के द्वारा समाप्त करने जा रहे हैं। जहां हम उनके प्रोप्राइटरी राइट्स ले रहे हैं तो हमें उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिये। जैसा कि जागीर एबॉलिशन के वख्त किया। खुदकाश्त की जमीन का हमने यह मान कर जागीरदारों को मुआवजा दिया है कि अगर वह काश्तकारों के कब्जे में होती और जो लगान उनके पेएबिल होता, उसका कई गुना ज्यादा हमने जागीरदारों को दिया, महज राइट रखने के लिए प्रावधान किया है। यह गंग केनाल के जमींदारों के लिये हार्डशिप है। अब भी वख्त है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इस पर विचार करें और उन लोगों को जो हार्डशिप हो रही है उनको राहत पहुँचाने के लिये समुचित प्रबन्ध करें।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष, सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा जिसके जरिये देश के अन्दर किसानों का शोषण होता रहा है, आज उसे हम समाप्त कर रहे हैं यह बड़े हर्ष का विषय है। हालां कि

(श्री सूबेदारसिंह)

राजस्थान निर्माण हुए काफी अर्सा हो गया। इसको समाप्त करने में देर तो अवश्य हुई पर आज शुभ अवसर है कि आज के दिन हम सब सदन में बैठ कर जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८ जो पेश हुआ है उसकी थर्ड रीडिंग कर उसे पास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की बात नहीं कि इस जमींदारी प्रथा के कारण देश के अन्दर एकतन्त्र को बल मिला, इसके जरिये देश के अन्दर एकतन्त्र दिन पर दिन बलशाली होता रहा। देश की आजादी के बाद हमने आशा की थी कि हमारे यहां जमींदारी प्रथा खत्म हो जायगी पर राजस्थान के अन्दर जमींदारी प्रथा दो ही तीन रियासतों में थोड़ी सी थी। इसलिये राजस्थान की असेम्बली को सबसे पहले जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने पर विचार करना पड़ा। जहां से मैं आया हूँ धौलपुर एक छोटी सी पुरानी रियासत थी, वहां का किसान वर्ग बराबर यह पूछता रहता था कि आप बराबर कहते थे कि कांग्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त करेगी तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देगी, हमारे पड़ौसी प्रान्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कभी की जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई, फिर हमारे राजस्थान में क्यों बची हुई है? हमने उनको आश्वासन दिया कि...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या आश्वासन बाहर देते रहे हैं, क्या कहते रहे हैं, यह सदन का विषय नहीं है।

श्री सबेदारसिंह : आज वह शुभ दिन आया जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो रही है। पर इस बिल में २८--२६ धारा ऐसी है कि उससे ऐसा महसूस होता है कि हम अपने इलाकों में वहां काश्तकारों को जा कर कहें कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तो वे किस प्रकार से मानेंगे कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई? क्योंकि इस क्लॉज में साफ रखा हुआ है कि जो काश्तकार जितनी मालगुजारी पहले जमींदारों को देते रहे हैं उतनी ही सरकार को देते रहेंगे। छोटी रियासत होने के नाते वहां राजाओं का खर्चा ज्यादा था इसलिये जितना सख्त से सख्त सेटलमेंट हो सकता था करा चुके थे और उनकी लगान की दर वहां इतनी ऊंची थी कि किसान उसके बोझे से दबा हुआ था। अब भी प्रजातन्त्र के युग में जमींदारी प्रथा को खत्म करने जा रहे हैं और इस धारा के अन्दर फिर से प्रावधान रखते हैं कि काश्तकार जो मालगुजारी आज तक देता रहा है उतनी ही सरकार को देता रहे। इससे अवश्य उसके दिमाग में यह बात नहीं आयेगी कि वास्तव में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है।

वैसे तो काश्तकारों के दिमाग के ऊपर जमींदारी प्रथा का कोई असर नहीं रहा था, जो जिस जमीन पर काबिज था उसकी मालगुजारी भी देता था, जितनी मालगुजारी होती थी वह दे देता था।

३. १८. म० प०

(श्री आबिदअली सभापति पदासीन)

इस कारण हाउस में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि यदि इस पर गम्भीरता पूर्वक नहीं सोचा गया तो जहां हम कहते हैं कि यह प्रोग्रेसिव बिल है, काश्तकारों के हित में यह कानून है, इससे काश्तकारों को राहत मिलेगी, मैं सोचता हूँ किसानों को इससे किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। आज किसानों को कितनी मुश्किल है, अनाज की देश के अन्दर कमी है, पर वह कितना अनाज पैदा

(श्री सूबेदारसिंह)

करता है, वह कर्ज में दबा हुआ है, ऐसी सूरत में अगर वही मालगुजारी उस पर रख देंगे तो उसको इससे क्या राहत मिलने वाली है ? इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस धारा में सुधार करें और ऐसी व्यवस्था करें कि जो राज्य की लैंड रेवेन्यू है वही इन काश्तकारों से लें।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार जाहिर किये हैं कि जमींदारी प्रथा एबोलिश हो जायगी तो बारी बारी से समाप्त की जायेगी। मेरी मान्यता है कि यह ऐसी व्यवस्था है कि इसे शीघ्र ही समाप्त करना चाहिये। जैसे ही राष्ट्रपति के दस्तखत हो जायें सारे राजस्थान में जहां भी जमींदारी प्रथा है एक ही तारीख को और एक ही समय पर समाप्त कर देनी चाहिये न कि बारी बारी से।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : बोलने के लिये तो खड़े हो रहे हैं और आपने कह दिया क्लोजर मूव करता हूँ। उन्होंने कह दिया और आपने मूव कर दिया।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मी चन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, आज जिस उद्देश्य को लेकर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने जा रहे हैं वह उद्देश्य इससे पूरा नहीं होता। जिस प्रथा के द्वारा काश्तकारों को शोषित किया जाता था, उन काश्तकारों को राहत पहुंचाना चाहते थे उन काश्तकारों को हम रियायत पहुंचाना चाहते हैं उनको इस बिल से कोई रियायत नहीं मिल सकेगी। उनसे लगान लेने का जो प्रावधान है उसमें यह लिखा हुआ है कि उनको राज्य सरकार को उतनी ही रकम देनी होगी जो बिस्वेदारों को देते थे। जब काश्तकारों को वही लगान देना होगा। और यह भी लिखा गया है कि दुगुने या तिगुने से ज्यादा नहीं होगा जो पहले लेते थे वही लेंगे। इससे मैं यह कहूँगा कि काश्तकारों को कौनसा फायदा हुआ। जमींदारी एबोलिशन से काश्तकारों को यह होगा कि जमींदारों को लगान नहीं देकर राज्य सरकार को देना होगा यह एक प्रकार से जमींदारी की श्रेणी बदली है। जमींदार नहीं लेंगे और सरकार लेगी। मगर इससे जो सरकार काश्तकारों को इमिजियेट फायदा पहुंचाना चाहती है वह फायदा नहीं पहुंचा और उनकी उस प्रकार की हालत होगी इसके लिये मुझे एक कहावत याद आ गई। एक खां साहब थे। उनकी आदत क्या थी कि वे मुर्दे जमीन में जो गाड़ते थे...

श्री भैरोंसिंह : खां साहब सभापति...

श्री सभापति : मैं खां साहब नहीं हूँ ....

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : उनकी यह आदत थी कि जो मुर्दे जमीन में लोग गाड़ते थे उनको निकाल कर बाहर डाल देते और लोगों को परेशान किया करते थे। लोग उनसे बड़े परेशान हो गये। आखिर जब मरने का समय आया तो आपने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा काम करना जिससे दुनिया मुझे न भूले। वे तो चल बसे। बच्चा बड़ा हुआ और समझने

(श्री लक्ष्मीचन्द)

लगा। उसने अच्छे अच्छे काम किये जिससे दुनिया उस बच्चे की तारीफ करने लगी तो खां साहब को दुनिया भूल गई। बच्चे को बाद में याद आया कि मेरे पिता यह कह कर गये थे कि ऐसा काम मत करना जिससे दुनिया मुझे भूल जावे। उस समय उसको याद आया कि उसके पिता मुर्दों को निकाल कर बाहर डाला करते थे। उसने यह किया कि उसके पिता तो मुर्दों को कब्र के बाहर ही डालते थे उसने उनको उन लोगों के मकान के बाहर डालना शुरू किया। जब उसने ऐसा काम करना शुरू किया तो लोग उसके पिता को अच्छा कहने लगे कि इससे तो इसके पिता ही अच्छे थे जो मुर्दों को कब्र के बाहर ही निकाल कर डालते थे, जंगल में डालते थे। तो सरकार इस प्रकार के कानून से काश्तकारों को कोई राहत नहीं पहुंचा सकेगी। आप कहते हैं कि दुगुने या तिगुने से ज्यादा नहीं लिया जावेगा और जो जमींदार लेते रहे हैं वही लेंगे। सैटिलमेंट जल्दी कराने की योग्यता हम देखते हैं। कई दफा प्रश्न आते हैं उस समय उत्तर दिया जाता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, बजट में पैसा नहीं है। इस प्रकार कह कर टाल देते हैं। इसके अलावा जिस समय सरकार को इससे ज्यादा आमदनी होगी तो वह क्यों सैटिलमेंट कराएगी। सरकार तो यह सोचेगी कि ज्यादा पैसा आना चाहिये। जब सरकार दुगने तिगुने तक ले सकती है तो फिर सैटिलमेंट जल्दी क्यों कराएगी। मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो वर्षों से बीगोड़ी अभी ली जाती है वही ली जावे। दुगुना क्यों दिया जावे।

श्री रामधन (दौसा) : सभापति महोदय, जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन के विषय में मैं अर्ज करूंगा कि राजस्थान में जमींदारी प्रथा एक बहुत पुरानी प्रथा है और यह प्रथा जो थी वह काश्तकारों के लिये बड़ी घातक प्रथा थी। क्योंकि काश्तकारों को जमींदार और बिस्वेदार दुगने तिगुने लगान पर जमीन काश्त के लिये देते थे और वे काश्तकार इतना लगान नहीं देते थे तो उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था और इससे उनका गुजार-बसर नहीं होती थी। इसलिये आज जो प्रथा समाप्त की जा रही है उसका तो मैं समर्थन करता हूँ लेकिन धारा २६ में सरकार ने जो दुगुने या तिगुने लगान की बात कही है उससे तो मैं यह कहूँगा कि जमींदार ही अच्छे थे। क्योंकि काश्तकारों के साथ जो पहले लूट-खसोट थी वही आपने रखी है। सरकार को चाहिये कि वह किसानों का हित करे इसलिये उनसे वही लगान ले जो बिस्वेदार या जमींदार सरकार को देते थे। जो लगान देते थे वह सरकार को सीधा दे दिया जावे। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह (बहरोड़) : सभापति महोदय, आज हम जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल पर कह रहे हैं। इसका नाम तो बहुत सुन्दर है और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसकी बड़ाई भी की है और हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय को बधाई भी दी है लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इस एबोलिशन से इतना ज्यादा किसानों व काश्तकारों को फायदा नहीं होने वाला है जितना शायद हम सोचते हैं, आशा करते हैं। सभापति महोदय, किसान होने के नाते से इन दो तीन रोज की बहस में मुझे जो कुछ पता चला है उसके सम्बन्ध में अर्ज करूं कि दो तीन फेक्ट्स इसमें ऐसे रह गये हैं जिसमें कोई भी किसान यह मानने वाला नहीं है, हालांकि इसमें ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल

(श्री चन्द्रसिंह)

किये गये है कि झूंठा प्रपोगन्डा किया, लोग आपके इतने कहने के बावजूद भी इसको झूंठा मानेंगे और यही कहेंगे कि सरकार हमको बहका रही है। आप उनको कैसे समझावेंगे? आपने उनका क्या फायदा किया है वे यह कहेंगे। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि खातेदारी हकूक मिलने से आधा मसला तो हल हो गया था। जमींदारों के पास अब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जमीन नहीं है जो उनके पास जोतने के लिये है। रहा प्रश्न बिस्वेदारों का, उनके लिए मैं यह कहूंगा कि बिस्वेदारी के पास किसी के पास २० बीघा या किसी के पास ५ बीघा जमीन है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अलवर में दो चार ही ऐसे बिस्वेदार होंगे जिनके पास ज्यादा जमीन हो, बाकी गांव के गांव ऐसे हैं जिनमें किसी के पास १५ बीघा या किसी के पास १० बीघा जमीन है। मैं यह कहूंगा कि कोई भी किसान जो जमीन से अपनी आमदनी और गुजारा करना चाहता है तो उसके पास कम से कम १५ बीघा या २० बीघा जमीन होनी चाहिये। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि आपने धारा ५ और ६ में ऐसी पाबन्दियां रख दी हैं जिससे किसान को परेशान होना पड़ेगा। यह दो धाराएं ऐसी हैं जिसमें आपने किसान को उल्टा उलझन में डाल दिया है बजाय इसके कि आप उनको फायदा पहुंचावें। इससे वे बर्बाद हो जावेंगे और धारा ६ में बताया गया है कि फर्स्ट जनवरी १९५३ के बाद जिसने भी अपनी जमीन किसी व्यक्ति को ट्रान्सफर कर दी है वह वेलिड नहीं समझी जावेगी। सभापति महोदय, इसमें बड़ा भारी चक्कर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिस्वेदार हैं और जमीन का काम करते हैं और अपनी जरूरत के लिये अपनी जमीन का एक भाग या दो भाग या सारी की सारी दूसरे के नाम बे कर देते हैं या किसी से खरीद लेते हैं तो ऐसी सूरत में जिस व्यक्ति ने १९५३ के जनवरी से अब तक बेच दी है, उसके लिये हालां कि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन तो दिया है कि यदि किसी ने खराब नीयत से ऐसा नहीं किया है तो उसको सहूलियतें मिलेंगी लेकिन इसके लिये उसको सबूत देना होगा। जिसने जमीन बेच दी है वह तो भाग गया, कोई दिल्ली चला गया और कोई बम्बई चला गया लेकिन जिसने खरीदी है उसका क्या होगा। हमारे माननीय मंत्री महोदय शायद ऐसी उम्मीद रखते हैं कि यह बड़ा भारी कदम होगा किसानों के लिये, लेकिन मेरी समझ में यह बूर के लड्डू ही नजर आते हैं। देखने में बड़े सुन्दर हैं लेकिन खाने में मिठास नजर नहीं आता। धारा ५ में बहुत से अमेन्डमेंट आते हुए भी उसको पास कर लिया कि किसी की निजी जमीन पर कुंए, तालाब या क्या कहते हैं मंदिर वगैरह कोई भी होंगे वहां कोई भी जा सकते हैं, यह बहुत विषयों का मामला जोड़ा गया है।

सभापति महोदय, ये सारी चीजें हैं, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि उनमें किसान लोग बड़ी अच्छी तरह से उलझ सकते हैं। वे समझदार तो इतने नहीं हैं। मुझे तो और चीज़ का इसमें होने का डर लग रहा था लेकिन अच्छा है कि वह इसमें नहीं है। आज आप जमींदारी और बिस्वेदारी समाप्त करने जा रहे हैं। हमारे यहां ऐसा है कि किसी बिस्वेदार के पास यदि दस बीघा, बीस बीघा इकट्ठी जमीन है तो वह उसमें कुआ बना लेता है और उससे वह जमीन की सिंचाई करता है। जमींदारी और बिस्वेदारी एबो-

Page No.78

(श्री चन्द्रसिंह)

लिशन करने के बाद ये चीजें सामने आवेंगी कि दूसरा किसान जो उसके नजदीक था वह कहेगा कि जमींदारी और बिस्वेदारी खत्म हो गई है इसलिए इस कुंए पर मेरा भी हक है । वह दावा करेगा कि उसका जितना हक उसे कुंए पर है, उतना ही मेरा भी है हम भी कुंए से सिंचाई करेंगे । जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम काश्तकारों को कैसे समझावेंगे । वे तो इमिजियेट इफेक्ट चाहते हैं । लगान भी उतना ही वसूल करेंगे जितना कि जमींदार और बिस्वेदार करते थे । मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक वहां सेटिलमेन्ट नहीं हो जाता लगान उतना ही वसूल करेंगे जितना कि पहले था । कौन कह सकता है कि सैटिलमेंट कब होगा ? दस साल में हो । मुझे यह पूछने से पता चला है कि किसी इलाके में दस साल पहले सड़कें निकाल दी गईं जिस काश्तकार की जमीन ली गई उसको दस वर्ष हो गये, मुआवजा नहीं मिला उस जमीन से रास्ता बना लिया फिर भी उससे लगान लिया जाता है । जब आपको सड़क के लिये ली गई जमीन का मुआवजा देने में और रास्ते का लगान लेते रहने में दस दस साल तक हो गए हैं तो मुझे तो यह लगता है कि सैटिलमेन्ट की यह समस्या और दस साल तक भी हल होने वाली नहीं है । बड़ी खुशी की बात है कि आपने जमींदारी और बिस्वेदारी खत्म की है । लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बधाई के पात्र नहीं हैं । इसमें दो,तीन चीजें किसानों पर असर डालने वाली हैं । एक तो धारा ६ में है कि जिसने जमीन बेच दी है वह नहीं मानी जावेगी । दूसरी धारा २९ में है । ये चीजें किसानों को राहत नहीं पहुंचाने वाली हैं । अब तो टाइम चला गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे दुबारा इस पर सोचें और सोच कर कोई अमेन्डमेंट इसमें आगे लावें तो यह किसानों के हित में अच्छा होगा ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु०) : माननीय सभापति महोदय, जमींदारी और बिस्वेदारी का बिल पास होने जा रहा है । सन् १९५२ में जागीरदारी समाप्त की और उसके सात वर्ष के बाद यह महत्वपूर्ण बिल माल मंत्रीजी ने सदन में प्रस्तुत किया है । आपको मैं इस बिल के विषय में थोड़ा विवरण कहूं कि जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल बड़ा महत्वपूर्ण बिल है । इस बिल में जो जमींदार और बिस्वेदार की परिभाषा है उस पर हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने रखी हैं, वैसे मैं अर्ज करूं कि एक पुरानी कहावत है :

"जमीं, जर, जोरू जोर की,
जोर हट्यां पर और की" ।

(हंसी)

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि)

माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । जमीन उसी के पास रहेगी जो हल जोतेगा उस पर । इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है । हमारी सरकार ने सात वर्ष के बाद इस ओर ध्यान दिया है और इस बिल को पास करने जा रहे हैं ।

श्री सभापति : आप जमीन के विषय में ही बोलिये, जोरू के विषय में नहीं ।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं उसी पर बोलता हूं । उधर से एक माननीय सदस्य ने

(श्री हरिप्रसाद यादव)

खां साहब का उदाहरण दिया। मैं एक उदाहरण दूंगा :

'पानी पियावत प्यार की रित सीख लीजिये आप सब, तो दुख, द्वन्द दूर हो भारत मां के'।

हम ही तो भारत माता हैं। मैं भारत माता के सपूतों के लिए बोलना चाहता हूं और चेयरमैन साहब दबा देते हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

मैं निवेदन करूं कि यह सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण बिल रखा है और किसान और मजदूरों की तरफ से बोलना चाहता हूं कि हमारे चेयरमैन, उपाध्यक्ष रोक देते हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री सभापति : मैंने आज आपसे यह कहा था कि जमीन के सम्बन्ध में आप खूब बोलिये, लेकिन जोरू के सम्बन्ध में न बोलिये। मैंने आपको यह कहा था.........

श्री हरिप्रसाद : मैं पांचवें क्लॉज़ के संशोधन पर बोल रहा था तो श्रीमानजी आपने उस दिन भी रिमार्क लगाया था। तो मैं यह अर्ज कर रहा था सात वर्ष के बाद माल मन्त्री महोदय ने जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल रखा है उसके लिए मैं माल मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं और इस बिल को पास किया जाय। और सदन के सदस्यों की ओर से सभापति महोदय से अर्ज करूंगा कि इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है अतः इस पर अब माननीय मंत्री जी ही बोलें।

श्री रामकरणसिंह : माननीय सभापति महोदय,...

श्री शंकरलाल : उन्होंने क्लोज़र मूव किया है।

श्री सभापति : This is no closure

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): माननीय सभापति महोदय, जमींदारी बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के थर्ड रीडिंग पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। काश्तकारों की ओर से मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रहूंगा, लेकिन धन्यवाद के पाने में कमी जरूर है और वह कमी क्या है ? हर एक काश्तकार जिनमें माननीय एम. एल.ए. भी हैं जो यह अनुभव करते हैं कि वास्तव में एक टाइम ऐसा आया कि जो काश्त करने वाले काश्तकार हैं उनको एक बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन जो बिल आया है उसकी धाराओं का ज्ञान करने के बाद दो चीजें ऐसी अखरती हैं जैसे गुलाब में कांटा'। यह कांटा कितना चुभने वाला है, किसको चुभेगा ? यह कांटा बहुत तेज है, तीखा है और काश्तकार को चुभने वाला है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूं कि पांचवीं धारा में है कि किसी काश्तकार ने अपने गुजर-बसर के लिये चाहे अपनी बीबी-बच्चों का जेवर या खाना पीना बन्द करके रुपया इकट्ठा करके जमीन खरीद ली हो, उसने जमीन में खाद दिया हो, जुताई की हो, कुंआ बनाया हो, लेकिन आज वह जमीन किसकी हो, किसकी न हो, इसके सम्बन्ध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति हो, यह बात नहीं है। यह कितनी महत्व की चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है एक काश्तकार के लिए वह काश्तकार ही जान सकता है। इस सदन के जो माननीय सदस्य काश्तकार हैं वे इसको जान सकते हैं। और विचार कर सकते हैं। क्या माननीय मन्त्रीजी इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि किसी

Page No.80

(श्री रामकरणसिंह)

प्रकार से जिस काश्तकार ने जो जमीन मोल ली है और वह उस जमीन पर काश्त कर रहा है उसने अपनी खेती को अपने हल से, अपने बीबी बच्चों की मदद से, औजारों के द्वारा कृषि योग्य बना कर अनाज पैदा करके गुजर किया है वह जमीन उसी की रहेगी ? मुझे ऐसा लगा है जब मैंने यह अर्ज किया तो माननीय राजस्व मंत्री एकदम सावधान हो गये, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जरूर अपने विचार व्यक्त करेंगे और स्पष्ट रूप से कहा जायगा कि काश्तकारों ने जो जमीन अपने गुजारे के लिये खरीदी है या किसी प्रकार से मोल ली है वह उसी के पास रहेगी। ऐसा लगता है, हो सकता है वे आज अवश्य ही काश्तकारों को फायदा देने की नीयत से कह दें।

इसके अलावा धारा २६ में जो लगान जमींदार लोग लिया करते थे वही स्टेट को दिया जायगा, इस पक्ष में मैं कतई नहीं हूं। जो जमींदार द्वारा किसी नीयत से, जिस नीयत की व्याख्या या परिभाषा, उनकी नीयत क्या थी, किस मकसद से उन्होंने इतना लगान लगाया था जिसकी चर्चा माननीय मंत्री महोदय किया करते हैं और अन्य सदस्य भी किया करते हैं, चाहे वे सरकारी पक्ष के हों या इधर बैठने वाले हों। मुझे यह नहीं मालूम कि जिस वक्त यह धारा पारित करने की बात आती है तो वह मन्शा, वह मकसद, वे विचार, वे भावनायें, जो जागीरदारों के नाम से जागीरदारों द्वारा जो लगान वसूल किया जाता था उसके बारे में थीं उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। इससे ऐसा लगता है कि जिस जमींदार, जागीरदार द्वारा किसी प्रकार का बोझा, किसी प्रकार का अजीब सा भार लगा रखा था वह भार उनके ऊपर से न हटाया जाय या केवल इसका रास्ता ही बदल दिया जाय। वह लगान जो जमींदार काश्तकार के ऊपर किसी प्रकार से अपने टाइम में सैटिलमेंट करके खुद के सैटिलमेन्ट ऑफिसर द्वारा, उनके रेवेन्यू ऑफिसर्स द्वारा लगान तय कराया था, वही लगान किस हद तक ठीक था या नहीं यह तो माननीय मंत्री महोदय व अन्य सदस्य इस सदन में बार बार जब जमींदार और जागीरदार की बात आती है चर्चा कर ही देते हैं। आज अफसोस है कि जब काश्तकार को फायदा देना है उस चीज को याद नहीं किया गया। जमींदारों के पास पैसा नहीं जायगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा जायगा।

हम तो यह मानते हैं कि जो आज काश्तकारों को फायदा देने वाले हैं उस लगान को काश्तकार के ऊपर जमींदार या जागीदार के समय जो लगान था उसके बारे में कोई कमी का प्रोविजन होता तो हम भी कुछ मानते। इसके अलावा एक रिपोर्ट में माननीय राजस्व मंत्री चेयरमैन थे उस रिपोर्ट में ऐसा सेक्शन है उससे तो ऐसा लगता है कि वह बेचारा काश्तकार दस साल तक उसी प्रकार से इसी चक्की में पिसता रहेगा। वह धारा रिपोर्ट ऑफ दी जमींदारी एबोलिशन कमेटी की है। कमेटी की रिपोर्ट पेज ४६ में साफ जाहिर किया गया है :

"As reard item No. 6 of our terms of reference, we are of opinion that the tenants should be asked to continue to pay revenve to Government fcr a period of ten years."

इससे साफ जाहिर होता है किसी भी प्रकार से दस साल तक तो इसको खींचा जा सकता है। आज हम एक कानून को लागू करते हैं

(श्री रामकरणसिंह)

और उसके द्वारा बिस्वेदारी या जमींदारी खत्म होती हैं तो काश्तकार को अच्छी भावना से उसके दिमाग में यह पैदा करते हैं कि हम तुमको फायदा दे रहे हैं। मगर वह फायदा जैसा कि जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट में रेफरेन्स आया है और हमारे इस बिल की २९वीं धारा के आधार पर ऐसा लगता है, माननीय मंत्री महोदय का मकसद यह है कि किसी प्रकार से दस साल तक तो हम इस प्रकार से काश्तकार के ऊपर यह बोझा लादे रहें। जब हम काश्तकार को यह कहेंगे कि तुम्हारे लिये जमींदारी-बिस्वेदारी खत्म कर दी है तो वह पूछेगा हमें इससे क्या फायदा हुआ ? उसका जबाब हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी का इन्तजाम किया गया हो और उसमें जो सामान परोसा जानेवाला है उसकी चाबी लेकर कोई चला गया हो। इसी प्रकार का यह बिल है। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी जब जबाब दें तो जो धारायें हैं जिनकी ओर मैंने इशारा किया है उसके बारे में कहते हुए यह कहेंगे कि जिस जिस जगह का सेटलमेन्ट जागीरदारी या जमींदारी इलाके में हुआ है उसको वापिस दुबारा कराया जायगा और जल्दी से कराया जायगा। उसके लिये समय की भी घोषणा कर देंगे और अगर समय नहीं बतलाते हैं तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की धारा का प्रोविजन करके जो बिल रखा गया है वह किसी भी प्रकार से काश्तकार के लिये फायदेमन्द नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, जमींदारी बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक की थर्ड रीडिंग पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। वैसे यह बात ठीक है कि आज हम इस एबोलिशन द्वारा राजस्थान में इन्टरमिजियरीज की जो फाइनल स्टेज रह गई थी उसको खत्म करने के लिये कानून को अन्तिम रूप दे रहे हैं। जो प्रोविजन्स इसके अन्दर हैं उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्तियां की हैं और कहा है कि इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। दफा २८ और २९ जो जमींदारी एबोलिशन बिल की है उस पर ज्यादा आपत्ति की है और यह बताने की कोशिश की है कि जो जमींदार अपने किसानों से अधिक लगान लिया करता था वह सारा का सारा स्टेट को मिल जायगा।

वास्तव में जो माननीय सदस्य जमींदारी एरिया से आये हैं वे इस बात को जानते होंगे कि आज का लैन्ड रेवेन्यू जमींदारों का सेटल्ड है वह कितना है। मौजूदा रेट रेंटिंग कानून के अन्तर्गत कितना लगान लेने का अधिकार है। मगर जो दफा २८ और २९ रखी है उसमें दो गुना यानी मेक्जिमम दो गुना रखा है। इसका मतलब यह है कि अभी काश्तकार जितना लगान जमींदार को देता है वह काश्तकार बदस्तूर देता रहेगा, वहां सरकार दुगुने से ज्यादा चार्ज नहीं करेगी। दुगुने का अन्दाज लगाकर देखा जाय रेन्ट के हिसाब से तो आज जो वे दर लगाते हैं उसके हिसाब से तो इसमें बहुत कम हो जायगा। जो लोग यह कहते हैं कि सेटलमेंट कराने से वे दरें कम हो सकती हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, अभी अलवर इलाके में सेटलमेंट हुआ है जागीरी एरिया में, जिसके पास ही जमींदारी एरिया है वहां भी १।६ के बेसिक पर हुआ है। लैन्ड रेवेन्यू के आंकड़े जो अलवर के आये हैं उसके हिसाब से देखा जाय तो आपको मालूम

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हो जायगा कि दरअसल स्टेट क्या ज्यादा लगा रही है । जमींदारी एरियाज़ के अन्दर महज काश्तकारों को लगान देने से आराम और तकलीफ का सवाल पैदा होता है यह बात नहीं है । बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे काश्तकारों को राहत मिलेगी । आज लगान का सवाल एक तरफ रख दीजिये । हमने टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन लॉ बना रखा है तो क्या उससे टिनेन्ट्स का कम्पलीट प्रोटेक्शन हो गया ? इसके तो फीगर्स मालूम किये जायं तो पता चलेगा । यह बात जरूर है कि जमींदारी प्रथा अपने आप में बहुत ताकतवर थी, उनको सारे अधिकार थे जो सदियों से चले आ रहे थे । यह एक प्रथा थी, उनकी हकूमत थी इसलिये वे किसानों को हर वक्त दबा सकते थे । तो इस तरह से चाहे जितना लगान वे ले सकते थे । अगर इस बात की जांच की जाय तो पता चलेगा कि थ्री टाइम्स ही क्या कई गुना लागन लिया करते थे । रेंट रेन्टिंग एक्ट जब नहीं था उनके पहले दस गुना तक लगान लिया जाता था । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । केवल यह कह देना की जमींदार जितना लगान वसूल किया करते थे उतना ही वे करेंगे, महज लगान लेकर कहना कि राहत नहीं मिलेगी यह ठीक नहीं है । क्या जहां शामलात की जमीन थी, जहां मिनीमम डिग्री तक ग्रेजिंग चार्जेज़ वसूल किया करते हैं वहां जो मवेशी ले जाने नहीं दिया करते थे क्या इससे वे अधिकार नहीं मिल जायेंगे ? लछमनगढ वालों ने बताया कि आम रास्तों तक पर अपनी मिल्कियत जमींदारों ने कर रखी है और लोगों को आने जाने की दिक्कत होती थी तो क्या इस कानून से वे रुक नहीं जावेंगी ?

आज ग्रेजिंग लैण्ड की डिफिकल्टी है, क्या वह दूर नहीं हो जावेगी और आम तौर पर जिस तरह से पंचायतों में वेस्ट हो गई हैं और जगह उस तरह यहां भी नहीं हो जावेगी ? आबाद होने के लिये जो काश्तकार को जमीन की पहले दिक्कत थी वह क्या दूर नहीं हो जावेगी ? इस कानून के जरिये वे सब राइट्स लोकल बोडीज़ में वेस्ट हो जावेंगे और इसके लिये जो टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत रूल्स हैं उनके अनुसार क्या किसान को अपने रहने के मकान बनाने में फेसीलिटी नहीं हो जावेगी ? जमींदार अपने रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा भी जो कई प्रकार की सैसेज वसूल करते थे, कितनी ही प्रकार की फोर्स लेबर, बेगार वगैरह लेते थे क्या इस कानून के लागू होने से वे बन्द नहीं हो जावेंगी ? जमींदार आज भी ये लाग-बाग बेगार लेता रहा है । यह माननीय सदस्य अभी कह रहे थे । तो इस तरह की जितनी भी फेसीलिटीज हैं बहुत हैं, क्या वे सब इस कानून के बनने से अतिरिक्त रूप में उनको नहीं मिल जावेंगी ?

तो महज इसलिये कि दफा २९ में लिख दिया है कि वही लगान वे जो जमींदार को देते रहे हैं, सरकार को भी देते रहेंगे, केवल इससे कोई अन्दाज लगाना गलत है ।

लगान का सवाल आया । सेटलमेंट हमने अलवर, भरतपुर का खास तौर से कराया है, सर्वे कराया है । अलवर में तो रेकॉर्ड ऑफ रेट कम्पलीट भी हो चुका है । उन रेकॉर्डों से पता लगा है कि लैण्ड रेवेन्यू वहां सैटल हुई थी कई वर्षों पहले और इस तरह से वहां रेट की कोई सिमिलेरिटी नहीं है । जमींदारी स्टेट से सैटल थी पर रेट तय नहीं थी । पर स्टेट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि लगान दुगुने से ज्यादा नहीं ले सकते । मगर चूंकि मैंने क्लॉज़ बाई क्लॉज़ के डिस्कसन की वक्त कहा था कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सैक्शन ६९।९८ के द्वारा मेक्जिमम लिमिट फिक्स कर दी इसलिये मैंने रखा है दफा २६ में कि इससे ज्यादा वसूल करने का अधिकार उनको नहीं होगा । इसलिए २८।२६ से यह नतीजा निकालना कि इससे किसान पर बहुत बड़ा वजन पड़ गया ठीक नहीं है । यह बहुत बड़ी गलत धारणा है और वास्तव में फैक्ट्स इससे भिन्न हैं । वास्तव में जमींदार किसान से इससे कई गुना लगान वसूल रता रहा है और इसके अतिरिक्त और कितनी ही परेशानियां और तकलीफें थीं वे तो घटी ही हैं ।

आज आप इसके साथ यह भी महसूस करें कि गैर ओपन साइड मिलेगी, शामलात की जमीन थी ग्रेजिंग लैंड के लिये, उसको अधिकार थे तो जहां जहां ये राइट थे जमींदार को वे सब भी तो अब किसान को मिल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि ये राइट नहीं हैं किसी जमींदार को, पर ये तो आज भी हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास: यह बताऊंगा। जो जमंदार हैं वे काश्तकार की हैसियत से काबिल रह सकते हैं । इससे ज्यादा अधिकार उनको नहीं रहने को हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, मैं यह जानना चाहूँगा कि यदि किसी काश्तकार से जमींदार केवल अपना ही लगान लेता था तो इससे काश्तकार को क्या लाभ हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप पूरी बात सुनने के लिये सदन में बैठे रहा करें । मैं इस बारे में पहले कह चुका हूं । दुबारा दोहराने के लिये अब तैयार नहीं हूँ । उनको चाहिये था कि वे यहां रहते और सुनने की कोशिश करते ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सब कुछ सुना है ।

श्री सभापति : Order please. Hon'ble Member-in-charge to please resume.

श्री भैरोंसिंह : सुना, पर आपने जिक्र ही नहीं किया । इसी जगह तो गवर्नमेन्ट का वीक पोइन्ट है ।

श्री सभापति : पहले वे अपने विचार इस पर दे चुके हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सुन लिया है, साहब । पर वह राहत की बात कहीं नहीं थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तमाम रेकॉर्ड में है । मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप थे नहीं यहां । आप वहां लॉबीज में बैठे थे और कहते हैं मैं यहां था । इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि दफा ५ और ६ पर कई माननीय सदस्यों ने यह बताने की कोशिश की कि इसमें काश्तकार को तकलीफ पहुंचेगी । मैंने क्लॉज ६ पर बहस के समय साफ कर दिया था कि इस क्लॉज़ की मंशा यह कभी नहीं कि काश्तकार की लैण्ड को मैनेजमेन्ट के सिलसिले में यदि जमींदार ट्रान्सफर करता है तो इफेक्ट हो जावेगी । इसमें साफ लिखा है : In anticipation of abolition of zamindari... अगर कोई ट्रान्सफर करता है लैण्ड को । आइ रीड आउट दी वर्ड्स "If such transfer is

(श्री दामोदरलाल व्यास)

established to have been made not in good faith...abolition and acquisition of but in anticipation of zamindari & biswedari rights".

यह कानून का मामला है और इसको महज सिर्फ इसी दृष्टि से देखना चाहिए। इसका क्या इन्टरप्रिटेशन होगा; यह साफ है : If it is in the normal course of management and in good faith... इसको कोई चेलेन्ज करने वाला नहीं है। और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी काश्तकार ने किसी जमीन को नॉर्मल वे में अलॉट की है तो उसको कोई हैरानी नहीं होगी।

कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक काश्तकार ने सैकड़ों रुपया देकर किसी जमींदार से जमीन काश्त के लिये ली, उस पर इन्वेस्टमेन्ट किया। पर वे जानते हैं कि इस प्रकार पैसा लेकर जमीन अलॉट करने का उसे अधिकार नहीं है। यह प्रीमियम लेने का न उसे अधिकार है न स्टेट गवर्नमेन्ट को। अगर किसी ने ऐसा किया है तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वे उसे वापिस वसूली की कार्यवाही करने की उस किसान से करें तो अच्छा है पर एलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड किसी काश्तकार ने बिल्कुल नेकनीयती के साथ की है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यह मैं कह सकता हूं। इस तरह का प्रोविजन यहीं नहीं, जागीर रिजम्प्शन एक्ट में भी है। अजमेर वाले एक्ट में भी है। यू. पी., मध्य प्रदेश और दूसरी स्टेटों के एक्ट में भी है।

कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ईमानदारी से नहीं बल्कि इस इरादे से ट्रान्सफर करना चाहें कि जिससे इस कानून का मतलब ही डिफीट हो जाय तो उनके लिये मैं यह कह देना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : इस दूसरे कानून में कम्पेन्सैशन के पर्पज के लिये है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके समझने की भूल है। वह तो एक्ट है न सामने। कानून के मामलों में मैं अधिक जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : कानून की बात कह कर गलत वातावरण बनाना चलेगा नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे बार बार उलझते हैं। मैं जानता हूं कानून क्या है? आप नहीं जानते।

श्री भैरोंसिंह : कम्पेन्सेशन के पर्पज के लिये इस प्रकार का क्लॉज है। कानून मेरे पास है।

श्री सभापति : आप जरा जवाब को सुन लीजिये पहले।

श्री दामोदरलाल व्यास: अब रहा सवाल फोरेस्ट लैण्ड के लिये। कुछ लोगों ने ऐतराज किया तीन साल क्यों कर दिया। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोर दिया था खास तौर से नल और वोइड शब्द पर।

श्री भैरोंसिंह : आज तो नहीं कहा।

श्री दामोदरलाल (व्यास) : आज तो नहीं कहा वह तो बिल्कुल सही है।

श्री सभापति : गलती वह फिर समझ गये।

(हंसी)

४ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) तो आखिर उसके लिए मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि फोरेस्ट के मामले में मैंने स्टेट की नीति को बहुत स्पष्ट कर दिया है। हमें पिछले तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिये। सभापति महोदय, जिस समय से राजस्थान बना आप इस बात से वाकिफ हैं कि सन् ४९ में एक प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स बनाया और वह इसलिए बनाया कि पेड़ों का काटना बहुत ज्यादा संख्या में हो गया था, इसलिए उसको रोकने के लिए बनाया गया था। जागीर रिजम्शन एक्ट में भी इसका प्रोविजन है कि हमने जागीरदारों को उस फोरेस्ट के सारे लीज़ को मान्यता नहीं दी है। पिछले तजुर्बे से यह बात समझ में आई है कि फोरेस्ट के लिए कितने लीज़ फर्जी दिए गए उसी तजुर्बे से यह इन्सर्ट करना चाहते थे कि यह बिल्कुल नल एण्ड वाइड डिक्लेयर करना चाहते थे। स्टेट गवर्नमेन्ट्स में ऐसे फोरेस्ट्स वेस्ट होने चाहिए कि गवर्नमेन्ट उस फोरेस्ट को पूरी तरह से एन्ज्वाय कर सकें। हमने पहले पांच साल रखा था उसको मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों पर तीन साल रख दिया। वह एक वाजिब सुझाव था जिसको मैंने मंजूर किया। फोरेस्ट के ऊपर यह किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि फोरेस्ट की इतनी लम्बी लीज़ दी जा सके।

दूसरे गंग केनाल के एरिया के बारे में कहा गया। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने गंग केनाल एरिया के बारे में वहां के मालिकों को सपोर्ट किया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जमींदारों का क्रिएशन और ओरीजन अलग अलग जगह पर अलग अलग है और यह नहीं कहा जा सकता कि उनका एक ही ओरीजन है। गंगानगर एरिया के अन्दर जमींदार जिनको कि हम मालिक कहते हैं उनको ओरीजन डिफरेन्ट है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखना यह है कि वह इन्टरमीजियरीज़ हैं या नहीं। हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत से स्टेटस में मध्यस्थ हैं और उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हम चाहे उनको जमींदार कहें, बिस्वेदार कहें, या अन्डर प्रोप्राइटर कहें या मालगुजार कहें whatever you call them, but they are intermediaries. कुछ भी कहें लेकिन वह आदमी जो कि किसान और स्टेट के बीच में फायदा उठाता है 'ही इज़ एन इन्टरमीजियरी' यह इन्टरमजियरी की डेफीनेशन है।

श्री भीमसेन : Who is a khatedari tenant.)

श्री दामोदरलाल व्यास : No, he is not. उसी के ऊपर हमें इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि यह इन्टरमिजियरीज़ हैं या बिचौलिया है या नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : इन्फोर्मेशन के लिए क्या सरकार गंगानगर के बारे में मानती है? उनको इन्टरमीजियरीज़ मानती है या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : It gges without saying.

इन्टरमीजियरीज़ मानती है और इसलिए इस जमींदारी एबोलिशन में उनको भी इन्क्लूड किया है। इसलिए यह पूछने का सवाल नहीं है कि उनको इन्टरमीजियरीज़ मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर किसी को एतराज है तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं।

Page No.86

श्री पी० के० चौधरी : उनका ओरीजन डिफरेन्ट मानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ओरीजन तो डिफरेन्ट है ही। किसीने जमीन खरीदी है, किसी को कैसे मिली है। इसके लिए मैं इन्कार नहीं कर सकता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इन्टरमीजरीज़ हैं इसमें शक नहीं है। नहीं तो आप ही बतायें वे क्या हैं तो फिर ?

डॉ० चन्द्रकला : वे बड़े किसान हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बड़े किसान कोई नहीं हैं।

श्री भीमसेन : गंग कैनाल एरिया में जो पर्सनल प्रोप्राइटर हैं वे खुद काश्त करते हैं। किसी ने भी सबलैट किया हुआ नहीं है।

श्री सभापति : आपने यह पॉइन्ट अपनी डिबेट में कह दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : खुद काश्त करना अगर यही...

श्री सभापति : जागीरदार भी तो पहले खुद काश्त किया करते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम खुदकाश्त करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। यह तो अच्छी दलील है। आप कह रहे हैं गंगानगर एरिया में ६०-७० पर्सेन्ट इन्टरमीजियरीज़ जिनको कह रहे हैं वे खुदकाश्त करते हैं तो उनको तो इससे नुकसान नहीं होता है। आप उनको टिनेन्ट मानते हैं तो हम उनको कम्पेन्सेशन भी तो दे रहे हैं, री-हेबिलिटेशन ग्रॉन्ट भी दे रहे हैं...

श्री भीमसेन : मगर आप उनके प्रोप्राइटरी राइट्स को भी तो ले रहे हैं।

श्री सभापति : राइट ऑफ कल्टीवेशन तो एग्ज़िस्ट करता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, 'देन देयर इज़ वन पॉइन्ट', बीकनेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा था कि काश्तकार का तो सवाल ही नहीं है उनके प्रोप्राइटरी राइट्स अगर हम ले रहे हैं तो उन राइट्स के एवज़ में जो हम जमीन रिज्यूम कर रहे हैं उसके लिए उनको मुआवजा दिया जा रहा है, हम उनको री-हेबिलिटेशन ग्रॉन्ट भी दे रहे हैं।

श्री भीमसेन : नहीं दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अपनी जमीन के खातेदार काश्कार होंगे तमाम लाईबिलिटी जो खातेदार काश्तकारों की होती हैं वही उनकी होंगी। वह यह निश्चित मान कर चलें कि जो उनके प्रोप्राइटरी राइट्स हैं वे सिर्फ उनके पास नहीं रहेंगे। इसलिए उसका जो मुआवजा होगा या री-हेबिलिटेशन ग्रॉन्ट होगी वह उनके नजर कर दी जायगी। माननीय सदस्य जो कि वहीं से आये हैं वह स्वयं मानते हैं कि वह प्रोप्राइटर्स हैं और किसान से ज्यादा हैं। मतलब मेरा यही है कि जो इन्टरमीजियरीज़ के एबॉलिशन का सवाल है वह यही है कि किसान और सरकार के बीच में कैसी भी बिचौलिया हो ही इज टू बी एबॉलिशड। इसलिए ही मैंने इसमें गंगानगर कैनाल के मालिकों को दर्ज किया था क्योंकि वह मालिक हैं और इन्टरमीजियरीज़ हैं, इसमें हमें आज कोई संदेह नहीं है।

अब रहा सवाल इस बात का और खास तौर से बयाना से आए हुए माननीय सदस्य

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं उन्होंने इस बिल को काफी डिस्कस किया है। पहली बात तो इन्होंने यह कही कि सरकार को यह निश्चय नहीं है कि इन्टर-मीजियरीज़ कौन हैं। इस वजह से उन्होंने इस डेफीनिशन को डिफेक्टिव बताया। पहले मैंने जैसा अर्ज किया और उस समय भी अर्ज किया था जिस समय इस डेफीनेशन पर डिस्कशन हुआ कि एग्जास्टिव लिस्ट इन्टर-मीजियरीज़ की बनाना की पर्टिक्युलर जमींदार और बिस्वेदार इन्टरमीजियरीज़ हैं या नहीं बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि लाखों की तादाद में किसान थे। हमारा राजस्थान करीब १८ स्टेटों को मिलाकर बना है उनमें अलग क्या क्या टिन्योर्स बनाये हैं वह सब होना मुश्किल है। वैसे कोशिश की है लेकिन हो सकता है कुछ रह गए हों। इस तरह सभी स्टेट्स के बहुत से कियेशन्स हो सकते हैं जो आज तक लाइट में नहीं आए हों। फिर भी हमने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है लेकिन यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि यह बिल्कुल एग्ज़ास्टिव लिस्ट आ गई है। लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों कि जिनको डिफाइन नहीं किया हो कि वह इन्टरमीजियरीज़ हों। आइन्दा जाकर इसमें अलग इस डेफीनेशन को मैंने रखा है कि गवर्नमेंट की इन्क्वायरी के बाद किसी भी आदमी को डिक्लेयर कर दें उसको इन्टरमीजियरी मान लेना चाहिए। लेकिन माननीय सदस्य को यह ठीक नहीं लगा कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉवर्स दी जायें कि वह किसी को इन्टरमीजियरी डिक्लेयर कर दे, इन्क्वायरी के बाद। अब इस प्रकार के अधिकार गवर्नमेंट को देने की बात को मैंने डिलीट भी कर दिया है। आइन्दा अगर जरूरत पेश आई, ऐसी लिस्ट को दर्ज करने की कार्यवाही की जायगी। लेकिन यह कहना कि सरकार के पास कोई एग्ज़ास्टिव लिस्ट नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है और हो सकता है कहीं न कहीं यूनिट में ऐसी बात निकल आये, लेकिन यह कहना कि सरकार को यह बात मालूम ही नहीं है कि इन्टर-मीजियरीज़ कौन हैं, यह बात गलत है।

खुदकाश्त जमीन के लिए कई माननीय सदस्यों ने दिलचस्पी ली। मैंने खुदकाश्त के लिए कहा है जब कि वह क्लॉज़ डिस्कशन के लिए लिया गया था। उस समय कह दिया था कि खुदकाश्त के लिए तो जमीन देना लाजिमी, है, क्योंकि हमने जागीरदारों को भी दी है। साथ ही खुदकाश्त जमीन का हम उनको मुआवजा दे रहे हैं और री-हेबिलिटेशन ग्रॉन्ट भी दे रहे हैं। यह तो हमारा सिद्धांत है कि उनके पास खुदकाश्त के लिए जमीन होनी चाहिए। खुदकाश्त के लिए दो ऑब्जेक्शन्स किए गए जो बयाना से आए हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि खुदकाश्त की जमीन के लिए इस प्रकार के अधिकार दिए जाएं कि वह सबलैट कर सकें। मगर सबलैटिंग के सिद्धान्त को ही हम बंद करना चाहते हैं। इसमें शक नहीं है कि यह प्लानिंग कमीशन की पॉलिसी है और हमारी राज्य सरकार की भी पॉलिसी है कि यह जो सलैटिंग का मसला है इससे एक अलग तरह की इन्टरमीजियरी बन जाती है इसलिए इसको बंद करना जरूरी है। मगर जब टिनेन्सी एक्ट पास हुआ उस समय माननीय सदस्य भी सदन के सदस्य थे उस समय काफी बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस समय, समय नहीं आया है जब कि सबलैटिंग को बिल्कुल बंद कर दें। इसलिए जो अभी इस काश्त के आदी नहीं हैं, जो इसके माहिर नहीं हुए हैं उनको मौका देना चाहिए था

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि वह सबलैटिंग करें और पर्सनल कल्टीवेशन करके अपनी दिलचस्पी पैदा करें और उसके बारे में जानकारी हासिल करें, इसलिए सबलैटिंग को कन्टिन्यू करना चाहिए।........ एक तरफ इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि हमारा मामूली किसान जो है उसके लिए आज ५ साल के लिए सबलैट करने का टिनेन्सी एक्ट के अन्दर प्रोविजन किया है। उस किसान को इजाजत है सबलैटिंग की। एक जागीरदार जिसके पास खुदकाश्त की जमीन है वह जागीरदारी के रिजम्प्शन के बाद में किसान हो जाता है, उसको सबलैटिंग की इजाजत है ५ साल तक, तो यह किसी तरह से वाजिब नहीं हो सकता कि जमींदारी एबोलिशन में यहां यह लिख दें कि वह खुदकाश्त तभी होगी जब कि वह पर्सनली उसको कल्टीवेट करेगा और सबलैट नहीं कर सकता है। यह डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो जायगा, क्योंकि आखिर जमींदार का स्टेट जमींदारी रिज़म्प्शन हो जाने के बाद खातेदार काश्तकार का होगा। हम नई तरह के टिनेन्ट क्रियेट नहीं करना चाहते। उसका नेचुरली कॉन्सीक्वेन्स है कि जमींदार को जमींदारी एबोलिशन के बाद वही राइट्स पैदा होते हैं जो कि एक खातेदार काश्तकार के हैं। सबलैटिंग उसके लिए प्रोहिबिट करना बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी होगा। डिस्क्रिमिनेटरी होने के अलावा जैसा कि आपने कहा, आपकी भावना बिल्कुल ठीक है ऐसा होना चाहिये, लेकिन परिस्थितियों के अन्दर सबलैटिंग का सार रखा है दूसरी जगह तो जमींदार एबॉलिशन बिल में डिस्क्रिमिनेट करना यह वाजिब नहीं था।

दूसरी बात, एक माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये थे, ने इस बात पर एतराज किया है कि 'प्रेस्क्राइब्ड' नहीं दे रखा है जब कि हम सीलिंग फिक्स कर रहे हैं। उनको पता नहीं जब मैंने 'प्रेस्क्राइब्ड' लफ्ज सब्स्टीट्यूट किया था, सीलिंग के बजाय तो सिर्फ यह कहा था कि सीलिंग का लॉ पास नहीं किया गया था और पास नहीं करने से 'इन एन्टीसिपेशन ऑफ एनी लॉ' इसमें प्रोविजन नहीं कर सकते हैं सीलिंग एरिया का। सीलिंग एरिया तभी कर सकते हैं जब कि सीलिंग लॉ स्टेट्यूट बुक में हो इसलिये सब्स्टीट्यूट किया है। यह कहा था कि 'प्रेस्क्राइब्ड' का मतलब यह समझा जाना चाहिये कि प्रेस्क्राइब्ड खुदकाश्त एक सीलिंग एरिया में जो सीलिंग फिक्स करेंगे स्टेट के एरिया के अन्दर जिस एरिया के अन्दर वह जमींदारी है तो खुदकाश्त के लिए करीब वही एरिया प्रेस्क्राइब्ड करेंगे तो इस बात की गलतफहमी, कि कोई यह समझे कि बहुत ज्यादा जमीन अलॉट कर देंगे, उसकी कोई गुन्जायश नहीं थी....

श्री भैरोंसिंह : उसकी कोई उम्मीद नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं खास तौर से कह दूं कि पॉलिसी जो भी है उसको कान्टिन्यू करने के लिए इस बात की इजाजत दी है कि कन्टिन्यू करें।

एक माननीय सदस्य ने इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर बहुत लम्बे चौड़े अपने विचार प्रकट किये थे काफी तरह के और वह उस वक्त कह गये कि जागीरदार एबोलिशन के अन्दर इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर मुआवजा देने का प्रावधान है तो यहां पर क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और ऐसा क्यों नहीं आया है? मैं नहीं समझा हूं कि जागीरदारी एबोलिशन में कौन सी दफा है जिसमें इस बात का प्रावधान है। उन्हें नहीं मालूम वे भूल गये थे...

श्री भैरोंसिंह : मैंने बताया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारे देश के प्रधान मंत्री के पास अवार्ड के लिए कुछ जागीरदारों के रिप्रजेन्टेशन हैं जिनके बारे में उनको आर्बीट्रेरी मुकर्रर किया गया था उसका हवाला दिया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो हवाला जिस चीज का दिया गया है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की गई है।

श्री भैरोंसिंह : इम्प्रूवमेंट्स का है 'इन दी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स।'

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उसमें बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं क्योंकि वह मामला हमारे देश के प्रधान मंत्री के पास में है और वे फैसला करेंगे, लेकिन मैं माननीय सदस्य को दो बातें आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस बात की आपको पूरी जानकारी नहीं हो उसको नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि इससे सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि आप विरोधी दल के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए यह प्रार्थना मैं आप से करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : टर्म्स ऑफ रेफरेन्स की कापी अगर आपके पास हो तो पढ़कर सुना दें। मैं समझता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करूंगा कि ...

श्री भैरोंसिंह : आपने माइनिंग रूल्स के लिए गलत कह दिया, फोरेस्ट के लिए गलत कह दिया और अब तीसरी बार गलत कह रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि आप पहले मालूमात कर लें।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल गलत कहा जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कम्पेन्सेशन के बारे में एक माननीय सदस्य ने एतराज किया है कि खुदकाश्त के लिए जो कम्पेन्सेशन दिया है वह कम है २५ पर्सेन्ट का। में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उन माननीय सदस्य ने शुरू में उनको कम्पेन्सेशन देने के लिए बिल्कुल विरोध किया था कि कम्पेन्सेशन किसी भी हालत में जमींदारों को नहीं देना चाहिए। उसके बाद में जब कम्पेन्सेशन का क्लॉज आया तो उन्होंने प्रैस किया कि कम्पेन्सेशन ही नहीं बल्कि रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट भी देना चाहिए।....

श्री पी०के० चौधरी : हमने कहा था कि Once you accept the principle of compensation.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to that. I have not come to your part. I am taking about Khud-kasht, because you had stated just. I will come to that. वही माननीय सदस्य खुदकाश्त के कम्पेन्सेशन के लिये कहते हैं कि खुदकाश्त पर कम्पेन्सेशन जो २५ पर्सेन्ट ऑफ वन ईयर्स नेट इन्कम दिया है वह बहुत कम दिया है। वह बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। मैं उनकी कॉन्स्टिटयुएन्सी की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह पहले शुरू में कह रहे थे कि कम्पेन्सेशन नहीं मिले। उसके बाद में रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट की भी पैरवी की, उसके बाद में उन्होंने कहा कि खुदकाश्त जमींदार को जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं मैंने अर्ज किया with all the powers of khatedars

(श्री पी० के० चौधरी)

and liabilities of Khatedar Kashtakar. उसको सबलैट कर सकेगा। रेन्ट उसको वही देना पड़ेगा जो कि लैण्ड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है They stand to loose nothing absolutely.

उसके लिए उनको २५ परसेंन्ट जो उनकी इयरली नेट इन्कम का है उसका कम्पेन्सेशन दिया है उसको माननीय सदस्य कम बताते हैं। मैं जानता हूं, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या कानूनसंगत होना चाहिए? What will vest in the State Govt.? जो जमीन की चीज है वह जमीन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आयेगी। जमीन उनके पास रहेगी, खेती उनके पास रहेगी और रेन्ट वही देंगे जो कि आज दे रहे हैं। स्टेट को इससे अलग से कोई फायदा नहीं होगा। वह उनको नोमीनल कम्पेन्सेशन दे रही है वह भी इस कारण से उनके प्रोप्राइटरी राइट्स जो जमींदारों के थे वे स्टेट के अन्दर वैस्ट होते हैं। अलावा इसके मेटीरियल गेन स्टेट को कोई नहीं होता है। सारे के सारे एडवान्टेज जमींदार भी एक खातेदार काश्तकार की हैसियत से हासिल करेगा। कम्पेन्सेशन को बढ़ाने का या घटाने का कोई सवाल नहीं रहता।

अब एक माननीय सदस्य ने जो फुलेरा से आये हुए हैं उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में और स्टेट्स में देखा जाय तो कहीं भी इस तरह से कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है फ्लेट रेट से, यह माननीय सदस्य ने कहा। मैंने कल पढ़कर सुनाया था कई स्टेटों का ८ टाइम्स का। जिसके लिए यहां कहा गया था कि ८ टाइम्स का जो कम्पेन्सेशन का रखा गया है उसका क्या बेसिस है इसके लिए कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं है, तो मैंने पढ़कर सुनाया था। अलग अलग स्टेट का मैंने सुनाया था कि कम्पेन्सेशन का स्लेब तो सब जगह एक ही रखा है। इस तरह से मध्य भारत, यू. पी. का मैंने बताया था, अजमेर का मैंने बताया था। रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का जो स्केल रखा है वह मैंने बताया था कि अलग अलग है। वह मेरे ख्याल से, माननीय सदस्य देखेंगे तो यहां पर भी अलग अलग हैं। कम्पेन्सेशन का जो स्लेब स्लाइडिंग स्केल का दिया गया है वह नेट एनुअल इन्कम के बेसिस पर है, वह सिर्फ रीहेबिलिटेशन की ग्रान्ट के लिए है। जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है वह एक ही होना चाहिए That is not a fact. 8 times in the majority of the cases as I have said. ज्यों ज्यों इन्कम कम होगी कम देंगे।

मैंने कल बताया था कि तीन, चार स्टेटों में जिनमें अपनी जमींदारियों से सिमिलेरिटी है उनमें भी ऐसा ही दिया गया है। यह बात नहीं है कि अलग से कोई हमारे यहां पर किया गया हो।

अब रहा सवाल इस बात का कि कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि जमींदारी एबोलिशन का बिल है आज इस सदन में पास कर रहे हैं, इसके इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में माननीय सदस्य जो बयाना से आये हुए हैं तथा और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने जोर दिया कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन जल्दी होना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस जमींदारी एबोलिशन बिल के लिए देर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जागीरदारी का करीब करीब जैसा कि आप जानते हैं एबोलिशन करीब करीब कम्प्लीट हो गया है। अब तो सिर्फ वे जागीरें रह गई हैं जो कि थोड़ी बहुत अनसेटेल्ड हैं

(श्री पी० के० चौधरी)

'इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इन्कम' सब को रिज्यूम कर लिया है और जैसा कि आप जानते हैं ढाई लाख के करीब जागीरों को रिज्यूम कर लिया है। इनके अलावा रिलीजियस जागीरों को रिज्यूम करना जरूरी है जिसके लिए पहले लॉ में अमेंडमेंट पास कर दिया है। उनका रिजम्प्शन जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। इसके साथ में जमींदारी एबोलिशन का जहां तक प्रश्न है देर लगाने का कोई इरादा नहीं है। ज्यों ही जमींदारी एबोलिशन बिल पास हुआ और उसकी एसेंट हुई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार का दृढ़ निश्चय है। उसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इसके अन्दर देर लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

अब रहा सवाल इस बात का कि एक माननीय सदस्य ने एक तरफ तो गंगानगर एरिया में जो जमीन के प्रोप्राइटर्स हैं जिनको चाहे मालिक कहिये, जमींदार कहिये या बिस्वेदार कहिये उनके लिए बहुत हमदर्द हो रहे थे। मुझे खुशी है कि उनके लिए उन्हें हमदर्दी हुई, वह क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, यह दूसरी बात है लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह ध्यान में रखने की बात है। एक तरफ तो आपने कहा कि वे मालिक नहीं हैं, जमींदार नहीं हैं और दूसरी तरफ यह कहा कि सरकार ने पॉवर ली है कि वह डिफरेन्ट डेट मुकर्रर करेगी वह महज इसलिये कि गंगानगर के जो जमींदार हैं उनके साथ तरफदारी या रियायत करना चाहते हैं। उनकी ये दोनों बातें एक दूसरे की मुजायज हैं। वे एक तरफ तो इतने मेहरबान हैं कि उनको जमींदार नहीं बताते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि उनके साथ हम रियायत करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह इस कारण से नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि यह इतना बड़ा काम है, जागीरदारी एबोलिशन हो रही है, रिलीजियस जागीरें रिज्यूम कर रहे हैं और जमींदारी, बिस्वेदारी भी रिज्यूम कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स भी सरकार को देखनी होगी। एक नई मशीनरी जागीर कमिश्नर की है उसके द्वारा यह काम नहीं करवा रहे हैं। इसमें क्लेक्टर्स, कमिश्नर्स और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पॉवर्स दिये हैं और जागीर कमिश्नर को इससे पृथक् किया है। जमींदारी के साथ साथ रिलीजियस जागीरें भी रिज्यूम क्लेक्टर्स को करनी होंगी, उनके पास काम यहां तक है कि जागीर कमिश्नर होने पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम जागीर एबोलिशन के सिलसिले में डिप्टी कलेक्टर की सहायता से क्लेक्टर्स को करना पड़ता है जागीर इसलिये डिफरेन्ट डेट्स इसलिये नहीं की हैं कि गंगानगर के जमींदारों के साथ कुछ रियायत करना चाहते हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स के लिये रखी हैं। सदन को विश्वास होना चाहिये और खास तौर से माननीय सदस्य को कि जो इस तरह की धारा आपकी रजामन्दी से रखी गई है उसका और कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि सरकार की सहूलियत को देखकर करना है और जैसा कि आप देख रहे हैं जमींदारी एबोलिशन में, हमको जमींदार की सहूलियत भी देखनी है। हम यह नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उनको इन्कन्वीनियेन्स हो। उनके दावों को फाइनेलाइज करके उनको समय पर कम्पेन्सेशन मिल जाय, उनके खुदकाश्त का सवाल तय करना पड़ेगा। उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी के सवाल को तय करना होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। दफा ४–५ के अंतर्गत

Page No.92

(श्री पी० के० चौधरी)

उनको प्राइवेट प्रोपर्टी के डिक्लेरेशन पेश करने होंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जनता से सीधा संबंध है। जनता एतराज पेश करे तो उनको मौका देना पड़ेगा, इसके लिये रूल्स बनाने पड़ेंगे, ये सब काम करने पड़ेंगे। इसलियें मैं कहता हूँ कि यह निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि किसी मोटिव की वजह से देरी नहीं की जायगी। सिर्फ यही देखा जायगा कि आवश्यकतानुसार जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी जमींदारी एबोलिश करेंगे ताकि राजस्थान में जागीरदारी, जमींदारी और बिस्वेदारी आदि जितनी भी प्रथाएं हैं वे सब खत्म हो जावें। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि आपने सबने कोशिश करके इस बिल को बनाया है और खास तौर से किसानों के हित में और एबोलिशन ऑफ इंटरमीजियरीज की दृष्टि से बनाया है, इसलिए आप सब इसको थर्ड रीडिंग में पास करेंगे।

श्री भैरोंसिह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि जमींदारी एबोलिशन के साथ ही जमींदारों के माइनिंग राइट्स भी जायेंगे और रिलीफ मिलेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जमींदारों को माइनिंग राइट्स भी मिले थे या नहीं या सिर्फ मुगालता ही दिया था ?

श्री सभापति : Since there is no such provision so there is no occassion to explain.

श्री भैरोंसिह : इसका मतलब यह है उन्होंने जो कुछ कहा गलत कहा।

श्री सभापति : That is not a fact.

श्री भैरोंसिह : यह क्लरिफिकेशन कर दें कि उन्होंने गलत इन्फोर्मेशन दी थी।

श्री सभापति : There is no need of any clearification.

श्री भैरोंसिह : इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह गलत कहा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी एंड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल, १९५८ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

(विराम)

४. २५ म० प०

राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५८
(प्रवर समिति को)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

डॉ चन्द्रकला : सभापति महोदय, गलत ऐड्रेस करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप जैसा कहोगी, वैसा ही कह दूँगा।

चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र तक प्रस्तुत करेगी। समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :

१—मेरा नाम (नाथूराम मिर्धा)

२—श्री भीमसेन।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

३–श्री धर्मपाल ।

४–श्री माधोसिंह आहोर ।

५–श्री माणकचन्द कोठारी ।

६–श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

७–श्री अब्दुल गफ्फार ।

८–श्री श्रीनिवास शारदा ।

९–श्री तेजमल बापना ।

१०–श्री सजनसिंह ।

११–श्री रामचन्द्र (१२६)

१२–श्री रावतराम (बालोतरा)

१३–श्री गुलाबसिंह ।

१४–श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

१५–सुश्री शन्नोदेवी ।

१६–श्री बेनाराम गहलोत ।

१७–श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

१८–श्री लादूराम ।

१९–श्री किशनाराम ।

२०–श्री लक्ष्मीचन्द ।

२१–डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय ने किस आधार पर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का विचार किया, इस पर प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ माननीय सदस्यों ने इच्छा जाहिर की थी कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । मैंने उनकी बात मान ली । यह छोटा सा बिल है, उन्होंने कहा कि प्रवर समिति में जाना चाहिए इसलिए मैंने मान लिया ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सदन में विचार व्यक्त किया गया कि प्रवर समिति में जाना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सदस्यों के विचार सदन में और बाहर भी मिलते ही रहते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसके संबंध में मैं अपने विचार रखूँगा ।

सवाल यह है कि राजस्थान गौशाला विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द क्यों करना चाहते हैं ? आप इसके उद्देश्य पढ़ें तो स्पष्ट हो जायगा । मैं हिन्दी में पढ़ कर सुना देता हूँ ।

"राज्य में इस समय गौशालाओं की उपेक्षा हो रही है तथा प्रबन्ध ठीक नहीं है और इसलिए यह उचित समझा गया है कि विधि द्वारा उनके और अच्छे प्रबन्ध, नियंत्रण तथा विकास के लिए व्यवस्था की जाय, इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इसके मुख्य उद्देश्य दो हैं :

१. गौशालाओं के प्रबन्ध में कार्य-कुशलता लाना और

२. सार्वजनिक अंशदान के अपव्यय को रोकना ।

अब प्रश्न यह कि इसमें कुल १६ क्लॉजेज हैं और इसको हम प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहते हैं । मेरी समझ में नहीं आया कि मंत्रीजी इसे प्रवर समिति को

(डॉ चन्द्रकला)

क्यों सुपुर्द करना चाहते हैं। आप देखिये कि इस सारे विधेयक में एक ही चीज है और वह है राजस्थान राज्य में गौशालाओं के प्रबन्ध को सुधारना। इसके लिए एक रजिस्ट्रार होगा, उसके कुछ फंक्शन्स होंगे आदि बातें इसमें दी हुई हैं। यदि कोई एतराज की चीज है तो एक ही चीज है और वह है इसका १६ वां क्लॉज़, जिसका हैडिंग है मुक्त करने की शक्ति। उसमें लिखा है : राज्य सरकार, राज पत्र में विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी गौशाला या गौशालाओं के वर्ग को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रावधानों से, विशिष्ट परिस्थितियों में मुक्त कर सकेगी। इस तरह का हमने एक विधेयक उपस्थित किया है जिसमें सारी क्लॉजेज अच्छी तरह से दी हुई हैं........

श्री सभापति : आप चाहते क्या हैं ?

श्री बहादुरसिंह : मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री सभापति : रूल्स ऑफ बिजनेस की क्लॉज १०० है उसे आप देखिये।

डॉ० चन्द्रकला : आप उसे पढ़ दीजिये।

श्री सभापति : "No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge of the Bill, and no motion that a Bill be referred to a Select Committee or be circulated or recirculated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member-in-charge except by way of amendment to a motion made by the member-in-charge.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): General principles can be discussed.

श्री सभापति : General principles can be discussed but under what rule?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : There is a substantial motion and we have our rights to oppose or support it and I think the Hon'ble Member..

श्री सभापति : It is a matter of precedent. You can no doubt speak on the Bill, but whether you can oppose the motion that it may be sent to the Select Committee ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Rule 100 never checks the Hon'ble Member to support or oppose the motion. It says that "no motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge of the Bill, and no motion that a Bill be referred to a Select Cemmittee on be circulated or recirculate for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other then the member-in-charg except by way of amendment to a motion made by the memder-in-charge. It never checks a member from opposing the amendment. They can oppose.

श्री सभापति : There are certain principles laid down in the Rules. Rule 99 is clear on this point. You go through it because there is a ques-

Page No.95

(श्री सभापति)

tion of support. You can support but there are certain principles which are enumerated in Rule 95. You please advance your arguments.

डॉ० बहादुरसिंह : प्रवर समिति को कुछ इन्स्ट्रक्शन समझ लीजिये ।

(हंसी)

मैं यह कहना चाहता था कि इस प्रकार से.......

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Mr. Chairman, Sir, I had no intention to speak but because the objection raised by the Chairman takes away the right of a member to speak, it is a fundamental right of a member of this House.....

श्री सभापति : One thing please. I am not challenging the right of an Hon'ble member to speak. So far as the objection is concerned, this is my view that he cannot....

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I will not sit unless the Chair is on its legs. Because the decorum of this House is that the Chair should stand and the member takes his seat only when the Chair is on its legs.

श्री भैरोंसिंह : The Hon'ble member can sit on half legs.

श्री सभापति : Now you continue please.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I may sit if the Chair desires.... Half legs are no legs.

श्री सभापति : No I have spoken what I wanted.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I may submit that the observation of the Chair has not been clear because when a motion about the consideration of the Bill is before the House, it has a right to discuss the principles and if the House agrees to the principles then the House can pass a Bill. But when the discussions on the principles are over the House can adopt a motion or consider over a motion for referring it to a Select Committee. But when a motion is moved for a reference to the Select Committee, every member of this house has a right to support or oppose it. It is a fundamental principle of all the Legislatures that discussion in the House can take place unless a motion is moved and when a motion has been moved for referring it to the Select Committee regarding this Bill every member has a right to oppose or support it, and the discussion ensues on the motion when the motion is already before the Honse. Therefore it is a right of the members of this house to oppose or support. Rule 100, as has been observed only says that the motion for the reference to the Select Committee can be made only by a member-in-charge. I think the thing is quite clear.

"No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall

Page No.96

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

be made by any member other than the member-in-charge of the Bill and no motion that a Bill be referred to a Select Committee or be circulated or recirculated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member-in-charge except by way of amendment to a motion made by the member-in-charge."

So the language of Rule 100 is quite clear. When a motion is already before the House every member has a right to oppose or support it. I think the wordings of the rule are clear and even if there is an ambiguity in any way I don't think that the right of a member can be taken away when the motion is before the House.

श्री सभापति : Since there is a matter of general procedure and there is no definite rule at present in the opinion of this House, the member has a right to discuss this. So I allow Dr. Bahadur Singh to continue..

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : (जारी) माननीय सभापति जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो मंत्री जी ने बिल रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस खराब प्रथा को जो कि अक्सर रेलों में चलती देखी जाती है लोग बोगस गौशाला के नाम से चन्दा इकट्ठा करते हैं। क्योंकि हिन्दुओं की सद्भावना होती है गऊ के प्रति, वे उससे फायदा उठाते हैं, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए और उस भावना को दृष्टि में रख कर यह बिल रखा है, यह बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इस बिल के अन्दर जो बात अत्यन्तावश्यक है, वह यह है कि राजस्थान राज्य गौशाला संघ के निर्माण की। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर क्यों करते हैं जब कि ज्यादा से ज्यादा सभा का दो घंटे का समय, तीन घंटे का समय लगेगा। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी धारा नहीं है जिस पर विवाद किया जाय, सिर्फ एक धारा है जो है अन्तिम। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि राज्य सरकार किसी गौशाला को एक्जेम्प्ट करती है तो उसके अन्दर कोई रीजन तो हो, किन कारणों से एग्जेम्प्ट करते हैं। आपने जो रजिस्ट्रार बना रखा है, उस रजिस्ट्रार को अधिकार दिया है कि वह उसकी विशेष जांच करेगा, खर्चे की जांच करेगा, सारी बातों का निरीक्षण करेगा, तो फिर एक्जेम्प्ट करने का कोई कारण नहीं हो सकता! एक कारण नजर में आया है कि जो स्टेट गौशाला है, उस स्टेट गौशाला के बारे में शायद आप चाहते हैं कि उसका निरीक्षण रजिस्ट्रार नहीं करे। यह उपयुक्त नहीं है कि जब आप रजिस्ट्रार बना चुके हैं और उसे अधिकार दे चुके हैं कि वह गौशाला का निरीक्षण करे। आपने आगे व्यवस्था की है कि जो चेरिटेबल तथा रिलीजियस ट्रस्ट्स एक्ट के प्रावधान किसी गौशाला पर लागू नहीं होंगे। मैं समझता हूं यह महत्वपूर्ण बिल है लेकिन उसकी अन्तिम धारा को मैं पसन्द नहीं करता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चाहे इस बिल को आप सिलेक्ट कमेटी में दें, चाहे इस हाउस में डिस्कस करें, कम से कम इस धारा को निकाल देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इसमें दंड की

(डॉ० बहादुरसिंह)

व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार आज बोगस संस्थायें चल रही हैं हिन्दुस्तान के अन्दर और उनके आदमी राजस्थान में आते हैं, जो बाहर की संस्थायें हैं, जैसे मथुरा या दूसरी जगह हैं, उनके आदमी राजस्थान में आकर चन्दा इकट्ठा करते हैं, तो उनके लिए प्रोविजन रखना चाहिए. जिससे उनके लिए भी दंड की व्यवस्था की जा सके।

मैंने माननीय मंत्रीजी के समक्ष जो मेरे विचार थे वे रखे और मैं आशा करता हूं कि जिस वक्त इस पर विचार करें, तो इन पर ध्यान रखें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) सभापति महोदय जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है कि राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसका विरोध करती हूं। जब यह प्रस्ताव सदन के सामने आया, मैंने सदन में माननीय कृषि मंत्री महोदय से चाहा कि वे इसका स्पष्टीकरण कर दें कि क्या बात है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वे इस बिल को प्रवर समिति को सौंपना चाहते हैं। ... मुझे कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिला, केवल यही कहा कि कुछ लोगों की भावनायें होती हैं। भावनाएं हो सकती हैं पर उन भावनाओं को सदन में प्रकट नहीं किया गया तो पता नहीं कि वे भावनाएं क्या थीं।

इस बिल को मैंने देखा है, देखने में ही यह एक छोटा सा बिल है, कुल १६ धारायें हैं जिनमें कोई खास बात नहीं। ध्यान से देखने की कोशिश की तो ऐसा ख्याल आया, जैसे पहले सत्र का भी अनुभव है, सदन में माननीय कृषि मंत्री महोदय के दो-तीन बिल थे उनमें एक आवश्यक बिल था, ऐसा था जिसके बारे में सारे सदन ने कहा था कि प्रवर समिति में जाय। उसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रख दिया, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं प्रकट कीं कि उसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय पर कृषि मंत्री महोदय ने सदन की भावना को ताक पर रख दिया और अन्त में परेशान हो गये तो चिढ़ कर एक बिल को ही नहीं बल्कि लगातार जितने बिल आते गये उनको सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया था, तो मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं माननीय कृषि मंत्री को वहम तो नहीं हो रहा है कि जो बिल उनके नाम से पुरःस्थापित करें उसको सलेक्ट कमेटी में रख दें। उनकी भावना हो जाने से काम नहीं चलता। वैसी भावनाओं से कानून नहीं बना करते, ऐसी भावना से सदन नहीं चला करता। प्रान्त के कानून भावना से नहीं बना करते, उनमें कोई न कोई तथ्य होना चाहिये। 'गौ' शब्द बहुत सुन्दर शब्द है, गौ बहुत सुन्दर चीज है, हमारे पशु धन का विकास हो, केवल दूध के लिए ही नहीं बल्कि कृषि का भी यह मूल आधार है। कृषि की उन्नति के लिये गौ की उन्नति बहुत आवश्यक है। बैलों से खेती की जाती है तो गौ शब्द बहुत ही पूजनीय, आदरणीय और सम्माननीय शब्द है और हमें इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर इस बिल का सम्बन्ध इस गौवंश के सुधार या विस्तार से नहीं है, यह कोई गोवंश के सुधार या विकास के लिए नही है, यह तो केवल गौशालाएं जो संस्थाएँ होती हैं, जिनके बारे में हमारी छोटी राय बन चुकी है, पैसों के छोटे डिब्बे लेकर लोग घूमते हैं और कहते हैं गौमाता खायेगी। जिस समय मैंने पहले

(डॉ० चन्द्रकला)

पहल जयपुर को देखा था तो उसके साथ ही जयपुर स्टेशन पर एक बौने आदमी को देखी जो कहता था 'मैं नहीं खाऊं पेट में, गौ माता खायेगी,' तो इस गौशाला शब्द से हमें अरुचि हो गई है।

गौशाला संघ, फेडरेशन बनेगा, इस बिल में प्रावधान किया गया है कि गौशालाओं में अनियमितता अव्यवस्था है उसको सुधारेगा, दूसरा काम यह करेगा कि जो जनधन है, उसका अपव्यय नहीं हो सके, उसकी रक्षा करेगा। यह तो सरकार का कर्तव्य है, करना चाहिये और करेगी पर इसको सदन में लाकर घंटे दो घंटे एक दिन में विचार कर लेने में क्या आपत्ति हुई मन्त्री महोदय को कि उसे सलेक्ट कमेटी में देना पसन्द किया ?

श्री सभापति : आपने नाम सुन लिये हैं सलेक्ट कमेटी में आपका भी नाम है।

डॉ० चन्द्रकला : मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।

श्री सभापति : आपने एक्सेप्ट कर लिया है।

डॉ० चन्द्रकला : एक्सेप्ट करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, लिस्ट ही नहीं आई...

श्री सभापति : नाम तो बोला गया था आपका।

डॉ० चन्द्रकला : नाम तो मेरा आप भी १० बार बोला करते हैं, मैं तो मूलतः इस प्रस्ताव का ही विरोध कर रही हूं।

(हँसी)

श्री सभापति : आपका नाम यहां बोल कर सुनाया गया तो यह प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आपने कन्सेंट दे दी है।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि जब तक मेरा नाम नहीं बोला गया मुझे कतई पता नहीं था कि इस सलेक्ट कमेटी में मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : फिर नाम नहीं चाहतीं क्या ?

डॉ० चन्द्रकला : नाम नहीं, मैं तो इस बिल को सलेक्ट कमेटी में ही भेजना नहीं चाहती।

श्री सभापति : आपका नाम लिया था तो उस समय आपको अपोज करना चाहिये था, उस समय आप चुप रहीं तो समझ लिया गया कि आपकी कन्सेन्ट है।

डॉ० चन्द्रकला : मेरी कोई कन्सेंट नहीं, कन्सेंट लेने की कोई परम्परा भी रही होगी, मुझे पता नहीं। मैं तो मोटी चीज यह समझती हूं कि प्रस्ताव आया है और उसके साथ नामों की घोषणा की है। मैं जब कि प्रस्ताव का ही विरोध कर रही हूं तो सारी चीजों का विरोध करती हूं। केवल मेरा नाम तो आया नहीं।

श्री सभापति : नहीं, मैंने बिला वजह से यह क्वेश्चन आपसे नहीं किया। यह पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस है कि किसी सलेक्ट कमेटी में रहने के लिये कोई माननीय सदस्य कन्सेन्ट दे देता है तो वह उस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव के विरोध में नहीं बोल सकता। आपका नाम बोला गया था तो मैंने प्रिज्यूम किया कि

Page No.99

(श्री सभापति)

आपकी कन्सेन्ट है। पर अब आपने कहा कि आपसे पूछा नहीं गया है तो नाउ यू केरी ऑन।

श्री शंकरलाल : यह मालूम कर लिया जाय कि ऑथोराइज्ड एजेंट ने तो कन्सेन्ट नहीं दे दी है?

श्री सभापति : There is no question of an authorised agent. When the Hon. member is speaking it will be presumed that she is speaking quite correct,

डॉ० चन्द्रकला : दूसरी मूलभूत बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं........

श्री सभापति : आप जारी रखिये, आपकी कन्सेन्ट थी ऐसा प्रिज्यूम करके आपको पूछा गया।

डॉ० चन्द्रकला : कन्सेन्ट तो नहीं थी पर जिस प्रस्ताव का ही विरोध कर रही हूँ तो वहां कन्सेन्ट और नॉन-कन्सेन्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्रस्ताव आया उसका विरोध कर रही हूँ। जिस समय हाउस पास कर देगा कि सलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय तो सलेक्ट कमेटी बन जायगी, मेम्बर हो जायेंगे, उससे पहले तो सलेक्ट कमेटी का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री सभापति : Now you speak on the subject.

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि गौशाला बिल के उद्देश्यों और कारणों को देखते हुए इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती कि इसको प्रवर-समिति में दिया जाय। दूसरे प्रवर समिति में जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, इसे भेजना बिल्कुल बेकार सी बात होगी। क्योंकि इसका प्रतिवेदन आगामी सत्र में मांगा गया है। कुछ लोगों की राय लेनी ही है तो इस सत्र के अन्त तक रिपोर्ट आ सकती है। पर इस प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि इस बिल को केवल टालने की बात होगी। मैं मन्त्री महोदय की नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहती, पर इसे सलेक्ट कमेटी में देना आवश्यक नहीं। इसकी अहमियत इतनी नहीं है कि इसे सलेक्ट कमेटी में दिया जाय। इसमें यह है कि रजिस्ट्रार हो उसकी क्या क्या ड्यूटी रहे, यह ड्यूटी रहे यह तो रुटीन है, ऐसे फेडरेशन बनते रहते हैं, इसकी वैधानिकता के लिए सलेक्ट कमेटी सही लगा सकती है। जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एक क्लॉज़ ऑब्जेक्शनेबल है जिसमें गवर्नमेंट को छूट दे दी गई है कि किसी भी गौशाला को सरकार चाहे तो छूट दे सकती है, इस प्रकार की छूट देना उचित नहीं। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। इस लिये मैं इसका विरोध करती हूं और आशा करती हूँ कि मन्त्री महोदय भी इसको समझेंगे।

मेरे विरोध को स्वीकार नहीं करते तो इसे तो स्वीकार करें कि इस सत्र में ही इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसको प्रवर-समिति के सुपुर्द किया जाय मैं इसका समर्थन करता हूं। जिस प्रकार दो माननीय सदस्यों ने

(श्री शंकरलाल)

इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण बिल है.......

डॉ चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री सभापति : अब इनको सुनिये ।

श्री शंकरलाल : (जारी) गौ माता हमारे लिये बहुत ही आदर की चीज है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये । यह नये प्रकार का विधेयक हमारे राजस्थान में है और यह प्रथम प्रकार का विधेयक है, इस पर बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा । जब इस विधेयक को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कोई नई गौशाला बनाने का, स्थापित करने का प्रावधान नहीं है, हो सकता है प्रवर समिति इस पर भी विचार करे । हमारी गायों की दशा, गौशालाओं की दशा बहुत बुरी है, इस पर भी विचार किया जा सकता है । गौशालाएं नहीं हैं तो नई स्थापित की जायं और अच्छी नस्ल की गायों के अच्छी नस्ल के बैल हो सकें । सारे प्रकार की हमारी एग्रीकल्चर इकोनोमी है वह बैलों पर डिपेन्ड करती है । बैलों का सीधा सम्पर्क हमारी गायों से, गौमाताओं से है तो गौशाला विधेयक को जो नये प्रकार का विधेयक हमारे सामने आ रहा है, प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायगा तो हमारे सामने बहुत छूने हुए विचार आयेंगे, जिन पर सदन अच्छी तरह से विचार करेगा ।

हो सकता है कि इस बिल में १६ धारायें हों पर फिर भी घटाई बढ़ाई भी जा सकती हैं । रजिस्ट्रार हमारे लिये नई चीज होगी । इसी प्रकार दूसरे प्रकार की बातें हैं, सारी चीजें ऐसी हैं कि एक नया मामला हमारे राजस्थान के लिये है तो दोनों चीजें हम मानते हैं कि एक तो जो गौशालाएं मौजूद हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है और दूसरी बात यह कि कई स्थानों पर गौशालाएं नहीं हैं । इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है । इसलिये इन सारी बातों के आधार पर यदि यह बिल सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होगा तो वहां पर गम्भीरता से विचार हो सकेगा और बारीकी से विचार हो सकेगा । इसलिए मैं यह समझता हूँ कि जो बात माननीय मन्त्री महोदय ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की रखी है वह सोच समझ कर रखी है और उसे हमें सभी सदन के माननीय सदस्यों को स्वीकार करनी चाहिये । क्योंकि इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा और इस पर ज्यादा विचार होगा । यह बिल सलेक्ट कमेटी से फिर सदन में आवेगा और फिर यहां सदन में भी उस पर बहस हो सकेगी । रहा सवाल यह कि इसमें थोड़ी देर होगी । तो इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज दिन तक कोई इस प्रकार का विधेयक नहीं था तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी देर और लगे । देर होकर विधेयक अच्छा बनेगा । इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसको प्रवर-समिति के सुपुर्द कर दिया जावे ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) **:** सभापति महोदय, मैं यह कांग्रेस की तरफ से इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात है उसका समर्थन करता हूं और वह........

एक माननीय सदस्य : आप भी तो कांग्रेस के ही हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : इसलिये करता

Page No.101

(श्री पी० के० चौधरी)

हूँ कि इस बिल में ऑब्जेक्शन्स एण्ड रीजन्स में जो बातें बताई हैं और जो भी प्रावधान है उससे मालूम होता है कि इस पर काफी सोच विचार करने की जरूरत है और इसको काफी सोच विचार कर पास करना चाहिये। क्योंकि एक बात है कि जब हम कोई भी बिल पास करें और वह इफेक्टिव नहीं बने तो इस प्रकार के लेजिस्लेशन को पास करने का कोई मतलब नहीं होता है।

आप देखेंगे कि यह कोई कॉग्निजेबल ऑफेन्स नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्रार शिकायत करेगा उसके लिये कॉग्निजेन्स लिया जावेगा। वास्तव में देखा जावे तो यह कॉग्निजेबल ऑफेन्स नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि हम अगर इसको पास कर दें और वह इन्इफेक्टिव रह जावे तो उससे क्या फायदा हो सकता है। इसके अलावा यह भी प्रोविजन रखा है कि जहां रजिस्ट्रार नहीं होगा वहां पर सब-रजिस्ट्रार सब काम करेगा।

श्री श्रीभानसिंह : आज गवर्नमेंट होस्टल में फंक्शन है ...

श्री सभापति : अभी ८ मिनट बाकी हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इसके अलावा इसमें दूसरी बात यह है कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन पैदा हो सकता है। जैसे क्लॉज़ १५ है इस क्लॉज़ में यह कहा गया है कि Bar of application of the Charitable and Religious Trusts Act, 1920. The provisions of the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (Central Act XIV of 1920) shall not apply to any Gaushala registered under this Act. सभापति महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हम चेरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स में दूसरे चेरिटेबल इन्स्टिट्यूशनों को भी कवर करेंगे। इसमें दूसरा एनिमल्स को भी शरीक कर सकते हैं। जहां तक आर्टिकल २४५ ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट के अधिकार हैं उनसे कोई डिबार नहीं कर सकता, but not conflicting with the parliamentary legislation. आप कानून बना सकते हैं लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो सेन्ट्रल एक्ट के कोन्ट्राडिक्टरी हो। हमने रूल्स और रेग्युलेशन्स बना कर Rules making powers and regulation making powers भी रखी हैं। इस तरह से जब सेन्ट्रल एक्ट है तो हम ऐसा प्रोविजन नहीं रख सकते जो उसके अगेन्स्ट हो। यहां हमने क्लॉज १५ में रख दिया है कि सेन्ट्रल एक्ट १५ ऑफ १९२० इसमें लागू नहीं होगा। क्या हम कोई ऐसा स्टेट लेजिस्लेशन पास कर सकते हैं जो पार्लियामेंट के रूल्स के खिलाफ हो। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको जल्दी में कोई बिल पास नहीं करना चाहिये। जब यह सलेक्ट कमेटी में जावेगा तो सलेक्ट कमेटी इस पर यह भी सोचेगी कि आया हम इस प्रकार कर सकते हैं या नहीं। आया सेन्ट्रल के चेरिटेबल इन्सिटट्यूट्स के इन्ट्रेस्ट में डिबार कर सकते हैं, जबकि वह पार्लियामेंट के जुडिकेचर का मामला हो सकता है। इस पर भी विचार करना चाहिए।

दूसरी बात इसमें क्लॉजेज़ १३ और १४ में रूल्स मेकिंग पॉवर्स की रखी गई है। गवर्नमेंट इसके लिये रूल्स बनाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेग्युलेशन्स के लिये भी प्रोविजन

Page No.102

(श्री पी० के० चौधरी

रखा है। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और हम उनको ग्रान्ट कर देते हैं लेकिन रेग्युलेशन्स के पॉवर्स दिये हैं ये कहां तक जायज हैं, कहां तक इन्डिविजुअल ऑफिसर को देना उचित है ? इन चीजों को आप रूल्स मेकिंग पॉवर्स में लाकर एडिजक्यूटिव में काम चलाना चाहते हैं। डाइरेक्टर को हम पॉवर्स देते हैं ; इन सब चीजों के लिये हमें यह देखना होगा कि आया हम उनको पॉवर्स दे भी सकते हैं या नहीं। यह सोचने की बात है।

तीसरी बात सभापति महोदय, इसकी जो डेफीनेशन हैं उसको आप अगर पढ़ेगें तो आप देखेंगे कि किन-किन इन्स्टिट्यूशनों को गौशाला में लिया गया है। सबसे पहले गौशाला आम तौर पर उन स्थानों को समझते हैं जहां गौ ज्यादातर रहती हैं 'Gaushala' means a charitable institution established for the purpose of keeping, bearing and maintaining cattle for the purpose of reception, protection and treatment of infirm, aged or diseased cattle and includes a Pinjrapole or a Gosadan where such cattle are kept. इनके लिये हम गौशाला कायम करते हैं। लेकिन यहां पर डेफीनेशन में दूसरी गौशाला भी आती हैं shall be established for the purpose of keeping breeding, rearing and maintaining cattle or for the purpose of reception and treatment of infirm, aged or diseased cattle. जहां तक मैं समझता हूं, इन दोनों के लिये हमको एक किस्म का लेजिस्लेशन बनना ठीक नहीं होगा। जो गौशालाएं for the infirm and diseased animals रखी जाती हैं उनके लिये अलग रूल्स एन्ड रेग्युलेशन्स हों और जो गौशालाएं सिर्फ for the purpose of portection and shelter of the diseased and infirm animals होती हैं उनके लिये अलग हों। दोनों के करेक्टर अलग अलग हैं। एक बिजनेस मोटिव लेकर चलते हैं और दूसरा flimsy motive. क्या हम इन दोनों को एक ही रूल से गवर्न करना चाहते हैं ?...

श्री श्रीभानसिंह: The Hon'ble member may be asked to continue tomorrow. It is time now.

श्री सभापति : सभा की कार्यवाही कल ११ बजे प्रातःकाल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, दिनांक १२ दिसम्बर, ५८ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार ११ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटड़ा एवं जालौर रेन्ज के वनों का नीलाम ।

भरतपुर शहर में मकानों का गिर जाना ।

विधान सभा सदस्य की दूदू में हैड कान्सटेबिल तथा मोटर ड्राइवर द्वारा मारपीट ।

नागौर नगरपालिका द्वारा तांगा लाइसेन्स फीस की वसूली ।

तहसील पंचायत भीलवाड़ा और ग्राम पंचायत मन्सदा ।

शिवदासपुरा में पंचायत का हैडक्वार्टर रखना ।

जयपुर पॉवर हाउस से जम्वारामगढ़ जाने वाली हाई पॉवर लाइन का हटाया जाना ।

प्रशासक जोधपुर नगरपालिका द्वारा नियुक्ति ।

लालसोट थाने में पुलिस कर्मचारियों की कमी ।

औषधियों के खरीद के नियम ।

कोटा जिले में नदी किनारे बसे ग्रामों में आवागमन की असुविधा ।

६१६२ जिला बोर्ड झुंझुनू द्वारा चालित प्राथमिक पाठशालाएं ।

निर्माण विभाग में इंजीनियरों की नियुक्तियां ।

किशनगढ़ सब-डिविजन की पंचायतों द्वारा बीड़ों का ठेका ।

भूपालसागर तालाब की मरम्मत ।

तहसील पंचायत रामगढ़ ।

मालीखेड़ा (तहसील भूपालसागर) का निर्माण ।

कबीर मार्ग मार्केट (बनीपार्क) में नल की व्यवस्था ।

एक नहर की सफाई तहसील-(पहाड़ी जिला भरतपुर) ।।

कबीर मार्ग (बनी पार्क) में मकान निर्माण ।

गोविन्दगढ़ (अलवर) सीकरी (भरतपुर)को मिलाने वाली सड़क का निर्माण ।

भूतपूर्व अध्यक्ष, जिलाबोर्ड डूंगरपुर के नाम बोर्ड की उधारखाते में दर्ज रकम ।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के सब-इन्सपेक्टर्स ।

स्कम्भ स्कम्भ

झुंझुनू जिले की बसों की जांच ।

उप तहसील मंडावल में अस्पताल भवन एवं डॉक्टर का अभाव ।

पार्वती बांध (धौलपुर) का निर्माण ।

पंचायत विभाग के इन्सपेक्टरों के के विरुद्ध एम्बेजलमेंट केसेज़ ।

चाकसू फागी सड़क का निर्माण ।

डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, बाड़मेर द्वारा चद्दरों के परमिट ।

अलेक्जेन्डरा अस्पताल, अलवर के नये वार्डों का ठेका ।

विधायी कार्य

१–राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८ ६२२०

(अग्रेत्तर वाद - विवाद)

उपरोक्त विधेयक पर आज तृतीय वाचन किया गया : जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया ।

१. श्री श्रीभानसिंह ।

२. श्री भैरोंसिंह (१४) ।

३. डॉ. बहादुरसिंह ।

४. डॉ. चन्द्रकला ।

५. श्री भोलानाथ ।

६. श्री मानसिंह ।

७. श्री मोहरसिंह ।

८. श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा ।

६. श्री मूलचन्द डागा ।

१०. रावल नरेन्द्रसिंह ।

११. श्री पी० के चौधरी ।

१२. श्री भीमसेन ।

१३. श्री सूबेदारसिंह ।

१४. श्री लक्ष्मीचन्द ।

१५. श्री रामधन ।

१६. श्री चन्द्रसिंह ।

१७. श्री हरिप्रसाद ।

१८. श्री रामकरणसिंह ।

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया ।

२–राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५८ ६३४६

(विचार-विमर्श)

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने यह प्रस्ताव किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

Page No.105

स्कम्भ

उपरोक्त प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो रहा था कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

स्कम्भ

शुक्रवार, दिनांक १२ दिसम्बर, १९५८
की कार्य सूची

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११७४* का उत्तर देखिये)

Name of Rang	Name of Coupe	Highest bid at first auction.	Highest bid offerdat reauction.	Name of highest bidder in reauction
	FIREWOOD & CHARCOAL COUPES.			
Jhadol.	Ramkunda Hadmia No. 4(138 acres.)	8,000	10,000	Shri Jamal Uddin S/o Faizuddin of Kotda.
,,	Sampart II No. 3 (114 acres)	5,100	6,375	Shri Taiyab Hussain urban Hussain of Udaipur.
,,	Ramkunda Dolria No. 2(85 acres).	6,101	7,630	Shri Jamal Uddin S/o. Faizuddin of Kotda.
Kotda.	Dhedmaria No. 10 (70 acres)	4,600	5850	Shri Homanali S/o. Taiyabali of Udaipur.
,,	Umria No. 9 (125 acres).	7,500	9,650	Shri Kamruddin S/o. Akbarali of Udaipur.
,,	Nakola No 8 (97 acres)	7,550	10,000	Shri Kamruddin S/o. Akbar Ali of Udaipur.
,,	Subra Subri No. 7 (90 acres)	4,500	6,000	-do-
,,	Jogiwad No. 5 (105 acres)	5,051	7,500	Shri Mohmd Hussain S/o. Ali Mohd. of

१	२	३	४	५
	DAMBOO COUPES.			
,,	Umria No. 1	10,100	13,525	Shri Taipab Hussain S/o. Qurban Hussain of Udaipur.
,,	Dhedmaria No 2	11,101	14,000	Shri Kamruddin S/o. Akbarali of Udaipnr.
,,	Khajuria No. 1	6,250	8,000	Shri Qurban Hussain S/o. Alia Bux of Udaipur.
,,	Tiloi No. 2	16,500	20,700	Shri Jamal Uddin S/o. Faizuddin of Kotda.
Jhadol.	Ramkuuda No. 3	16,000	20,100	Shrl Kamruddin S/o. Akbarali of Udaipur.
	Total:—	1,08,353	1,39,330	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ११८८ का उत्तर देखिये)

• कार्यालय, मैनेजर गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक फार्मेसीज, राजस्थान, अजमेर

रिवाइज्ड टेण्डर नियम वर्ष ५८-५९

टेण्डर दाताओं को इस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जाता है कि गवर्नमेंट रसायन-शाला (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं भरतपुर) के लिये कच्ची आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां आवश्यकतानुसार समय-समय पर पूरे वर्ष तक यानी ३१-३-५९ तक सप्लाई करने का ठेका दिया जावेगा, इसलिये जिस किसी को यह ठेका लेना हो वह भाग 'अ' कच्ची औषधियां जिस पर रिवाइज्ड टेण्डर सन् ५८-५९ लिखा हुआ हो तारीख १५-१२-५८ को दिन के ४॥ बजे तक मैनेजर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ अजमेर के कार्यालय में पहुँचा दिया जावें या स्वयं प्रस्तुत कर देवें। उक्त अवधि के बाद कोई टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा। टेण्डर फार्म में औषधियों का जो तौल लिखा गया है वह वर्ष भर यानी ३१-३-५९ तक के लिये अनुमानिक लिखा गया है। आवश्यकतानुसार औषधियां समय-समय पर कम ज्यादा तथा न भी खरीदी जा सकेंगी।

ठेके की शरायत निम्नांकित होंगी :

उपरोक्त टेण्डर दिनांक १५-१२-५८ को दिन के ४॥ बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे एवं दिनांक १६-१२-५८ को दिन के २ बजे उपस्थित व्यापारियों के सामने स्टोर पर्चेजिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा खोल दिये जावेंगे। टेण्डर सिर्फ इस कार्यालय के निर्दिष्ट फार्म में ही भर कर लिये जावेंगे। औषधियां अनुमान से कम, ज्यादा तथा न भी खरीदी जा सकेंगी। दवाइयों की मात्रा केवल आनुमानिक हो लिखी गई है।

(२) जो सज्जन रसायनशालाओं के लिये निविदा :टेण्डर: देना चाहें वे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से टेण्डर फार्म एवं टेण्डर नियमों की प्रतिलिपि शुल्क के २ रुपये मनी ऑर्डर द्वारा या व्यक्तिशः भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। यह रुपया किसी भी शर्त पर व्यापारी को नहीं लौटाया जावेगा।

(३) टेण्डर फार्म के लिये २०० रुपये टेण्डर रकम रक्खी गई है जो कि मुद्रावद्ध टेण्डर के साथ में राजस्थान राज्य की अजमेर ट्रेजरी में अर्नेस्टमनी रेवेन्यू डिपोजिट स्टेट हैड में चालान के रूप में मूल प्रति में स्वीकार किया जावेगा।

(४) औषधियों का भाव इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स आदि सभी टैक्सों सहित दिया जाना चाहिये, जो कि रुपये तथा नये पैसों में वस्तुओं के प्रकारानुसार प्रति सेर (८० तोला), प्रति पौंड एवं अन्य तौल व माप में होगा। माल प्रत्येक रसायनशाला के

कार्यालय अर्थात् एफ० ओ० आर० जयपुर, जोधपुर, भरतपुर एवं उदयपुर फार्मेसीज में लिया जावेगा। सभी फार्मेसियों के लिये १ औषधि का भाव १ ही दिया जाना चाहिये। टेण्डर में औषधियों का भाव श्री संचालक आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान अजमेर के कार्यालय में रखे हुए सुरक्षित नमूनों के अनुसार ही देना होगा एवं इन्हीं नमूनों को औषधियां फार्मेसियों में स्वीकार की जा सकेंगी, अन्य औषधियां हल्की, नकली सीली हुई या किसी प्रकार से खराब धूल भरी आदि स्वीकृत नहीं की जावेगी। टेण्डर फार्म में लिखित सभी औषधियों का भाव व्यापारी के लिये देना आवश्यक है। सिर्फ अत्युत्तम औषधियों के भाव ही मांगे जाते हैं।

(५) स्वीकृत टेण्डर दाताओं को पहले इस कार्यालय में आकर स्टाम्प प्रतिज्ञापत्र भरना होगा। प्रतिज्ञापत्र के नियमानुसार ७ दिन के अन्दर ५ प्रतिशत रकम के बतौर अर्नेस्ट-मनी जमा करवा देनी होगी यह सिक्युरेटी मनी राज्य सरकार की किसी भी ट्रेजरी में अर्नेस्टमनी रेवेन्यू डिपोजिट स्टेट हैड में जमा कराकर चालान की मूल प्रति के रूप में देनी होगी। स्वीकृत टेण्डर दाताओं को ऑर्डर के अनुसार सभी औषधियां पूरे तौल में निश्चित समय में आर्डर दिये जाने की तारीख पहले आर्डर को छोड़कर जिसके लिए १५ दिन की अवधि होगी ७ दिन के अन्दर फार्मेसियों का सामान तुलवा देना होगा, व उनका बिल भी उनके साथ प्रत्येक ३ प्रतियों में सम्बन्धित रसायनशालाओं को देना होगा।

(६) यदि स्वीकृत टेण्डर दाता किसी भी कारणवश कोई भी औषधी निश्चित समय पर पूरे तौल में नहीं दे सका और गवर्नमेन्ट को किसी चीज की फौरन जरूरत हुई तो गवर्नमेंट को यह हक होगा कि ऐसी चीजें किसी दूसरी जगह से खरीद कर ले और उस खरीद में यदि गवर्नमेन्ट को टेण्डर में दी गई रेट से ज्यादा देना पड़ा तो गवर्नमेन्ट को ऐसी ज्यादा दी हुई कीमत टेण्डर दाता से वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(७) टेण्डर दाता को सम्बन्धित सर्कल इन्कम टैक्स क्लीयरेन्स का सर्टिफिकेट लेकर टेण्डर के साथ लगाना होगा अन्यथा टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दाता अपनी कोई भी शर्त न लिखे। टेण्डर दाताओं की निजी कोई भी शर्ते मान्य न होगी और उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(८) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा टेण्डर की किसी भी औषधी के आयात में या लाइसेन्स आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का इस टेण्डर की औषधी सप्लाई पर कोई भी प्रभाव मान्य नहीं होगा। संफल टेण्डर दाताओं से २ रुपये के स्टाम्प पर एक अनुबन्ध लिखाया जावेगा जिसका मूल्य उन्हें वहन करना होगा एवं उसका अक्षरशः पालन करना होगा।

(९) टेण्डर फार्म में लिखी औषधियों के अलावा अन्य औषधियों की जिनकी फार्मेसी में आवश्यकता होगी यदि ऑर्डर दिया जावे तो उसे समय के उचित भाव से स्वीकृत व्यापारी को सप्लाई करनी होगी।

(१०) मैनेजर गवर्नमेन्ट फार्मेसीज स्वयं या जिसे नियुक्त करे उसे पूर्ण अधिकार होगा

कि वह ऑर्डर भी दे एवं औषधियों की विशुद्धता तथा उत्तमता का भी निरीक्षण करे।

(११) स्वीकृत व्यापारी को आर्डर मिलने की सूचना ७ दिन के अन्दर अन्दर स्वयं मैनेजर या जिसको नियुक्त करे देना होगा।

(१२) प्रतिज्ञापत्र न भरने वाले व्यापारी को ऑर्डर नहीं दिया जावेगा और बिना सूचना के टेण्डर की रकम पूरी की पूरी जब्त करने का व ब्लेक लिस्ट में नाम निकालने का सरकार को पूर्ण अधिकार होगा।

(१३) टेण्डर दाताओं की टेण्डर की स्वीकृति आने पर टेण्डर रकम लौटा दी जावेगी। स्वीकृति टेण्डर दाताओं को वर्ष के अन्त में पूर्ण सप्लाई की जांच के पश्चात् जमा अर्नेस्ट मनी लौटा दी जावेगी।

(१४) स्वीकृत व्यापारी के लिये आवश्यक होगा कि अपनी निश्चित अवधि में उपरोक्त शर्तें एवं प्रतिज्ञापत्र के किसी भी शर्त के विरुद्ध किसी भी कारण वश कोई भी कार्यवाही न करे। यदि कोई ऐसी कार्यवाही जो नियम विरुद्ध हो की जावेगी तो मैनेजर को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ५ प्रतिशत डिपोजिट रकम (अर्नेस्टमनी) सारी की सारी या आधी, या कुछ हिस्सा जैसा भी उपयुक्त समझे जब्त कर सकेगा।

(१५) सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये चाहे जिसका टेण्डर स्वीकृत कर ले या हिस्सों में बांट दे या सभी टेण्डरों को अस्वीकृत कर फिर से नये टेण्डर मांग ले।

(१६) टेण्डर पत्र में दी गई औषधियों के अनुमानों के अनुसार न्यून अथवा अधिक मांग करने का अधिकार मैनेजर राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएं अजमेर या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को होगा।

(१७) बिना कारण बताये हुये आंशिक टेण्डर स्वीकार करना अथवा पूर्णतया टेण्डर अस्वीकार करना अथवा स्वीकार करना क्रय समिति के अधिकारांतर्गत सुरक्षित है। साथ ही क्रय-समिति औषधियों के प्रकार की उत्तमता का निर्णय भी सुरक्षित रखती है।

(१८) फार्मेसियों में श्री संचालक आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान अजमेर के कार्यालय में सुरक्षित रखे हुये नमूनों के अनुसार माल सप्लाई न होने पर रिजेक्टेड माल वापस किये जाने का किराया व्यापारी को ही वहन करना होगा।

(१९) अर्नेस्टमनी पर व टेण्डर मनी पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(२०) व्यापारी और मैनेजर के मध्य किसी विषय पर विवाद होने पर अपीलान्ट ऑथोरिटी को अपील की जा सकेगी।

(२१) व्यापारी से चारों फार्मेसी अथवा उनमें से एक ही पर सम्पूर्ण या आंशिक अनुमोदित दरों का माल मंगाने का अधिकार सरकार सुरक्षित रखती है।

ह: हरिगोपाल द्विवे
मैनेजर

गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक फार्मेसीज,
राजस्थान, अजमेर

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ११६० का उत्तर देखिये)

सन्° १६५७में चलने वाली समस्त बोर्ड अधीनस्थ स्कूलों की छात्रसंख्या की सूची

तहसील झुंझुनू

क्रम सं०	नाम स्कूल	छात्र सं०
१.	कांट	४८
२.	वाहिदपुरा	६२
३.	बास दिलोई	४७
४.	देसूसर	५१
५.	सोनासर	३२
६.	पीथूसर	४६
७.	मुरोत	३३
८.	कोदेसर	३२
६.	बाला का बास	३५
१०.	कालियासर	३६
११.	मीठवास	३४
१२.	झटवा खुर्द	५४
१३.	शूरो का बास	२०
१४.	नाथपुरा : शिवपुरा :	५३
१५.	तिग्यावास	३६
१६.	मलसीसर : हरिजन स्कूल :	२५
१७.	फूसकानी	३०
१८.	तोलियासर	३६
१६	बासडी	३६

१	२	३
२०.	रामपुरा	३५
२१.	भारू का वास	३६
२२.	बींदासर	१५
२३.	अरणगासर	३७
२४.	सीसवास	३६
२५.	भूदा का वास	३१
	तहसील खेतड़ी	
२६.	दलेलपुरा	७०
२७.	पुहानिया	५४
२८.	रायपुर	७२
२९.	ढाकामान्डी	६५
३०.	देवलावास	६३
३१.	मोड़सदा	५०
३२.	गूंती	४१
३३.	शाहपुर	४५
३४.	पदेवा	३०
३५.	ढीमाली	३४
३६.	धूलवा	४०
३७.	जुझारपुर	२७
३८.	मानोता	३१
३९.	सांतडिया	४६
४०.	सुल्ताना अहिरान	५०
४१.	सेफरागुंवार	३६

१	२	३
४२.	लोयल	४७
४३.	ढिंचोली	३३
४४.	कन्या पाठशाला बबाई	३२
४५.	कन्या पाठशाला जसरापुर	४७
४६.	कन्या पाठशाला शिमला	३५
४७.	चुरीना	४५
	तहसील उदयपुर	
४८.	चौपदारी की ढाणी	१००
४९.	गुढ़ा बावनी	६६
५०.	चंवरा	३४
५१.	घोडीवारा कलां	५१
५२.	राणासर	६५
५३.	टोडपुरा	३२
५४.	पुजारी की ढाणी	३०
५५.	मैनास	३२
५६.	चारा का वास	३०
५७.	गढ़ला मैनपुरा	३८
५८.	वैरू	३१
५९,	मोजगढ़	४१
६०.	गढ़वालों की ढाणी	१८
६१.	हांसलसर	३६

१	२	३
६२.	जैतपुरा	४६
६३.	देलसर	३५
६४.	छापोली ढहर	१८
६५.	नहरों की ढाणी	३४
६६.	बलवन्तपुरा	३२
६७.	श्रोलो का बास	३४
६८.	गोल्याना	१७
६९.	नवलडी	४१
७०.	चारण की ढाणी	४८
७१.	हुडियों की ढाणी	३१
७२.	कन्या पाठशाला चिराणा	३५
७३.	कन्या पाठशाला खिरोड़	३०
	तहसील चिड़ावा	
७४.	श्रोजटू	४१
७५.	कुलड़ियों का बास	४१
७६.	खेड़ला	३२
७७.	चौराड़ी अगूनी	३०
७८.	रघुनाथपुरा	३६
७९.	दोबड़ा	८
८०.	घतरवाला	३६
८१.	श्रीअमरपुरा	३३

Page No.116

१	२	३	४
८२.	मन्डावा	३२	
८३.	पीलोद	२८	
८४.	दूदी	३६	
८५.	अगवाना	३३	
८६.	गोपचन्द्पुरा	२०	
८७.	गीवली	३३	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ११६४ का उत्तर देखिये)

तहसील पंचायत राजगढ़ का सन् ५७-५८ का आय व्यय का व्यौरा

आय		व्यय	
१. न्याय शुल्क	५७.००	१. आकस्मिक व्यय	३१.००
२. निदार्थ शुल्क	३५.००	२. कन्टिन्मेंक्ट व्यय	२५.००
३. उदरथ	५००.००	३. यात्रा व्यय	७५.००
४. पंचायतों से सहायता	७६७.००	४. डाक व्यय	१८.००
५. सरकारी सहायता (५६-५७)	५००.००	५. वेतन लेखक	१,२१३.००
६. पंचायतों का चन्दा शिशु सहायता के लिये, नेहरू जयन्ती	८४४.००	६. उधरत वापस	२१७.००
७. अन्य	३६.००	७. शिशु सहायता कोष नेहरू जयन्ती	१,०००.००
		८. अन्य	१६१.००
योग	२,७६६.००	योग	२,७४०.००

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण ११ दिसम्बर ५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६१६३	१६	fieId	filed
६१६५	२१	instrudted	instructed
६१६६	२६	श्र नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
६१६८	अन्तिम से २	wha thelp	what help
६१६८	अन्तिम से ३	duy out	dug out
६१७४	१२	enuq:ry	enquiry
६१७४	२१	enuiring	enquiring
६१७५	६	bin	him
६१७६	१६	जानका ी	जानकारी
६१७८	शीर्ष	तरांकित	तारांकित
६१७६	१०	श्री लादूराद	श्री लादूराम सुजानिया
६१७६	१७	इसये शक	इसमें शक
६१८१	१०	किसी और गलती हो	किसी और की गलती हो।
६१८८	२	है यों कि	है क्योंकि
६१८८	१८	दिया गया नहीं	दिया गया या नहीं
६१६४	२	Only gie	only give

१	२	३	४
६१९७	अन्तिम से ४	श्री मानसिंह	श्री श्री मानसिंह
६२००	१५	श्री मोहरसिंह	११६४ श्री मोहरसिंह
६२०३	३	मलीखेड़ा	मालीखेड़ा
६२०४	८	Irrgation	Irrigation
६२०४	११	dis i	distt.
६२०५	अन्तिम से ६	now that	know that
६२०५	१४	Ramph cannel	Ramph Canal
६२०८	शीर्ष	६२८]	६२०८]
६२१४	अन्तिम पंक्ति	(श्री दौलतराम) सारणा;	(श्री दौलतराम सारण)
६२१६	६	अलेक्गेन्डरा अस्पताल	अलेक्जेन्ड्रा अस्पताल
६२२०	६	अस्पताल के के नाम	अस्पताल के नाम
६२२०	२५	abolihing	abolishing
६२२२	१२	acdchieve	achieve
६२२३	२	greatet	greatest
६२२३	१०	recognie	recognise
६२२५	शीर्ष	विधेयक ५६५	विधेयक १६५८
६२२८	२१	I we	If we
६२३४	८	be paing	be paying
६२३५	१	Thvs	Thus
६२३५	६	Pased	Passed
६२३६	१३	have ro	have no

१	२	३	४
६२३६	१३	कहीं कॉश्तकार	कहीं काश्तकार
६२४५	शीर्ष	विधेयक, १६५७	विधेयक, १६५८
६२४८	अन्तिम से ३	जमींदारी एबॉलशन	जमींदारी एबॉलिशन
६२५०	२१	यदि गंगानग	यदि गंगानगर
६२५१	६	Villge	village
६२५१	२५	बद में	बाद में
६२५१	३०	सर्विसेज में	सर्विसेज में
६२५३	११	Payabe	Payable
६२५३	१४	income calctlated	income calculated
६२५४	११	यह व्यवस्था ह	यह व्यवस्था हो रही है।
६२५४	१२	कि माननय	कि माननीय
६२५६	६	किसी भी कार	किसी भी प्रकार
६२५६	शीर्ष	विधेयक १६५६	विधेयक, १६५८
६२५६	२४	Passed shal	Passed shall
६२६२	२	की इसी	को इसी
६२६५	१७	अन्य धाराओं	अन्य धाराओं
६२६५	अन्तिम से ६	संचण किया	संरक्षण किया
६२६६	१६	पर व्यवस्था	पर जो व्यवस्था
६२६७	२	डॉक्युनेंट	डॉक्युमेंट
६२६६	अन्तिम से ४	परिस्थति का	परस्थिति का
६२७१	४	हुई कि जब	हुई जबकि

१	२	३	४
६२७१	२३	हैं, एक ही रास्ते के मालिक हैं	हैं।
६२७२	१५	वह शिका	वे शिकायतें
६२७२	१८	उनकी ओर	उनकी ओर
६२७२	२०	पो जाने	हो जाने
६२७३	२८	चालयें	चलायें,
६२७३	अन्तिम से २	भी भी वे	भी वे
६२७३	अन्तिम से ३	इलकों में	इलाकों में
६२८७	१६	करें क्योंकि	करें क्योंकि
६२६३	११	नहीं मिलता	नहीं मिलता
६२६५	१३	गॉन्ट का	ग्रान्ट का
६२६८	१२	conseguential	consequential
६२६६	८	Scrious	Serious
६३००	२२	प्रोविजनन्स	प्रोविजन्स
६३००	अन्तिम से ४	tteland	The land
६३०१	अन्तिम से २	the detal	the detail
६३०५	शीर्ष	उत्पादन विदेयक	उत्सादन विधेयक
६३०६	१६	सरकर	सरकार
३३२१	२६	As reard	As regards
६३२१	अन्तिम से ५	revenve	revenue
६३२५	अन्तिमपंक्ति	तय नह थी।	तय नहीं थी।
६३२६	२६	जो जमदार	जो जमादार

१	२	३	४
६३२७	अन्तिम से ४	In anticipaton	In anticipation
६३२६	शीर्ष	विधेयक, १६५७	विधेयक, १६५८
६३३१	२५	It gges	It goes
६३३३	५	बीकनेर से	बीकानेर से
६३३५	शीर्ष	विधेयक, ५६६८	विधेयक, १६५८
६३३६	३	दिलचल्पी	दिलचस्पी
६३४० to ६३४४	शीर्ष १	श्री पी. के. चौधरी	श्री दामोदर लाल व्यास
६३४४	अन्तिम से ५	Occarsion	occasion
६३४५	अन्तिम से २	(नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
६३४८	शीर्ष १	(डॉ. चन्द्रकला)	(डॉ बहादुरसिंह)
६३५६	१३	चाहिये ओर करेगी	चाहिये और करेगी
६३६६	५	रावल नरेन्द्रसिंह	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
६३७२	१	पया	कृपया
६३७२	कॉलम ४	Highest bid offeredat renoitcuo	Highest bid offered at re-auction
६३७३	२२	मनीऑडर	मनीऑर्डर